PERFECT 7

साप्ताहिक
समसामयिकी

फरवरी 2020 | अंक-3

विश्वास भरे अदृश्य हाथों की भूमिका

अर्थ संपदा सृजन में

- व्यापार समर्थक बनाम पक्षवाद
- नेटवर्क उत्पादों में निर्यात-विशेषज्ञता द्वारा रोजगार सृजन एवं विकास
- भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने का लक्ष्य
- बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्णजयंती : एक समीक्षा
- एनबीएफसी क्षेत्र में वित्तीय भंगुरता
- थालीनॉमिक्स : भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र

विशेषांक

आर्थिक समीक्षा 2019-20
खण्ड-1

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®

most trusted since 2003

INTERVIEW GUIDANCE PROGRAMME 2020

OUR EMINENT PANELISTS

Mr. S.Y QURAISHI
Ex. CHIEF ELECTION COMMISSIONER

Mr .VIVEK KATJU
FORMER FOREIGN SECRETARY

Mr. SHASHANK
FORMER FOREIGN SECRETARY

Mr. N.C. SAXENA
Ex. SECRETARY, GOVT. OF INDIA

Mr. NOOR MOHAMMED
IAS TOPPER 77 BATCH
Ex. ELECTION COMMISSIONER
Ex. VICE CHANCELLOR (AMU)

Mrs. MEERA SHANKER
FORMER AMBASSADOR

Mr. MANJEET SINGH
RETD. IAS
Ex. SECRETARY FINANCE, HOME

Mr. AJAY SHANKER
RETD. IAS

Mr. VIKRAM SINGH
RETD. IPS
Ex. DGP (UP)

Mr. VIBHUTI NARAIN RAI
RETD. IPS
Ex. DGP (UP)

Mr. S.K. MISRA
RETD. IRS, Ex. MEMBER REVENUE BOARD

Mr. A.H.K GHAURI
Ex. GOVERNANCE ADVISOR, BRITISH HIGH COMMISSION

Mr. C. UDAY BHASKAR
DEFENCE & STRATEGIC ANALYST

Mr. QAMAR AGHA
WIDELY ACCLAIMED SR. JOURNALIST

PROF. ARUN KUMAR
ECONOMIST

PROF. C.K. VARSHNEY
FORMER DEAN OF SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE (JNU)

STARTING FROM 1ST FEB 2020

Salient Features:

- 5 Members Board Mock Videos
- Content Booklets: Current Affairs, Questionnaire, Hobbies, Different States

PRIOR REGISTRATION IS MANDATORY **011-49274400**

25B, 2nd Floor, Metro Pillar No. 117, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, New Delhi
A 12, 13, 201 2nd Floor, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

Send your DAF to dhyeyaonline@dhyeyaias.com

9205274744 / 9205274743

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

'Perfect 7' में सुधार एवं संवर्द्धन हेतु किसी भी प्रकर के सुझाव, टिप्पणी और विचार के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।

9990772422

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

फरवरी-2020 | अंक-3

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय,
ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव,
प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- विश्वास भरे अदृश्य हाथों की भूमिका : अर्थ संपदा सृजन में
- व्यापार समर्थक बनाम पक्षवाद
- नेटवर्क उत्पादों में निर्यात-विशेषज्ञता द्वारा रोजगार सृजन एवं विकास
- भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने का लक्ष्य
- बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्णजयंती : एक समीक्षा
- एनबीएफसी क्षेत्र में वित्तीय भंगुरता
- थालीनॉमिक्स : भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. विश्वास भरे अदृश्य हाथों की भूमिका : अर्थ संपदा सृजन में

चर्चा का कारण

बाजार को सक्षम बनाने, व्यवसाय के लिए अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहन देने तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में संसद में आर्थिक समीक्षा 2019-20 प्रस्तुत किया गया।

परिचय

आर्थिक समीक्षा 2019-20 में यह दर्शाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के बाद जीडीपी व प्रति व्यक्ति जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में हुए लाभों की व्याख्या की गई है। आर्थिक समीक्षा से स्पष्ट होता है कि बंद क्षेत्रों (Close Sector) की अपेक्षा खुले क्षेत्रों (Open Sector) में उदारीकरण के बाद अधिक तेजी से प्रगति हुई है। आर्थिक समीक्षा में भारत की महत्वाकांक्षी योजना 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए बाजार के अदृश्य हाथ (जिसमें खुले बाजार को प्रदर्शित किया जाता है) एवं उसपर विश्वास की आवश्यकता है। बाजार के अदृश्य हाथ को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते है-

1. नए व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करके, निष्पक्ष प्रतियोगिता एवं व्यवसाय को सुगम बनाकर सुदृढ़ किया जा सकता है।
2. अनावश्यक नीतियाँ जो सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से बाजार की शक्तियों को कम करती हैं, उनको समाप्त करके किया जा सकता है।
3. रोजगार सृजन वाले व्यापार को बढ़ावा देकर।
4. भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावी ढंग से वृद्धि करके, बाजार अनुकूल नीतियों का प्रचार-प्रसार करके उन्हें सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

आर्थिक समीक्षा 2019-20 में ऐसी नीतियों की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया गया है, जो भारत में धन सृजन को तेजी देगी। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विकास में गति आएगी।

अर्थ सृजन का महत्व

- भारत ऐतिहासिक रूप से प्रमुख अर्थसृजक देश रहा है तथा वैश्विक जीडीपी का प्रमुख अंशदाता रहा है। आर्थिक समीक्षा में यह उल्लेख है कि हमारी पुरानी परम्पराओं ने अर्थ सम्पदा सृजन की सराहना की है। कौटिल्य "आर्थिक क्रियाकलापों के सभी अवरोधों के निराकरण" की मांग करते हुए आर्थिक आजादी का समर्थन करते हैं। तमिल संत थिरूक्कुरल की रचना 'थिरूवल्लुर' में उद्धृत किया गया है कि "धन एक अमोध दीपक है जो प्रत्येक भूमि को गति प्रदान करता है।" थिरूक्कुरल नैतिक साधनों से धन अर्जित करने का समर्थन करते है- "धन से सुचिता व आनन्द मिलता है, किसी को क्षति पहुँचाए बिना धन अर्जित करना चाहिए।"
- भारत, स्वतंत्रता के बाद 1991 तक अर्थसृजन के मॉडल से वंचित रहा, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत अर्थसृजन के अपने पारम्परिक मॉडल पर पुनः लौट आया। 1991 के बाद सेंसेक्स में न केवल वृद्धि हुई, बल्कि यह वृद्धि त्वरित गति से हुई। यह उल्लेख किया गया है कि सेंसेक्स में वृद्धि केवल आधार प्रभाव के कारण नहीं थी बल्कि अर्थसृजन के कारण भी थी।
- अर्थसृजन के द्वारा कारोबार के कई क्षेत्रों में सहसंबंध देखा जाता है, जैसे- कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, सरकार आदि के बीच सह-संबंध। सृजित धन सुदृढ़ रूप से उद्यमी द्वारा प्राप्त कच्चे मालों की लागतों से सह-संबंधित होता है, जो आपूर्तिकर्ता उद्यमी की फर्मों को कच्चे माल की आपूर्ति करके कमाते हैं। इसी प्रकार पूंजीगत निर्माताओं तथा उद्यमियों के बीच सह-संबंध होता है।
- उद्यमियों द्वारा अर्जित धन आम नागरिकों की सहायता करता है। कर राजस्व के फलस्वरूप सरकार सार्वजनिक वस्तुएँ निर्मित करने एवं एवं नागरिकों को बेहतर सेवाओं पर खर्च करती है।
- अर्थसृजन के द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा से आर्थिक स्थिरता आती है, जिससे देश अपने आयात का भुगतान करने में सक्षम होता है तथा चालू खाते को प्रबंधन योग्य स्तरों पर रख पाता है।

खुली अर्थव्यवस्था के माध्यम से अर्थसृजन

- किसी भी अर्थव्यवस्था में अर्थसृजन तब होता है जब सही नीति के विकल्प का अनुसरण किया जाता है। उदाहरण के लिए, कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अर्थ-सम्पदा सृजन और आर्थिक विकास के लिए स्मिथ के 'अदृश्य हाथ' के दर्शन के अनुसार किया जाता है जिसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले कारोबारियों की भूमिका होती है।
- 1991 के बाद देखा गया है कि उदारीकृत सेक्टरों के सम्पदा संवर्धन पर व्यापक प्रभाव रहा है। बाजार अर्थव्यवस्था इस सिद्धान्त पर आधारित होती है कि नागरिक उन उत्पादों या सेवाओं का स्वतंत्र रूप से चयन करने में सक्षम हो जो वे चाहते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों के आगमन के बाद GDP में घरेलू क्रेडिट में संवृद्धि।

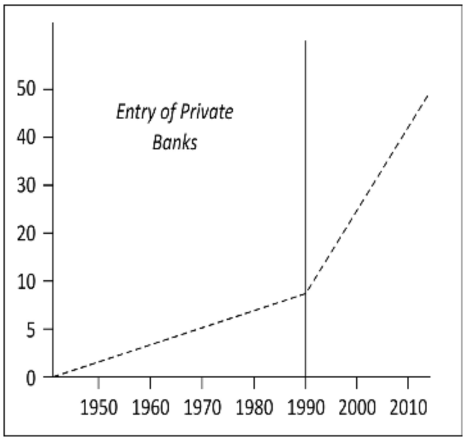

- निजी बैंकों की प्रतिस्पर्धा ने नागरिकों के लिए उपलब्ध बैंकिंग विकल्पों का विस्तार किया है, जिसके फलस्वरूप कई क्षेत्रों में संवृद्धि को देखा गया जैसे पत्तन, इस्पात और सीमेंट, सड़के और रेलवे इत्यादि।

संपत्ति सृजन के लिए उपकरण में विकास

- संपत्ति सृजन के लिए दक्षता का बढ़ना महत्वपूर्ण है। दक्षता के प्रमुख आयाम उद्यम के अवसरों से संबधित है, इससे नये प्रवेशकों के नवाचार, सम्पत्ति सृजन करने के लिए प्रतियोगात्मक बाजार की सम्भावना बढ़ाती है। प्रत्येक आर्थिक भागीदार के लिए एक उचित कारोबार के अनुकूल व्यवस्था बनाना आवश्यक है इसके लिए टैक्स व्यवस्था में अधिक सुधार की आवश्यकता है, जो उदारीकरण के बाद व्यापक हुए हैं।
- बाजार अर्थव्यवस्था में चयन करने की आजादी अर्थव्यवस्था की उत्तम अभिव्यक्ति है जहाँ खरीददार एवं विक्रेता दोनों साथ आते हैं तथा किमततंत्र पर नियन्त्रण रखते हैं।
- संपत्ति सृजन के लिए संसाधन का आवंटन दक्ष करोबारी को प्राप्त होना चाहिए। चूंकि संसाधन सीमित है तथा जनसंख्या अधिक है। अत: जनसांख्यिकीय लाभ को देखते हुए भारत को श्रम गहन उद्योग अथवा पूँजी गहन उद्योग का चयन भी एक बड़ा प्रश्न है।
- आर्थिक समीक्षा में 'मेक इन इण्डिया' के साथ 'असेमलिंग इन इण्डिया' के एकीकरण की चर्चा की गयी है जिससे 2025 तक 4 करोड़ नये रोजगार सृजन तथा 2030 तक 8 करोड़ नये रोजगार सृजन के अवसर सृजित होंगे।
- आर्थिक समीक्षा में भारत में कारोबार करने की सुगमता को सुधारने की चर्चा की गई है जिससे अधिक आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर मिलते है। भारत ने 2014 में 142 से 2019 में 63 तक विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डुईग बिजनेस रिपोर्ट में सुधार किया है। भारत अधिक कारोबार सुगमता तथा शीर्ष 50 अर्थव्यवस्थाओं वाली रैंकिंग के लिए प्रयासरत है।
- अर्थव्यवस्था में दक्षता को बढ़ाने के लिए एक दक्ष वित्तीय क्षेत्र अतिमहत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से विगत 50 वर्षों में, शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं को उनके बैंकों द्वारा हमेशा सामर्थ्यपूर्ण सहायता मिलती रही है। यू.एस. को सुपरपावर अर्थव्यवस्था बनाने में यू.एस. बैंकिंग तंत्र की सहायता बहुत ज्यादा रही है। इसी तरह अस्सी के दशक में जापान के पास विश्व के शीर्ष 25 बड़े बैंकों में 15 बैंक थे। हाल के समय में, चीन की अर्थव्यवस्था सुपरपावर के रूप में उभरी है, इसमें भी चीन के बैंकों का अतुलनीय योगदान रहा है।
- 2019 में भारत बैंकों के राष्ट्रीयकरण की स्वर्णजयंती मनाया परन्तु भारत के पास सिर्फ एक ही बैंक है जो कि वैश्विक शीर्ष 100 में है। चूंकि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पीएसबी का बाजार हिस्सा 70 प्रतिशत है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सहायता करने की जिम्मेदारी तथा इसके आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना भी इन पर निर्भर करता है।
- छाया बैंकिंग क्षेत्र जो कि उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, इसके लिए एक स्वस्थ निगरानी तंत्र की आवश्यकता है जिससे छाया बैंकों की जोखिम कम हो।

इस शताब्दी के पहले के वर्षों में विश्वास का टूटना

प्राचीन दार्शनिक विश्वास को समाज का एक महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है तथा उनका मानना था कि नैतिक एवं दार्शनिक आयामों के द्वारा विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक समीक्षा में विश्वास को एक सार्वजनिक वस्तु माना गया है, जिसके प्रयोग से आर्थिक सृजन में वृद्धि होती है।

भ्रष्टाचार धारणा सूची में भारत की स्थिति अब बेहतर हो रही है। इसी प्रकार देखते हैं कि 2014 के पहले प्राकृतिक संसाधनों के अनैतिक आवंटन से निवशेकों में कम विश्वास था जो पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहा है।

जिस प्रकार से किसानों द्वारा फसल जलाने के कारण दूषित वायु के माध्यम से सभी नागरिकों हेतु नाकारात्मक माहौल बनता है उसी प्रकार जब एक कॉर्पोरेट जानबूझकर गलत वित्तीय सूचना देता है तो वे अर्थव्यवस्था में फर्मो के वित्तीयनों में सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों हेतु विश्वास का नकारात्मक माहौल बनाकर उन्हें नुकसान पहुँचाता है।

कुछ विवेकहीन प्रवर्तकों के अवसरवादी व्यवहार, जो आम शृंखला में वित्तीय रूप से गलत रिपोर्टिंग और जानबूझकर गड़बड़ियों को करते है। जानबूझकर गड़बड़ी करने वालों ने निवेशकों एवं करदाताओं के विश्वास को कम किया है। इसी प्रकार, इस विश्वास के पटल पर भी बाजार विफल हुआ है। समीक्षा ने बड़े अनुसूचित नेटवर्क उत्पादए और जानबुझ कर कर न देने वाले दोषियों का विश्लेषण किया जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ी गैर-निष्पादन परिसंपत्ति एकत्र हुई, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में।

धन सृजन को बढ़ाने के उपाय-

आर्थिक समीक्षा में धन सृजन को बढ़ाने के अनेक उपायों को चिह्नित किया गया है। ये उपाय हैं-

- जमीनी स्तर पर उद्यमिता-जैसे की भारत के जिलों में नई फर्म बनाने में उद्यमिता दिखी है।
- व्यवसाय अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित करना ताकि मुट्ठी भर लोगों को लाभ देने वाली नीतियों की जगह धन सृजन के लिए स्पर्धी बाजार की शक्ति उभरे और निजी निवेश को समर्थन मिले।
- सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से बाजार की अनदेखी करने वाली नीतियों की समाप्ति, जहाँ ऐसी नीतियाँ आवश्यक नहीं है।
- श्रम प्रोत्साहन निर्यात पर फोकस करने के लिए और व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन के लिए 'एसेम्बल इन इण्डिया' तथा 'मेक इन इण्डिया' को एकीकृत करना।
- बैंकिंग क्षेत्र का आकार भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के अनुपात में बढ़ाना और बैंकिंग क्षेत्र की मंद सेहत का पता लगाना।
- दक्षता बढ़ाने के लिए निजीकरण का उपयोग। आर्थिक समीक्षा में यह बताया गया है कि अर्थ सृजन भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अनुमान पर सहायक हो सकता है।

थालीनॉमिक्स

- आर्थिक समीक्षा 2019-20 में पहली बार 'थालीनॉमिक्स' यानी भोजन के अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश की गई है। शकाहारी

और मांसाहारी थाली को खरीदने की क्षमता के आधार पर यह समझने की कोशिश की गई है कि देश में एक पौष्टिक थाली के लिए आम आदमी को कितना खर्च करना पड़ता है और मँहगाई की वजह से उसकी खरीदारी यानी उसको वहन करने की क्षमता पर क्या असर हुआ है।

थालियों का वर्गीकरण शाकाहारी और माँसाहारी के तौर पर करके पूरे भारत को चार क्षेत्रों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम) में बांटकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। रिपोर्ट में मँहगाई में कमी की वजह से शाकाहारी थाली की किमतों में 2015-16 से गिरावट की शुरुआत हुई, जिसमें 2019 में कुछ इजाफा हुआ। मांसाहारी थाली को खरीदने की क्षमता के मामले में बिहार और महाराष्ट्र में गिरावट देखी गई, जबकि अन्य राज्यों में खरीद क्षमता में इजाफा हुआ।

निष्कर्ष

आर्थिक समीक्षा के इस अध्याय में अर्थ संपदा सृजन से संबधित पारम्परिक तथा वर्तमान परिदृश्य को देखा गया। भारत के आगामी वर्षों के लक्ष्यों- 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था, 2020-21 में भारत के GDP में -6.00 से 6.5% तक की वृद्धि की चर्चा की गयी। भारत सरकार के अब तक के प्रयास तथा आगमी सुधार जैसे- सरकारी नीतियों में बैंकिंग सेक्टर में कृषि प्रबन्धन का विवरण दिया गया है।

हमारे विनियमकों की गुणवत्ता और संख्या में महत्वपूर्ण बदलाव (सीसीआई, आरबीआई, सेबी) तकनीकी और विश्लेषण में महत्वपूर्ण विनिवेश एक साथ लाने की आवश्यकता है। यह नैतिकता भाव के प्रभाव को बढ़ाते हुए अधिक धन सृजन के लिए मदद करेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

■

2. व्यापार समर्थक बनाम पक्षवाद

चर्चा का कारण

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वे में देश के राजकोषीय घाटे से लेकर जीडीपी के अनुमान का खाका दिया गया है। आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि सरकार की योजनाओं का फायदा जनसंख्या के बड़े हिस्से तक पहुँचा है।

परिचय

भारत की 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा बाजार समर्थक नीतियों को गंभीरता से बढ़ावा देने पर निर्भर करती है जो एक ओर धन सृजन के लिए प्रतिस्पर्धी बाजारों की शक्ति को छूट देना चाहती है और दूसरी ओर उन "व्यापार समर्थक" नीतियों से दूर रहती है जिससे निजी हितों, विशेषकर शक्तिशाली घरानों को बढ़ावा मिल सकता है। विदित हो कि वर्ष 1991 के बाद की आर्थिक घटनाएँ इस महत्वपूर्ण अंतर की मजबूत साक्षी हैं। शेयर बाजार, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की नब्ज होता है, के दृष्टिकोण से देखने पर यह पता चलता है कि सुधार के पश्चात रचनात्मक विनाश में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। उदारीकरण से पूर्व, एक संेसेक्स फर्म, जिसको इस व्यवसाय में 60 वर्ष तक बने रहने की संभावना थी, वह उदारीकरण के पश्चात घटकर केवल 42 वर्ष तक रह गई। प्रत्येक पांच वर्षों में, एक तिहाई संेसेक्स फर्मे में बदल जाती है। यह अर्थव्यवस्था में नई फर्मो, उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों के सतत अतर्वाह को परिलक्षित करता है। प्रतिस्पर्धी बाजारों को सक्षम बनाने में प्रभावशाली प्रगति के बावजूद, व्यापार समर्थक नीतियों ने अर्थव्यवस्था में नैतिक मूल्यों का ह्रास भी किया है।

बाजार समर्थक, रचनात्मक विनाश एवं संपत्ति सृजन

विदित हो कि वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से प्रतिस्पर्धी बाजारों को खुली छूट मिल गई, इससे रचनात्मक व्यापारिक शक्तियाँ सक्रिय हो गई जिनसे प्राप्त लाभों को हम आज भी देख रहे हैं। वर्ष 1991 के बाजार सुधारों के बाद संेसेक्स में न केवल बढ़ोतरी हुई, अपितु, इसमें स्थायित्व व गति भी आई। जहाँ एक ओर पहले 5000 अंकों की बढ़त के लिए 13 वर्ष लगे वहीं दूसरी ओर वर्ष 1991 के बाद इतनी बढ़त हासिल करने के लिए लगने वाले समय में काफी कमी आ गई है।

संेसेक्स की बढ़ोत्तरी को वर्ष 1991 के बाद तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। वर्ष 1991 से वर्ष 2007 तक के पहले चरण में संसेक्स में त्वरित बढ़ोत्तरी देखी गई जिसमें प्रत्येक उत्तरवर्ती 5000 अंकों का लक्ष्य हासिल करने में पहले से कम समय लगा। वर्ष 2007 से वर्ष 2014 के दूसरे चरण में सूचकांक की बढ़ोत्तरी में धीमी रफ्तार दिखी। यह चरण कई प्रतिकूल घटनाओं के साथ वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी का भी समय था। चरण 3 वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ था और इसमें संरचनात्मक सुधारों एवं वैश्विक तरलता में सुधार के प्रत्युत्तर में पुनः तेजी दिखाई दी इस चरण में, संसेक्स आचर्श्यजनक ढंग से मात्र दो वर्षों में 30,000 अंकों से 40,000 अंकों तक पहुंच गया।

हालांकि प्रारंभिक वर्षो में सूचकांक के गठन में गतिशीलता का अभाव सामान्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिशीलता की कमी की अभिव्यक्ति थी। वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद के वर्षों में नई फर्मो, नए विचारों, नई प्रौद्योगिकियों और नई प्रचालन प्रक्रियाओं का तीव्र गति से उद्गम हुआ जिसके कारण वर्ष 1996 में संेसेक्स में बड़ी तेजी से सुधार हुआ। वर्ष 1996 के पश्चात संसेक्स में भारतीय बाजार की अधिक गतिशील प्रकृति, जोकि अब अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई थी, के कारण बार-बार संशोधन हुए।

वर्ष 2006-2010 की समयावधि में पांच वर्षों में दस फर्मो का प्रतिस्थापन किया एवं 2011-15 में आठ फर्मो का और 2016-19 में दस फर्मो का प्रतिस्थापन हुआ। दूसरे शब्दों में प्रत्येक पांच वर्ष में सूचकांक से लगभग एक-तिहाई फर्मे प्रतिस्थापित हो गई।

इस स्थिति में एक प्रासंगिक प्रश्न यह उठता है कि क्या उपर्युक्त प्रतिस्थापन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है। कहा जाता है कि किसी एकाधिकार के स्थान पर वैसे ही किसी अन्य एकाधिकारी का आना शायद ही लाभदायक हो। तथापि, भारतीय मामले में कई विशेषज्ञ इसे सही मानते हैं क्योंकि जो फर्मे संेसेक्स के घटकों को प्रतिस्थापित करती हैं, वे अपने साथ नए विचारों, प्रौद्योगिकियों एवं प्रक्रियाओं को लाती हैं।

वित्तीय एवं सूचना प्रौद्योगिकी फर्मे जो कि 1990 के दशक के प्रारंभ तक संेसेक्स में लगभग नहीं के बराबर थी अब वे संेसेक्स के 50% से अधिक बाजार की हिस्सेदारी रखती हैं। इसलिए

यह निर्विवाद है कि संसेक्स की रचना में परिवर्तन उस रचनात्मक विकास की ही वास्तविक प्रक्रिया को दिखाते हैं जिसकी वजह से नई प्रौद्योगिकी, उत्पाद और सेवाएँ संयुक्त स्तर में उपभोक्ताओं को प्राप्त हुईं।

हाल के वर्षों में भारत ने एक नये दृष्टिकोण को अपनाया है जहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रचालक कृषि के स्थान पर सेवा क्षेत्र बन गया है। अब लगभग 60 प्रतिशत जीडीपी सेवा क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है। 1988 से 2019 की अवधि में विनिर्माण फर्मों की संख्या में कमी आई है जबकि सेवा क्षेत्र की फर्मों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। इस प्रकार इन वर्षों में संसेक्स में सेवा क्षेत्रीय फर्मों की संख्या का अंश अस्सी के दशक के शून्य स्तर से बढ़कर अब उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। इसके कई कारण है-

- सबसे पहला बाजार पूंजीकरण में वृद्धि कंपनियों की संख्या में वृद्धि के कारण हुई है, पहले से मौजूद कम्पनियों के आकार में वृद्धि के कारण नहीं। इससे यह संकेत मिलता है कि इन क्षेत्रों के अंदर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है।
- दूसरा इन दो क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करने के लिए हरफिन्डल इंडेक्स का उपयोग करने से दोनों क्षेत्रों में संकेन्द्रण में समग्र कमी का पता चलता है। परंतु आईटी के क्षेत्र में हाल में हरफिन्डल इंडेक्स में थोड़ी बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखने लगी है जिससे यह संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाने की गुंजाइश है।
- विदित हो कि रचनात्मक विनाश बाजार में ऐसे नव-परिवर्तन लाता है जो मौजूदा पुरानी प्रौद्योगिकियों के स्थान पर लोगों को अपेक्षाकृत बेहतर सेवाएँ प्रदान करें। यह बाजार में ऐसी नई फर्मों को प्रविष्ट कराता है जो मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए निम्नतर कीमतों के साथ, मौजूदा फर्मों से प्रतियोगिता करती हैं। यह बाजार-स्थल पर ऐसी गत्यात्मकता लाता है कि फर्मे निरंतर सतर्क रहते हुए, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ देने के क्रम में बाजार पर दूर-दूर तक नजर रखती हैं।
- हालांकि जब रचनात्मक विनाश को प्रोत्साहन दिया जाता है तो संबंधित क्षेत्र समग्र रूप में धन-संपदा के सृजन और अधिकतम कल्याण हेतु उस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तिगत कंपनियों की अपेक्षा सदैव ही बेहतर निष्पादन करते हैं। इसमें भारत के लिए वह प्रेरणा निहित है कि व्यवसायवाद की बजाय बाजारवादी विकास की संकल्पना का अनुसरण किया जाए।

बाजारवाद बनाम व्यवसायवाद

- बाजारवादी नीतियों के विपरीत व्यवसायवादी नीतियों से अर्थव्यवस्था में धन का क्षरण होता है, क्योंकि पक्षपातवाद से रचनात्मक विनाश (क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन) की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे अक्षमता में वृद्धि होती है। रघुराम राजन और लुइगी जिंगेल्स ने अपनी पुस्तक में निजी हितों द्वारा विनियामक कब्जे के खतरों का जिक्र करते हुए "पूंजीवादियों से पूंजीवाद को बचाने" की आवश्यकता पर जोर दिया हैं। विदित हो कि 2010 से पहले, यदि फर्मों के प्रवर्तकों के राजनीतिक संपर्क होते थें तो उस फर्म और उसके शेयरधारकों को स्पष्ट लाभ प्राप्त होता था। बीएसई 500 सूचकांक में राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों के सूचकांक ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि किसी अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में जितना लाभ कमाना संभव हो सकता था, इन फर्मों ने व्यवस्थित रूप से उससे अधिक लाभ कमाया। बाजार में इन फर्मों के वर्तमान और भविष्य के लाभ का मूल्य-निर्धारित किया गया, हालांकि निवेशकों को यह पता नहीं था कि वर्ष 2010 तक, ये लाभ अनुचित तरीके से हुआ था। वर्ष 2010 के अंत में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन निजी कंपनियों के नामों की सूची प्रदान की गई, जिन्हें 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में कथित मिलीभगत से लाभान्वित किया गया था।
- वास्तव में, कई वैश्विक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि जब संस्थागत नियंत्रण और संतुलन कमजोर होते हैं, तब राजनीतिज्ञों और व्यावसायिक घरानों के बीच के संबंध अधिक मजबूत हो जाते हैं।
- व्यवसायवादी नीतियाँ बाजारवादी नीतियों की तुलना में विभिन्न प्रकार की अप्रत्यक्ष लागते भी पैदा कर सकती हैं। जब अनुचित तरीके से अपने लोगों को लाभ देने का अवसर मौजूद हो, तो फर्मे प्रतिस्पर्धा एवं नवाचार के जरिए विकास करने के बजाय राजनीतिक पैठ का निर्माण करने में लगी होती हैं। अतः इससे अर्थव्यवस्था द्वारा धन-सम्पदा के सृजन की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अपने लोगों द्वारा अनुचित तरीके से लाभ की मांग का भुगतान ईमानदार व्यवसायियों और नागरिकों द्वारा किया जाता है जिन्हें किसी तरह का कोई अधिमान्यतापूर्ण नहीं मिलता है। इस तरह से धन का हस्तांतरण अर्थव्यवस्था में आय की असमानता को बढ़ाता है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़ी हुई फर्मे उपलब्ध संपत्ति का विस्तार करने के बजाय मौजूदा संपत्ति को हड़पने के लिए अपनी राजनीतिक पैठ का इस्तेमाल करती हैं।

प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना आबंटन

भारत में यू एस ए, रूस, चीन और आस्ट्रेलिया के बाद विश्व में कोयले का पांचवां सबसे बड़ा रिजर्व (भण्डार) है। कोयला भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वदेशी ऊर्जा स्रोत है और इससे भारत की आधे से अधिक ऊर्जा आवश्यकताएँ पूरी होती है। इसलिए, ऐसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन

वित्तीय एवं आई टी क्षेत्रों का हरफिन्डल इंडेक्स

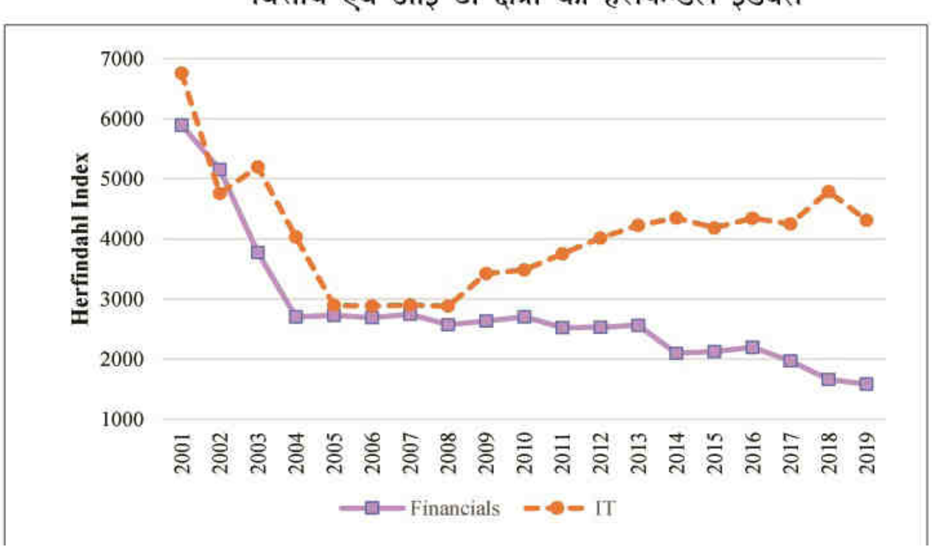

के आबंटन से हमें बाजार अनुकूल और व्यापार अनुकूल नीतियों की तुलना करने के लिए एक बेहतर अध्ययन प्राप्त होता है।

- वर्ष 1993 से पहले, आबद्ध खानों के आबंटन के लिए कोई विशिष्ट कसौटी विद्यमान नहीं थी। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 में जून, 1993 में किए गए संशोधनों में निजी कंपनियों को अपने सीमित प्रयोग के लिए कोयला खनन करने की अनुमति प्रदान की गई। जुलाई, 1992 में आबद्ध खनन में इच्छुक विविध कंपनियों द्वारा किए गए आवेदनों पर विचार करने के लिए और कोयला क्षेत्रों का आबंटन करने के लिए कोयला सचिव की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया। अगस्त, 2012 में, कोयला ब्लॉक आवंटन पर नियंत्रक, महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोयला खंडो के आबंटन में अपनाई गई प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता की जांच की गई। 24 सितम्बर, 2014 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने 15 वर्ष की समयावधि के दौरान भारत सरकार द्वारा किए गए 218 आबंटनों में से 214 आबंटनों को रद्द कर दिया। कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014 और इसके परवर्ती नियम दिसम्बर, 2014 में पारित किए गए और कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 को भारतीय खनन विधायी ढांचे में शामिल किया गया। इस अधिनियम में यह सुनिश्चित किया गया कि कोयला ब्लॉकों का कोई भावी आबंटन केवल प्रतिस्पर्धी नीलामियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
- इसका एक बड़ा कारण था कि जब 1993 से 2011 के बीच संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया में अनियमिता थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ मुफ्त संसाधनों का लाभ फर्म की उत्पादकता और व्यवसाय की मूलभूत बातों के लिए सहायक होनी चाहिए था। वहाँ बाजार के योगदान में निरंतर कई वर्षों तक गिरावट दर्ज की गई। क्योंकि जिस फर्म को मुफ्त संसाधन मिलते हैं वह अपने प्रयासों को उत्पादक व्यावसायिक गतिविधियों के स्थान पर अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने के मार्ग तलाशने लगती है।
- साक्ष्यों से यह पता चलता है कि समिति द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकाधीन आबंटन भ्रष्टाचार के लिए रास्ते उपलब्ध करवाता है। बाद में फर्म मालिकों ने अपना ध्यान उत्पादक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की अपेक्षा इन से लाभ उगाहने की दिशा में केन्द्रित किया।
- संसाधनों के बाजार आधारित आबंटन की ओर परिवर्तन इन भ्रष्टाचार के रास्तों को दूर करता है, उत्पादकता आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देता है और अधिक सम्पत्ति उत्पन्न करता है।

जोखिम रहित प्रतिफल

हालांकि, किसी भी निवेश का प्राथमिक सिद्धांत यह है कि उच्च प्रत्याशित प्रतिफल उच्च जोखिम के साथ आते हैं। कई भारतीय फर्मो ने अनुषांगिक जोखिम के बिना प्रतिफल प्राप्त करने का एक अनोखा तरीका तलाश लिया है। व्यवसाय अच्छे समय में लाभ का उपभोग करते हैं, किन्तु अक्सर खराब समय में स्थिति से उबरने के लिए वे सरकार या अपने वित्त प्रदाताओं के भरोसे रहते हैं। इस तरह के जोखिम रहित रिटर्न का एक उदाहरण विलफुल डिफॉल्ट (जानबूझ की चूक) की घटना है- यह एकतरफा जुए का एक उत्कृष्ट तरीका है जिसमें हेड्स, आने पर प्रमोटर जीतता है; टेल्स आने पर ऋणदाता हार जाता है। विलफुल डिफाल्ट उस समय होती है जब फर्म ऋण लेती हैं, फर्म से हुए लाभ को मालिक के निजी लाभ के लिए मोड़ देती हैं, ऋण शोधन में असमर्थता दर्शाती हैं और स्वयं,को दीवालिया घोषित कर देती हैं, जिसके द्वारा हितधारकों - लेंडर(ऋणदाताओं), अल्पसंख्यक शेयरधारक, कर्मचारी, विनियामक और सरकारी देयताओं को नुकसान उठाना पड़ता है।

आरबीआई विलफुल डिफाल्टर को ऐसी फर्म के रूप में परिभाषित करती है जो अपनी देयताओं को पूरा करने की क्षमता होते हुए भी अपनी पुनर्भुगतान देयताओं को पूरा करने में चूक करती है। किसी फर्म को विलफुल डिफाल्टर नाम दिया जा सकता है, यदि वह अपनी निधियों का उपयोग उन उद्देश्यों से इतर किसी अन्य उद्देश्य के लिए करती है जिसके लिए ऋणदाता द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया था।

आर्थिक समीक्षा (2019-20)के अनुसार वर्ष 2018 में, विलफुल डिफाल्टरों पर अपने- अपने ऋण दाताओं के 1.4 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं। चालू दशक के आरंभ से ही इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। ये डिफाल्टर बहुत से क्षेत्रों में व्याप्त हैं जिनमें से विनिर्माण फर्मो का हिस्सा सबसे अधिक संख्या है।

2018 में जान बूझकर ऋण न चुकाने वालों पर बकाया राशि की तुलना इसी वर्ष में नागरिकों के कल्याण हेतु संघीय बजट आवंटन से की गई है। जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों का धन अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहता तो यह स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के आवंटन को दोगुना, ग्रामीण विकास के आवंटन के दोगुना, अथवा मनरेगा के आवंटन के तिगुना करने हेतु आवश्यक राशि के बराबर होता।

निष्कर्ष

बाजार अनुकूल नीतियों से प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होती है, व्यापार अनुकूल नीतियां कभी-कभी बाजारों के प्रतिकूल बन जाती हैं। ऐसी नीतियों से सीमित व्यवसायिक हितों को तो लाभ पहुंचता है किंतु इससे समाज कल्याण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है क्योंकि व्यवसाय की आवश्यकता समाज के हित के प्रतिकूल हो सकती हैं। उदाहरणार्थ: सरकार पर विभिन्न व्यापारियों द्वारा सम्मिलित रूप से दबाव बनाया जा सकता है कि उनके उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा को कम किया जाए उनसे प्रतिस्पधी करने वाली मदों के आयात को प्रतिबंधित किया जाए अथवा नियमों के अनुपालन में कुछ छूट दी जाए। ऐसे प्रयासों से सम्मिलित दबाव बनाने वाले व्यापारी समूह की आय में बढ़ोत्तरी हो जाती है किंतु इससे बाजार कमजोर हो जाता है और समग्र कल्याण कम हो जाता है। इस प्रकार व्यवसाय-अनुकूल (प्रोबिजनस) नीतियाँ अनजाने में बाजार विरोधी बन जाती है।

अत: आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाय जिससे व्यवसायों में प्रतिस्पर्धा भी बना रहे तथा उपभोक्ताओं को लाभ भी हो सके। इससे व्यापार समर्थक इकाइयों का विकास होगा तथा पक्षवाद की संभावना भी कम हो जाएगी। इसके साथ ही यदि उदारीकरण का लाभ उठाना है तथा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो एक सही नीति के तहत आगे बढ़ना होगा। यहीं नहीं छोटी व बड़ी कंपनियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।
- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।

■

3. नेटवर्क उत्पादों में निर्यात–विशेषज्ञता द्वारा रोजगार सृजन एवं विकास

चर्चा का कारण

हाल ही में वित्त मंत्री ने संसद में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक समीक्षा पेश की। इस समीक्षा में नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात-विशेषज्ञता द्वारा रोजगार-सृजन और विकास का खाका खींचा गया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 'असेम्बल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' की नीति को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के साथ एकीकृत करके भारी मात्रा में रोजगार सृजन किया जा सकता है जो भारत के जनांकिकीय लाभांश हेतु अति आवश्यक है।

परिचय

अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु वर्तमान परिवेश भारत को चीन जैसे श्रम-प्रधान निर्यात पथ का अनुसरण करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है जो उदीयमान युवाओं को लिए असीमित रोजगार अवसर सृजित करने की क्षमता रखता हैं। 'असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' को 'मेक इन इंडिया' के साथ एकीकृत करके, भारत वर्ष 2025 तक 4 करोड़ और वर्ष 2030 तक 8 करोड़ उत्तम वैतनिक रोजगार सृजित कर सकता है। नेटवर्क उत्पादों का निर्यात, जिसके वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर 7 ट्रिलियन डालर तक पहुंचने की आशा है, वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य-वर्धन करते हुए इसके एक चौथाई तक योगदान कर सकता है। इसलिए, आर्थिक समीक्षा में इस सुअवसर का लाभ उठाने के लिए एक सुविचारित कार्यनीति का उल्लेख किया गया है।

- भारत की तुलना में चीन का उल्लेखनीय निर्यात कार्यनिष्पादन श्रमप्रधान गतिविधियों, विशेष रूप से 'नेटवर्क उत्पादों' के सबंध में, सुविचारित व्यापक विशेषज्ञता से प्रेरित है, जहाँ उत्पादन का कार्य बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा प्रचालित वैश्विक मूल्य- शृंखलाओं (जीवीसी) के माध्यम से होता है। नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर असेंबलिंग कार्यों की समर्थकारी व्यवस्था पर बारीकी से फोकस करने की आवश्यकता है।
- निर्यातों में वृद्धि भारत में रोजगार सृजन के लिए आवश्यक मार्ग प्रशस्त करती है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2001 से 2006 तक 5 वर्ष की अवधि में ही, श्रम प्रधान निर्यातों से चीन प्राथमिक शिक्षा के श्रमिकों के लिए 70 मिलियन नौकरियाँ सृजित करने में समर्थ हुआ। भारत में, बढ़े हुए निर्यातों से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999 और 2011 के बीच की अवधि में लगभग 8,00000 रोजगार का अनौपचारिक से औपचारिक में परिवर्तन हुआ है, जो श्रमिक बल के 0.8 प्रतिशत का द्योतक है।
- यूएस-चीन व्यापार संघर्ष के कारण वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) में मुख्य समायोजन किया जा रहा है और फर्में अब अपने प्रचालनों के लिए वैकल्पिक स्थानों की तलाश कर रही हैं।
- औद्योगिक उत्पादों की अंतिम असेंबली के लिए निम्न लागत के स्थान के रूप में चीन की छवि श्रम में कमी और मजदूरी में वृद्धि के कारण तेजी से बदल रही है। ये घटनाक्रम भारत के समक्ष समान निर्यात ट्रेजेक्टरी की प्रगति एवं विकास को सावधानी से और विस्तारपूर्वक जानने का एक अप्रत्याशित अवसर प्रस्तुत करते हैं।
- श्रमिकों की बाहुल्यता के मामले में भारत के अलावा कोई भी अन्य देश चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए हमकों श्रम व्यापी सेक्टरों में रिक्त होने वाले स्थान को हथिया लेना चाहिए।
- वर्ष 1991 के सुधारों के बाद, व्यापारिक (माल) निर्यातों में भारत की भागीदारी 3.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है फिर भी भारत की विश्व बाजार में भागीदारी चीन की 12.8 प्रतिशत की भागीदारी की तुलना में नगण्य है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यापारिक निर्यात विश्व के औसत की तुलना में भारत के लिए अत्यधिक मात्रा में निरंतर नीचे रहा है। व्यापारिक आयात, निर्यातों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा में वृद्धि हो रही है, सेवाओं के निर्यात सामान्यत: आयातों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़े हैं, जिसके कारण चालू खाता घाटे में कुछ राहत मिली है।
- भारत को ऐसे औद्योगिक समूहों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें 'नेटवर्क उत्पाद' कहा जाता है, नेटवर्क उत्पादों के उदाहरण में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण, सड़क के वाहन आदि शमिल होते हैं।
- चीन में उपकरणों के पूर्जो को आयात कर और इन्हें जोड़ कर (असेंबल कर) उपकरण बनाने का कार्य कर चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर रोजगार सृजित किया है। इसी प्रकार एकीकरण द्वारा मेक इन इंडिया में 'असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' की व्यवस्था शामिल है। इससे भारत अपनी निर्यात बाजार भागीदारी को 2025 तक लगभग 3.5 प्रतिशत और 2030 में 6 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है जो कि पूर्ण रूप से व्यवहार्य है।

चीन की तुलना में भारत का निर्यात में निम्न-निष्पादन

विशेषज्ञता बनाम विविधीकरण

- क्या भारत के निर्यात निष्पादन में फीकापन भारत की निर्यात बास्केट में विविधीकरण की कमी के कारण (अत्यधिक मार्जिन) है या यह विशेषज्ञता की कमी के कारण (गहन मार्जिन) है? विविधीकरण के रूप में भारत स्पष्ट रूप से लगभग चीन के निकट आ रहा है। समग्र रूप से निम्न विशेषज्ञता के साथ उच्च विविध औद्योगीकरण का तात्पर्य यह है कि भारत बहुत से उत्पादों और भागीदारों के संबंध में अपने निर्यात का कम प्रसार करता है जिसके वजह से चीन की तुलना में इसका निष्पादन कम होता है।
- भारत मुख्य निर्यातक बनना चाहता है तो भारत को अपने तुलनात्मक हित के क्षेत्र में अधिकाधिक विशेषज्ञता हासिल करनी होगी और पर्याप्त विस्तार करना होगा।

वैश्विक मूल शृंखला में भागीदारी का निम्न स्तर

- बड़ी संख्या में श्रमिकों की उपलब्धि के बावजूद भारत के गैर-तेल व्यापार निर्यात में परम्परागत अकुशल श्रमिक प्रधान उद्योगों की हिस्सेदारी जो वर्ष 2000 में 30.7 प्रतिशत थी वह वर्ष 2018 में घटकर आधी यानि लगभग 16.3 प्रतिशत रह गई।

- वर्ष 1990 के दशक तक चीन की निर्यात संवर्धन नीतियां ज्यादातर इसके घरेलू उद्योगों को वैश्विक शृंखलाओं के अंतर्गत एकीकृत करने की कार्यनीति पर आश्रित रही हैं।

उच्च आय देशों में असमान रूप से कम बाजार प्रवेश

- उच्च आय वाले देशों के बाजारों में भारत का प्रवेशन स्पष्ट रूप से कम है और हाल के दशकों के दौरान इसमें आनुपातिक अंतर से गिरावट हुई है।
- पूंजी प्रधान उत्पादों के विपरीत, उच्च आय वाले देश भारत के अकुशल श्रम-प्रधान उत्पादों के लिए सापेक्षिक रूप से एक वृहत्तर बाजार उपलब्ध कराते हैं। वही दूसरी ओर चीनी उत्पाद, चाहे वे पूंजी प्रधान उत्पाद के रूप में ही या अकुशल श्रम-प्रधान उत्पाद के रूप में उच्च आय वाले तथा निम्न मध्यम आय वाले दोनों देशों के बाजारों में समान रूप से अपनी पैठ बनाने में सफल होते हैं।
- भारत उच्च आय वाले बाजारों के साथ अधिक से अधिक व्यापार के संभावित अवसरों का उपयोग करके महत्त्वपूर्ण रूप से लाभान्वित हो सकता है किंतु इसके लिए हमें अपने ट्रेड-स्पेशलाइजेशन (व्यापारिक विशेषताओं) का पुनर्भिमुखीकरण ऐसे उद्योगों की ओर करना होगा जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिकों द्वारा उत्पादों का सृजन किया जाता है।

ग्लोबल वैल्यू चेन मे भागीदारी से लाभ प्राप्त करना।

- क्या देशीय उद्योगों के लिए स्वदेशी स्रोतों से सहायक सामग्री व निर्मित माल को प्राप्त करके शक्तिशाली स्थानीय शृंखला को बढ़ावा दिया जाए अथवा जी.वी.सी. में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, जिसके स्रोत विश्वभर में फैले हुए हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उक्त नीतियों में से किस नीति के परिणामों द्वारा देश के व्यापार से होने वाले लाभ में वर्धन होगा तथा देश में रोजगार का सृजन होगा।
- भारत ग्लोबल वैल्यू चेन (जीवीसी) में प्रचुर लाभांश की सहभागिता को सुदृढ़ करने के लिए लक्ष्य से निर्मित नीतियों को अंगीकृत करके इनसे लाभ प्राप्त कर सकता है।

रोजगार के सृजन हेतु कौन से उद्योगों में भारत को विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए

- श्रम-गहन गतिविधियों में हमारे तुलनात्मक लाभ और बढ़ती श्रम शक्ति के लिए रोजगार सृजन की अनिवार्यता को देखते हुए उद्योगों के दो समूह हैं, जो निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन की सबसे बड़ी संभावना रखते हैं।
- सर्वप्रथम, भारत के पारंपरिक अकुशल श्रमसाध्य उद्योगों जैसे कि कपड़ा, वस्त्र, फुटवियर और खिलौना में पर्याप्त अप्रयुक्त निर्यात संभावनाएं मौजूद हैं।
- इन उद्योगों में जीवीसी का संचालन 'क्रेता संचालित' नेटवर्क द्वारा होता है जिनमें विकसित देशों में स्थित अग्रणी कम्पनियाँ अधिक मूल्यवर्धन वाले कार्यों जैसे डिजाइन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान देती हैं। विकासशील देशों में कम्पनियों द्वारा उप-संविदा व्यवस्थाओं के माध्यम से वास्तविक उत्पादन किए जाते हैं। ऐसे उदाहरणों में वालमार्ट, नाइक, आदि की उत्पादन शृंखलाएं शामिल हैं।
- दूसरी ओर भारत में अनेक उत्पादों (जिन्हें 'नेटवर्क उत्पाद' के रूप में जाना जाता है) की फाइनल असेंबलिंग के बड़े हब के रूप में उभरने की भारी संभावनाएं हैं।
- इन उद्योगों में जीवीसी पर नियंत्रण 'उत्पादक संचालित' नेटवर्कों के अंतर्गत अग्रणी एनएनई जैसे कि एप्पल, सैमसंग, सोनी आदि का होता है। सामान्यत: इन उत्पादों का उत्पादन किसी निर्दिष्ट देश के भीतर शुरू से अंत तक नहीं किया जाता है, बल्कि देश किसी विशेष कार्य या सामान के उत्पादन शृंखला के चरणों के विशेषज्ञ होते हैं। उत्पादन नेटवर्क के अंतर्गत प्रत्येक देश उत्पादन प्रक्रिया के एक विशेष हिस्से का विशेषज्ञ होता है, यह विशेषज्ञता उस देश के तुलनात्मक लाभ पर आधारित होती है।
- श्रमिक बहुलता वाले देश (जैसे चीन) उत्पादन की कम कुशल श्रमसाध्य प्रक्रियाओं (जैसे असेम्बलिंग आदि) के विशेषज्ञ होते हैं जबकि धनी देश पंजीकृत एवं कौशलसाध्य प्रक्रियाओं (जैसे कि अनुसंधान एवं डिजाइन आदि) के विशेष होते हैं। इस प्रकार अग्रणी कम्पनियां अधिक आय वाले मुख्यालयों (जैसे यू.एस.ए, ई.यू और जापान) में कौशल एवं ज्ञानसाध्य कार्यों को रखती हैं जबकि असेंबलिंग से संबंधित कार्य कम आय वाले देशों (जैसे चीन एवं वियतनाम) में रखती हैं।

पूर्वी एवं दक्षिणी-पश्चिमी एशिया की तुलना में भारत

- थोड़ी वृद्धि के बावजूद भारत की निर्यात बास्केट में नेटवर्क उत्पाद उत्पादों का शेयर बहुत कम है (2018 में 10%)। इसके विपरीत चीन,जापान एवं कोरिया के कुल राष्ट्रीय उत्पादों में इनका शेयर लगभग आधा है।
- भारत की आयात बास्केट में अधिकांशत: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युत मशीनरी होती है, जो मुख्यत: घरेलू अंतिम प्रयोग के लिए बनी होती है।
- भारत के नेटवर्क उत्पाद (नेटवर्क उत्पाद) निर्यातों शेयर में वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2018 में वृद्धि दर्ज की गई है।
- सड़क वाहन, विद्युत मशीनरी, दूर संचार एवं ध्वनि रिकार्डिंग उपस्कर एवं व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक उपस्कर भारत से निर्यात किए गए नेटवर्क उत्पाद उत्पादों की मुख्य श्रेणी है।
- विद्युत मशीनरी के अलावा, अन्य दो उप-श्रेणियाँ, जिनमें भारत महत्वपूर्ण निर्यात वृद्धि कर सकता है, वे हैं: (i) कार्यालय मशीने एवं स्वचालित डाटा प्राक्रमण मशीने, (ii) दूर संचार एवं ध्वनि रिकार्डिंग।
- अनेक अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भारत में एसेंबली सयंत्र स्थापित किए हैं तथा उनमें से कुछ ने अपने उत्पादन नेटवर्क के अंदर भारत को निर्यात बेस के रूप में आरंभ करना शुरू कर दिया है।
- ऑटो उद्योग के विपरीत, ऐसी एमएनसी, जिन्होंने भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत वस्तु उद्योग में उत्पाद बेस स्थापित किए हैं, मुख्यत: घरेलू बाजार के लिए उत्पादन करती हैं।

प्रवेश का पैटर्न

- नेटवर्क उत्पाद के लिए निर्यात बाजार में प्रवेश करने वाला पहला एशियन देश जापान था, इसके बाद अनेक पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिमी एशियन देशों ने इसका अनुसरण किया।
- नेटवर्क उत्पाद निर्यात में टेक ऑफ प्रक्रिया भारत में प्रारंभ हो सकती है।

रोजगार एवं जीडीपी का संभावित लाभ

- नेटवर्क उत्पाद को विशेष तरजीह देने की नीति से रोजगार सृजन एवं जीडीपी दोनों में महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है।
- वर्ष 2025 तक नेटवर्क उत्पाद के विश्व निर्यात में भारत के शेयर का 3.6% तक बढ़ाने से अगले 5 वर्षों के दौरान देश में 38.5 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित होने

की संभावना है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2030 में 6.1% तक इस शेयर को बढ़ाने से अगले 10 वर्षों के दौरान 82.2 मिलियन अतिरिक्त रोजगार पैदा होने की संभावना है।

भावी परिदृश्य

ऐसे देशों के अनुभवों, जिन्होंने त्वरित एवं संधारणीय प्रगति की है, से पता चलता है कि भारत नेटवर्क उत्पादों के निर्यात बाजार में अपनी साझीदारी को मजबूत करने के लिए लक्षित नीतियों को अपना कर भारी लाभांश अर्जित कर सकता है। अपेक्षाकृत निम्न कौशल वाली व्यापक जनशक्ति के साथ भारत की वर्तमान ताकत नेटवर्क उत्पाद एसेंबलिंग में प्रमुख भूमिका रखती है। जबकि लघु से मध्यम अवधि उद्देश्य एसेम्बलिंग गतिविधियों का बड़े पैमाने पर विस्तार करना है, ऐसा करने के लिए पार्ट्स एवं संघटकों (जीवीसी के अंदर उन्नयन करके) के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयातित पार्ट्स एवं संघटकों का प्रयोग करना दीर्घावधि उद्देश्य होना चाहिए। एसेंबलिंग एक उच्च श्रम केंद्रित कार्य है, जो कि भारी मात्रा में रोजगारदे सकती है, जबकि पार्ट्स एवं संघटकों के घरेलू उत्पादन से उच्च कौशल वाले रोजगार सृजित होंगे।

नेटवर्क उत्पादों के निर्यात के लक्षित स्तर से प्राप्त अतिरिक्त योजित मूल्य वर्ष 2025 तक भारत की 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपेक्षित वृद्धि का एक चौथाई होगा।

एक महत्वपूर्ण सरोकार यह है कि जीवीसी में सहभागिता यह इंगित करती है कि निम्न वृद्धि वाले देश उत्पादन प्रक्रियाओं के निम्न सिरे पर स्थायी रूप से बने रहेगें। हालाँकि इस पूर्वाभास को काफी हद तक भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने झुठलाया है।

एसेम्बलिंग गतिविधियों के लिए आर्कषक स्थान बनने हेतु किसी भी देश के लिए यह आवश्यक है कि मध्यवर्ती इनपुटस के लिए आयात टैरिफ शून्य या नगण्य हो। इसके लिए पारिस्थितिक माहौल तैयार करना भी आवश्यक है जिससे श्रम व्यापक प्रक्रियाओं एवं उत्पाद लाइनों की ओर भारत के विशेषज्ञ पैटर्न का पुनः संरेखन हो। श्रम बाजार में चलाए जा रहे सुधारात्मक उपाय चालू रहने चाहिए। प्रो- एक्टिव एफडीआई नीति भी महत्वपूर्ण है चूंकि वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में देश को प्रवेश करने के लिए एमएनई अग्रणी वाहन है। एसेंबली प्रक्रियाओं के लिए न केवल प्रशिक्षण योग्य निम्न लागत वाला अकुशल श्रम की आवश्यकता होगी, बल्कि बड़े स्तर के पर्यवेक्षण जनशक्ति की भी आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, एप्पल ने चीन में 7,00,000 फैक्टरी कामगारों को रोजगार दिया, इससे न सिर्फ उन कामगारों को रोजगार मिला, बल्कि कामगारों को कार्यस्थल पर पर्यवेक्षण के लिए 30000 इंजीनियरों की भी नियुक्ति की।

सेवा से जुड़ी लागतों (किसी देश में दूसरे देशों के साथ समन्वय गतिविधियों के संबंध में परिवहन, संचार और अन्य कार्यों से जुड़ी लागतें) के स्तर का कम होना देश के लिए जीवीसी में उनकी सहभागिता सुदृढ़ करने के लिए पूर्व शर्त है। किसी स्थान पर नौवहन में देरी, विद्युत आपूर्ति न होने, राजनीतिक अस्थिरता, श्रमिक विवाद, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आदि के कारण से पूरी उत्पादन शृंखला बाधित हो जाती है। नीतिगत उपायों में इनपुट्स के प्रशुल्क को कम करने, मुख्य बाजार सुधार कारकों के कार्यान्वयन, देश में प्रमुख फर्मो के प्रवेश के अनुकूल माहौल बनाने तथा सेवा से जुड़ी लागतों को कम करने पर बल दिया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

4. भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने का लक्ष्य

चर्चा का कारण

आर्थिक समीक्षा (2019-20) का केन्द्रीय विषय 'अर्थ सम्पदा के सृजन' को रखा गया है। आर्थिक समीक्षा में ऐसी नीतियों का फ्रेमवर्क तैयार करने का विनम्र प्रयास किया गया है जो भारत में सम्पदा की वृद्धि का कारण बन सकें। क्योंकि संपत्ति वितरण तभी हो सकता है जब सम्पत्ति का सृजन किया जाये। उद्यमिता, नवाचार और धन वृद्धि के प्रयास में व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) एक महत्वपूर्ण घटक है।

परिचय

वर्ष 2024-25 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर-अर्थव्यवस्था की दिशा में छलांग लगाने के लिए एक व्यवसाय के अनुकूल विनियामक परिवेश तैयार करने और उसे सरल बनाए रखने की आवश्यकता होगी। व्यापार करने में शामिल विनियामक प्रक्रिया में दबावों और अंतराल को समाप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न प्राचलों (Parameters) पर अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलनात्मक रूप में देश की प्रगति का मापन किया जाए।

विश्व बैंक की, व्यवसाय सुगमता वाले देशों की रैंकिंग में, भारत ने वर्ष 2014 में 142 वें स्थान से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2019 में 63वाँ स्थान हासिल करके इस संबंध में सुधार की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है। भारत ने 10 में से 7 प्राचलों, पर प्रगति दर्ज की है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) उन सुधारों की सूची में शीर्ष पर हैं जिन्होंने रैंकिंग में भारत की प्रगति को प्रेरित किया है।

तथापि, भारत कुछ प्राचलों के मामले में खराब स्थिति में है, यथा-व्यवसाय प्रारंभ करने की सुगमता (रैंक-136), संपत्ति का पंजीकरण (रैंक-154), करों का भुगतान (रैंक-115), संविदाओं का प्रवर्तन (रैंक-63) आदि। संपत्ति का पंजीकरण कराने में लगभग 58 दिनों का समय लगता है और संपत्ति के मूल्य का औसतन 7.8 प्रतिशत खर्च आता है तथा किसी स्थानीय प्राथमिक न्यायालय के माध्यम से किसी व्यापारिक विवाद के समाधान में एक कंपनी के 1,445 दिन खर्च हो जाते हैं। ये आँकड़े न केवल समय की दृष्टि से बड़े हैं बल्कि ओईसीडी उच्च आय-अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में खर्चे की दृष्टि से भी बड़े हैं और इसलिए, धन-समृद्धि के मार्ग में इनसे अड़चनें उत्पन्न होती हैं।

व्यवसाय सुगमता में वैश्विक तुलना

1. **कार्य-निष्पादन (Performance):** भारत के कार्य-निष्पादन की तुलना इसके समकक्ष देशों (यथा-चीन, ब्राजील एवं इंडोनेशिया) के साथ-साथ ईज ऑफ डूईंग बिजनेस (ईओडीबी) में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में, न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था से करते हैं तो यह पता

चलता है कि भारत किस प्रकार से वर्ष 2009 से 2019 के दशक के दौरान ईओडीबी के केवल उन्हीं मापदंडों पर कितना खरा उतरा जिनमें वह पिछड़ता है, जैसे व्यवसाय प्रारंभ करना, संपत्ति पंजीकरण करना, करों का भुगतान करना तथा अनुबंध लागू करना आदि। ये तुलनाएँ उस अंतराल को प्रदर्शित करती हैं जिन्हें भारत को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को हासिल करने के लिए भरने की आवश्यकता है।

भारत के कार्य-निष्पादन की तुलना समान प्राचलों पर उसके समकक्ष देशों जैसे चीन, ब्राजील एवं इंडोनेशिया से करें तो यह पता चलता है कि चीन ने वस्तुतः समस्त प्राचलों पर भारत से बेहतर कार्य-निष्पादन किया है।

2. **व्यवसाय स्थापनाः** भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं की संख्या पिछले 10 वर्षों के दौरान 13 से घटाकर 10 कर दी गई है। मौजूदा समय में, भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए औसतन 18 दिन लगते हैं जबकि वर्ष 2009 में 30 दिन लगते थे। दूसरी ओर न्यूजीलैंड में व्यवसाय निगमन की एक समेकित प्रक्रिया है जोकि एक एजेंसी के साथ एकल विंडो के माध्यम से पूरी हो जाती है। न्यूजीलैंड में व्यवसाय स्थापित करने के लिए एकल फार्म एवं न्यूनतम लागत के साथ मात्र आधे दिन का ही समय लगता है। हालांकि, भारत ने व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समय एवं लागत को काफी कम किया है, फिर भी इस दिशा में और अधिक प्रयास अपेक्षित है।

    अन्य देशों के साथ तुलना में किसी उद्यमी को भारत में कोई व्यवसाय आरंभ करने के लिए 10 प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है तो 17 से 18 दिन लगते हैं। दूसरी ओर इंडोनेशिया और ब्राजील में व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भारत से एक अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। हालांकि प्रक्रियाओं को पूरा करने में इंडोनेशिया में भारत से चार दिन कम लगते हैं। ब्राजील में लगभग भारत के बराबर समय लगता है। वस्तुतः पाकिस्तान, तुर्की एवं श्रीलंका में व्यवसाय प्रारंभ करना भारत की तुलना में कम जटिल है।

3. **सम्पत्ति पंजीकरणः** भारत में संपत्ति पंजीकरण के लिए नौ प्रक्रियाएँ हैं और इसमें कम-से-कम 49 दिन लगते हैं। साथ ही भारत में संपत्ति के पंजीकरण के लिए संपत्ति के मूल्य का 7.4-8.1 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है। इसी तरह, भारत में संपत्ति को पंजीकृत करने के लिए ब्राजील की तुलना में पाँच प्रक्रियाएँ कम हैं, हालाँकि भारत (49-68 दिन)की तुलना में ब्राजील (31 दिन) में सम्पति पंजीकरण बहुत कम समय लगता है। दूसरी ओर, इंडोनेशिया में केवल छह प्रक्रियाएँ हैं और सम्पत्ति को पंजीकृत करने के लिए ब्राजील के समान समय लगता है।

4. **कर भुगतानः** करों का भुगतान करने के मामले में, पिछले दशक के दौरान करों के भुगतानों की संख्या 59 से 12 होने के बावजूद, इसमें लगने वाले समय में कोई विशेष कमी नहीं आई है। भारत में करों का भुगतान करने के लिए प्रतिवर्ष 250-254 घंटे लगते हैं, जबकि न्यूजीलैंड में 140 घंटे लगते हैं। करों की संख्या के मामले में इंडोनेशिया (26) में भारत (10-12) की तुलना में प्रतिवर्ष भुगतान की संख्या दुगुनी से अधिक होती है जबकि इसके नागरिक भारत की तुलना में भुगतान करने में कम समय लगाते हैं। ब्राजील की स्थिति इस मामले में अधिक खराब है।

5. **अनुबंधः** अनुबंधों को लागू करने में भारत का कार्य-निष्पादन काफी खराब रहा है। भारत में एक औसत विवाद के समाधान में 1,445 दिन लगते हैं, जबकि न्यूजीलैंड में 216 दिन ही लगते हैं। पिछली आर्थिक समीक्षा में भी यह तर्क दिया गया था कि भारत में व्यवसाय करने में सुगमता में सबसे बड़ी बाधा अनुबंधों को लागू करने और विवादों के समाधान में इसकी अक्षमता है, लेकिन इसमें कोई खास सुधार नहीं हो पाया है। अनुबंधों को लागू करने में भारत का कार्यनिष्पादन उसके समकक्ष देशों की तुलना में काफी खराब है। जहाँ एक ओर भारत में किसी अनुबंध को लागू करने के लिए लगभग चार वर्ष लगते हैं, वहीं ब्राजील और इंडोनेशिया में इसको लागू करने के लिए क्रमशः 2.2 एवं 1.1 वर्ष की समयावधि है।

    व्यवसाय करने के विनियमों को सुगम बनाने के लिए एक समग्र मूल्यांकन और व्यवसाय को पनपने के लिए एक परिवेश प्रदान करने के लिए सतत प्रयास एक मुख्य संरचनात्मक सुधार होगा जोकि भारत को 8-10 प्रतिशत की वार्षिक दर से सतत विकास करने में सक्षम बनाएगा इसके लिए प्राप्त प्रतिपुष्टि के व्यावहारिक दृष्टिकोण उसके स्पष्ट विनियमन एवं सतत समायोजन की अपेक्षा होगी।

विनिर्माण में विधिक जटिलता एवं सांविधिक अनुपालन की आवश्यकता

भारत में कंपनियों के समक्ष आने वाली एक बड़ी चुनौती विधिक जटिलता और सांविधिक अनुपालन की अपेक्षाओं सहित भारतीय संविधान के ढांचे की जटिल संरचना है। भारत में विनिर्माण इकाइयों को लगभग 6,796 अनुपालन मदों की पुष्टि करनी पड़ती है जोकि एक थकाऊ एवं समय लगने वाला कार्य है। यह कोई विस्तृत सूची नहीं है और न ही प्रत्येक विनिर्माता पर प्रत्येक नियम लागू होता है। यह केवल उस क्षेत्र द्वारा अनुपालन किए जाने वाली भ्रांतिपूर्ण विस्तृत रेंज के नियमों का मात्र एक उद्धरण है।

व्यवसाय शुरू करनाः रेस्टोरेंट चलाने में नियामक बाधाएँ

- सेवा क्षेत्र में तो सामान्य से व्यवसाय में भी कई नियामक बाधाएँ आती हैं। बार और रेस्टोरेंट क्षेत्र विश्व में हर जगह रोजगार एवं विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- एक सर्वेक्षण से यह प्रदर्शित हुआ है कि भारत में एक रेस्टोरेंट (भोजनालय) खोलने के लिए अपेक्षित लाइसेंसों की संख्या कहीं अधिक है, जबकि चीन और सिंगापुर को केवल चार लाइसेंसों की जरूरत होती है।
- नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के अनुसार, बेंगलुरू में रेस्टोरेंट खोलने के लिए कुल 36 अनुमोदन, दिल्ली में 26 और मुम्बई में 22 अनुमोदन अपेक्षित हैं। इसके अलावा, दिल्ली और कोलकाता के लिए एक 'पुलिस ईटिंग हाऊस लाइसेंस' की भी आवश्यकता होती है। जो नए हथियारों और अत्यधिक मात्रा में पटाखों की खरीद-फरोख्त करने के लिए लाइसेंस हेतु अपेक्षित दस्तावेजों की संख्या की तुलना में कहीं अधिक है।

निर्माण अनुज्ञा

- फैक्ट्री/वेयर हाउस इमारत को स्थापित करने के लिए प्रक्रिया में शामिल समय और लागत के अतिरिक्त लाइसेंस और परमिट प्राप्त करना, निर्माण पूरा होने पर उससे संबंधित अधिसूचना एवं निरीक्षण और उपयोगिता कनेक्शन प्राप्त करना आवश्यक है। दिल्ली

में निर्माण कार्य संबंधित इन परमिटों को प्राप्त करने में लगभग चार महीने लगते हैं। साथ ही पानी एवं सीवर कनेक्शन मिलने में 35 दिनों का समय और लगता है।

- जबकि श्रेणियों में उत्तम के साथ तुलना की जाये तो- निर्माण परमिट शीघ्र प्राप्त करने के मामले में विश्व बैंक की रैंकिंग के अनुसार हाँगकाँग सबसे ऊपर है जहाँ केवल दो महीने से कुछ अधिक समय ही निर्माण कार्य से संबंधित परमिट देने में लगते हैं।
- हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले पाँच वर्षों में भारत ने निर्माण कार्य से संबंधित परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सुधार किया है। 2014 की तुलना में वेयरहाउस (गोदाम) लागत 186 दिन और 28.2 प्रतिशत थी; वहीं 2019 में वेयरहाउस लागत 98-113.5 दिन और 2.8-5.4 प्रतिशत रही है।

व्यवसाय कार्यक्षमता

भारत में व्यवसाय कार्यक्षमता से सम्बन्धित मामले में मुख्य समस्या पैमानों (स्केल) की है। अधिकतर निर्माण इकाईयों की क्षमता कम होती है, और इस तरह कम निर्माण क्षमता होने की हानि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ती है। बंग्लादेश, चीन, वियतनाम जैसे देशों ने घरेलू उत्पादन क्षमता और सुपुर्दगी (डिलिवरी) करने के समय को बेहतर किया है और अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा के द्वारा अपनी महत्ता को बढ़ाया है।

बांग्लादेश, चीन और वियतनाम की तुलना में भारत में जहाँ बड़े उद्यमों द्वारा किए जा रहे निर्यात का बाजार मूल्य 80 प्रतिशत से अधिक वहीं छोटे उद्यमों का निर्यात मूल्य 80 प्रतिशत है। इसी तरह भारतीय आपूर्ति श्रृंखला में बड़ी मात्रा में छोटे खेप अपर्याप्त माल मार्ग के कारण रुके पड़े होते हैं।

माल की आपूर्ति के संबद्ध में आर्डर से डिलिवरी के बीच लगने वाला समय भारत में औसतन 63 दिन है जबकि चीन में यह 31 दिन, बांग्लादेश में 50 दिन और वियतनाम में 46 दिन है। वहीं माल को पत्तन तक पहुँचाने में भारत में 7-10 दिन लगते हैं जबकि बांग्लादेश में 1 दिन, चीन में 0.2 दिन और वियतनाम में 0.3 दिन का समय लगता है।

सीमापार व्यापार

वैश्विक रूप से, पत्तनों द्वारा माल की ढुलाई सर्वाधिक पसंदीदा साधन है, तथा उसके बाद रेलवे और फिर सड़कों को तरजीह दी जाती है, जबकि भारत में इसकी स्थिति विपरीत है। इटली, सीमापार व्यापार में ईओडीबी रैंकिंग में सबसे ऊपर है। भारत में क्रमशः निर्यातों और आयातों के लिए सीमापार और दस्तावेजीय अनुपालन में क्रमशः 60-68 और 88-82 घंटे का समय लगता है, वहीं इटली में प्रत्येक के लिए केवल एक घंटे का ही समय लगता है। इसके अलावा, इटली में अनुपालन लागत शून्य आती है। भारत के मामले में, इसकी लागत क्रमशः निर्यातों और आयातों के लिए 260-281 यूएस डॉलर और 360-373 यूएस डॉलर आती है।

लगभग 70 प्रतिशत विलंब (निर्यातों और आयातों दोनों में) पत्तन अथवा सीमा की ऐसी हैंडलिंग प्रक्रियाओं के कारण होता है जो अनिवार्यतः प्रक्रियात्मक जटिलताओं (व्यापार के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं की अनेकता और विविधता), विविध दस्तावेजीय प्रक्रियाओं तथा अनुमोदन और अनुमति के लिए विविध एजेंसियों की कार्यवाही से संबंधित होती है।

यद्यपि भारत ने डिजिटलीकरण में वृद्धि करके और विविध एजेंसियों के एकल डिजिटल प्लेटफार्म में संधिरहित रूप में एकीकरण करके प्रक्रियात्मक और दस्तावेजीय अपेक्षाओं को पहले ही कम कर दिया है। किंतु इन प्रक्रियात्मक अक्षमताओं को और भी कम किया जा सकता है और प्रयोक्ता अनुभव में अत्यधिक सुधार लाया जा सकता है। साथ ही पंजीकृत निर्यातकों/आयातकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक स्कीम को प्रयोग में लाया जा रहा है।

प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ)

- प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) वैश्विक व्यापार को सुरक्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) सुरक्षित मानक फ्रेमवर्क के तत्वाधान में संचालित एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा में वृद्धि करना और माल के आवागमन को सुगम बनाना है। एईओ अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में अनेक कारोबारी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे प्रतिष्ठान को सीमा शुल्क द्वारा आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा मानकों के अनुपालनकर्ता के रूप में अनुमोदित किया जाता है और उसे प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक की हैसियत प्रदान की जाती है। प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक की हैसियत रखने वाले प्रतिष्ठान को एक सुरक्षित व्यापारी और एक विश्वसनीय व्यापारी परिसर के रूप में माना जाता है।
- एईओ एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। यह भारतीय सीमाशुल्क को अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला के मुख्य पणधारियों, (अर्थात, आयतकों, निर्यातकों), कर्मचारियों और माल की व्यवस्थाकर्ताओं, संरक्षकों अथवा सीमा तक प्रचालकों, सीमा शुल्क दलालों और माल गोदाम प्रचालकों के उचित सहयोग के माध्यम से कार्गो सुरक्षा में वृद्धि करने और उसे सरल एवं कारगर बनाने में समर्थ करता है, जो सीमा शुल्क के प्राधिकारियों से अधिमान्य व्यवहार की दृष्टि से लाभ पहुंचाते हैं।

आगे की राह

- आर्थिक समीक्षा में विश्व बैंक की ईओडीबी रैंकिंग में भारत की उसके समकक्ष देशों और साथ ही सबसे उत्तम श्रेणी के देशों से निष्पादन की तुलना की गयी है। यह विश्लेषण चार प्राचलों पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत व्यापार आरंभ करने संपदा रजिस्ट्रकरण में, करों का भुगतान करने में, और संविदाओं को लागू करने में पिछड़ा है। इसके निष्कर्ष हर श्रेणी में स्पष्ट सुधार की व्यापक संभावना दर्शाते हैं।
- भारत को संविदा लागू करने में लगभग 4 वर्ष लगता है, वहीं न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, चीन और ब्राजील को क्रमशः 0.6, 1.2,1.4 और 2.2 वर्ष का समय लगता है। संविदा को लागू करने में 90 देशों में से भारत 63वें रैंक पर है। अतः संविदाओं को लागू करने और उनके पुनःनवीनीकरण में लगने वाले समय को घटाकर कम से कम आधा किये जाने की आवश्यकता है।
- निर्माण और सेवा (विशेष रूप से रेस्टोरेंट) क्षेत्र में जहाँ चीन और सिंगापुर में रेस्टोरेंट खोलने में केवल चार अनुमोदनों की आवश्यकता होती है, वहीं भारत में बहुत से लाइसेंस और अनुमोदनों की आवश्यकता होती है जैसेकि दिल्ली में 26, बेंग्लूरू में 36 और मुंबई में 22 की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में दिल्ली पुलिस से 'पुलिस ईटिंग हाउस लाइसेंस' के लिए 45 दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जबकि बंदूक के लाइसेंस के लिए सिर्फ 9 दस्तावेज ही आवश्यक होते हैं। स्पष्ट है कि इसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
- कारखाने के गेट से लेकर विदेशी ग्राहक के मालगोदाम तक विशिष्ट व्यापारिक मदों के लिए आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में लगने वाले समय को भी कम किये जाने की आवश्यकता है। ताकि भारतीय समुद्री-पत्तनों में भरण और सीमाशुल्क प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब से बचा जा सके।
- इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारत में समुद्री जहाजों का प्रतिवर्तन काल में निरंतर कमी आ रही है जो 2010-11 में 4.67 दिन थे अब 2018-19 में 2.48 दिन हैं। यह दर्शाता है कि समुद्री पत्तनों के मामले में विशिष्ट दक्षता प्राप्त करना संभव है। हालांकि चेन्नई पत्तन का पूर्व मामला अध्ययन

नहीं किया गया इसका आंशिक डाटा बताता है कि इसकी प्रक्रिया ऊपर बताए गए पत्तनों की तुलना में सरल है।

- समुद्री पत्तन पर लॉजिस्टिक प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक प्रभाग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, पोत परिवहन मंत्रालय और विभिन्न पत्तन प्राधिकरणों के मध्य पूर्व समन्वय आवश्यक होता है। तथापि पर्यटन या विनिर्माण जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के व्यापार करने की सुगमता के परिदृश्य की सुगमता के लिए अत्यधिक लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो प्रत्येक घटक के लिए विनियामक और बॉटल जैक प्रक्रिया का खाका तैयार करता है। जब एक बार प्रक्रिया का खाका तैयार हो जाता है तो सरकार-केन्द्र, राज्य या नगरपालिका के समुचित स्तर पर इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। बंगलुरु हवाई अड्डे के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात और निर्यात विश्व स्तर का पाया गया। जिसका अनुसरण करते हुए मुम्बई, दिल्ली जैसे हवाई अड्डों को भी विकसित किया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारत में भूमि सुधार।
- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।

■

5. बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्णजयंती : एक समीक्षा

चर्चा का कारण

इस वर्ष (2019-20) की आर्थिक समीक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। ध्यातव्य है कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और सन् 2019 में बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती (50 वर्ष) मनायी गयी।

आर्थिक समीक्षा में विश्लेषित किया गया है कि आजादी के बाद भारत तीव्र आर्थिक प्रगति करते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, हालाँकि अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भारत का बैंकिंग क्षेत्र समानुपातिक ढंग से विकसित नहीं हो पाया है।

परिचय

एक विशाल अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में सहायता देने के लिए एक दक्ष बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता होती है। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने, वर्ष 2024-25 तक इसे 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने तथा इसके आर्थिक पोषण की जिम्मेदारी इन्हीं पर निर्भर है। परन्तु कार्य निष्पादन के प्रत्येक पैरामीटर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में अपने समकक्ष बैंकिंग समूहों की तुलना में दक्षता का अभाव है। अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भी भारत का बैंकिंग क्षेत्र समानुपातिक रूप से विकसित नहीं हो पाया है। उदाहरण के तौर पर, विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में भारत का केवल एक ही बैंक भारतीय स्टेट बैंक' शामिल है।

स्वीडन और सिंगापुर जैसे देशों, जिनकी अर्थव्यवस्था का आकार भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के क्रमशः 1/6वें और 1/8वें भाग के बराबर हैं, के विश्व स्तरीय बैंकों की संख्या भी भारत से तीन गुनी अधिक है। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक वस्तुनिष्ट मूल्यांकन या समीक्षा आवश्यक हो जाती है। ऐतिहासिक रूप से पिछले 50 वर्षों में, शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं को हमेशा उनके बैंकों द्वारा समर्थन/सहयोग प्रदान किया गया है। अमेरिका को आर्थिक महाशक्ति बनाने में अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार अस्सी के दशक में, जापानी अर्थव्यवस्था की समृद्धि एवं उत्कर्ष के दौरान तत्कालीन सबसे बड़े 25 बैंकों में जापान के 15 बैंक महत्वपूर्ण थे। हाल के दिनों में, चीन एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है, इसे अपने बैंकों द्वारा ही समर्थन दिया गया है। वैश्विक रूप से शीर्ष चार सबसे बड़े बैंक, चीनी बैंक ही हैं। इस प्रकार, अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि भारतीय बैंक भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुपात में बड़े होते तो विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में कम से कम छः बैंक भारत के होने चाहिए थे। इसी तरह, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल हो सकने वाले कम से कम 8 भारतीय बैंकों की आवश्यकता है। इसलिए, भारत में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

चूंकि भारतीय बैंकिंग में बाजार हिस्सेदारी का लगभग 70 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पास है, अतः भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन/सहयोग करने और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का दायित्व भी इन्हीं का बनता है। हालांकि वर्ष-2019 में पीएसबी की सामूहिक हानि (मुख्यतः अशोधित ऋण की वजह से) 66,000 करोड़ से अधिक है जो भारत की शिक्षा क्षेत्र में आवंटित राशि की दोगुनी है। बैंक धोखाधड़ी के 85 प्रतिशत प्रतिवेदित मामले पीएसबी के कारण ही हैं जबकि उनकी सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (नेटवर्क उत्पादए) 7.4 लाख करोड़ की हैं जो वर्ष 2019 के कुल अवसंरचना व्यय के 150 प्रतिशत से अधिक है। पूँजी पर प्रतिप्राप्ति का 2019 का अनुपात स्पष्ट करता है कि पीसीबी में सरकार द्वारा निवेशित प्रत्येक रुपये में 23 पैसे का क्षरण हो रहा है। बाजार और खाता मूल्यांकनों का अनुपात, जो बैंक के प्रशासन की गुणवत्ता को दर्शाता है, 20 जनवरी, 2020 को पीएसबी के लिए 0.8% रहा जबकि नेटवर्क उत्पादबी में यह 4% था। पीएसबी को दक्ष बनाने और इस प्रकार आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने योग्य बनाने के लिए संरचनात्मक समाधान अनिवार्य हो गए हैं।

बैंकिंग संरचना: राष्ट्रीयकरण से अब तक

भारत में बैंकिंग हजारों वर्षों से चली आ रही है। वैदिक कालीन में भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में बैंक ऋण कार्यों का उल्लेख मिलता है। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की जड़ें 1800 के दशक से शुरू होने वाले औपनिवेशिक युग में ही मिलती हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) अनिवार्य रूप से औपनिवेशिक काल से चले आ रहे विरासत वाले बैंक हैं, जिनका बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया; उदाहरण के लिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई है, जो वर्तमान में विश्व स्तर पर 55वां सबसे बड़ा बैंक है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकता के रूप में की गई थी, 1921 में इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और 1955 में यह राज्य के स्वामित्व के अधीन आ गया। भारत में शेष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का गठन राष्ट्रीयकरण की दो लहरों, 1969 और 1980 के बाद हुआ। 1980 के राष्ट्रीयकरण के बाद, राष्ट्रीय बैंकिंग बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शेयर 91 प्रतिशत है, जबकि शेष 9 प्रतिशत उन "पुराने निजी बैंकों" (ओपीबी) का है, जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था।

1969 के राष्ट्रीयकरण के बाद के 50 वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की एक बड़ी बाजार संरचना विकसित हुई है। मार्च, 2019 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास जमा राशि 80 लाख करोड़ थी, सरकारी प्रतिभूतियों में 20 लाख करोड़ थे और उनके द्वारा 55 लाख करोड़ का ऋण और अग्रिम ऋण उपलब्ध कराये गये, जो कि भारत में परिचालित समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल राशि का 65 से 70 प्रतिशत है। उनके पास सरकारी ऋण का लगभग 20 लाख करोड़ रुपये है, इसका एक बड़ा हिस्सा न्यूनतम 'सांविधिक तरलता' अनुपात की आवश्यकताओं से संबंधित है।

इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आज बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी तो है ही, साथ ही इनका महत्वपूर्ण पदचिन्ह भी मौजूद है, जो 1980 के राष्ट्रीयकरण के बाद 91 प्रतिशत से कुछ कम हो गया है। बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयर में गिरावट का मुख्य कारण उन 'नए निजी बैंकों' (नेटवर्क उत्पादबी) का आगमन रहा है, जिन्हें 1990 के दशक की शुरूआत में लाइसेंस प्रदान करने तथा नियमों में ढील, एवं उदारीकरण के बाद, लाइसेंस प्रदान किए गए थे।

राष्ट्रीयकरण के लाभ

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या में जो 1969 में लगभग 1,443 थी,से बढ़कर 1980 में 15,105 शाखाओं के साथ दस गुणा की वृद्धि हुई। शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में 5,248 से 13,300 शाखाएं यानि दो गुने की वृद्धि दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट बीस गुणा वृद्धि के साथ 115 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,000 करोड़ रुपए हो गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में जमा राशि 306 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,939 करोड़ रुपए हो गई, इसमें भी 20 गुना वृद्धि हुई। 1969 और 1980 के बीच कृषि ऋण चालीस गुणा बढ़कर 167 करोड़ से 2,767 करोड़ हो गया, जो जीडीपी के 2 प्रतिशत के शुरूआती बिंदु से 13 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह घटनाक्रम इस बात को दर्शाता है कि किसानों को ऋण की आपूर्ति की समस्या में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, राष्ट्रीयकरण के कारण इसमें गति आई है। ग्रामीण बैंकों में जमा राशि संग्रहण और ग्रामीण ऋण दोनों में 1969 के राष्ट्रीयकरण के बाद काफी वृद्धि हुई है।

हालांकि, उपरोक्त प्रवृत्तियों की व्याख्या में यह सावधानी बरतना आवश्यक है कि राष्ट्रीयकरण ही उपरोक्त प्रवृत्तियों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं है। इस तरह की व्याख्या में एक मुख्य सहवर्ती घटकों के अलावा अन्य दखलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, सरकार ने 1969 और 1977 के बीच 'हरित क्रांति' शुरू की। इसके अलावा, कई गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया जो इसके राष्ट्रीकरण पर आश्रित रहे हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद आरबीआई द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण सहवर्ती प्रभाव प्रारंभ हो गए। इसके निर्देशित उधार कार्यक्रमों के अधीन मूल्य निर्धारण फार्मूला, जिसके माध्यम से बाजारों की अर्थव्यवस्थाओं के बजाय केंद्रीय योजना के आधार पर ऋण पर बैंकों द्वारा वसूल किए जाने वाले ब्याज की दरों को निर्धारित की जाती है, के एक जटिल मिश्रण का उपयोग करके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। आरबीआई ने अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने हेतु औपचारिक साधन और नैतिक प्रोत्साहन का उपयोग किया। इस बात को देखते हुए कि बैंक अनिवार्य रूप से एक बंद बाजार व्यवस्था में परिचालित थे, यह स्पष्ट है कि इन कारकों ने इसे विशेष बल प्रदान किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कमजोर होना

2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सकल और निवल नेटवर्क उत्पादए क्रमशः 7.4 लाख करोड़ और 4.4 लाख करोड़ दर्ज किए जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का लगभग 80 प्रतिशत है। पीएसबी के सकल नेटवर्क उत्पादए उनके सकल अग्रिम का 11.59 प्रतिशत रहे।

इसके अतिरिक्त, 2019 में, पीएसबी ने अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 421 बिलियन के लाभों अथवा नेटवर्क उत्पादबी के 390 बिलियन लाभों की तुलना में 661 बिलियन की हानि वहन की। नेटवर्क उत्पादए से होने वाली हानियों के साथ-साथ भ्रष्टाचार भी पीएसबी की चिंता का एक अन्य विषय है। भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी विवरण से पता चलता है कि 2017-18 में रिपोर्ट किए गए भ्रष्टाचार के 5835 मामलों में से 92.9 प्रतिशत और लगभग 41,000 करोड़ की राशि में से 85 प्रतिशत पीएसबी की है।

2009 से पहले पीएसबी और नेटवर्क उत्पादबी की एक समान आरओए (परिसम्पदाओं पर प्रतिलाभ) हुआ करती थी, वहीं 2009 में पीएसबी की आरओए ने गिरना आरंभ कर दिया तथा 2019 तक यह गिरती ही रही। बैंकिंग क्षेत्र का खराब कार्य निष्पादन अपरिहार्य रूप से अनेक प्रणालीगत कारकों से उत्पन्न हुआ है।

जैसा कि लेवेन (2011) रेखांकित करते हैं कि बैंकिंग संकट के कारणों में अवहनीय समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियाँ, बाजार की विफलताएँ, विनियामक विकृतियाँ एवं पूंजी आवंटन में सरकारी हस्तक्षेप का एक संयुक्त रूप शामिल हैं। इसके अलावा जिन संकटों का प्रभावी तरीके से और तत्परता से समाधान न किया जाए वे समाज को व्यापक हानि पहुँचाने का कार्य करते हैं।

पीएसबी की दक्षता बढ़ानाः भावी परिदृश्य

भारत की संवद्धि संभाव्यता के तीन महत्वपूर्ण चालक हैं-

- (क) अनुकूल जनसांख्यिकी 15 से 29 वर्ष के बीच की 35 प्रतिशत आबादी;
- (ख) आधुनिक डिजीटल अवसंरचना जिसमें :जेएएम' (जनधन-आधार-मोबाइल) आदि शामिल हैं, जेएएम के अन्तर्गत वित्तीय समावेशन, आधार विशिष्ट पहचान प्रणाली और सुविकसित मोबाइल फोन नेटवर्क को शामिल किया गया है;
- (ग) अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली (जीएसटी।

भारत की प्रगति का मार्ग इस पर निर्भर करता है कि सुविकसित वित्तीय प्रणाली का प्रयोग कर इन विकास लीवरों का कितना त्वरित एवं उत्पादकतापूर्ण ढंग से नियोजन किया जाता है।

पहले पीएसबी की दक्षता में वृद्धि करने के लिए नरसिम्हन समिति (1991, 1997), राजन समिति (2007) एवं पीजे नायक समिति (2014) के अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन पर अभी कार्य नहीं किया गया है।

कृत्रिम आसूचना (एआई) एवं मशीन लर्निंग का प्रयोग करके साख विश्लेषण

भारत के विकास अवसर जो कि अनेक सकारात्मक स्थितियों के अनोखे संगम से उपजे हैं जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक फिनटेक (फाइनेंसियल टेक्नोलॉजी) का सही अर्थों में

उपयोग करने की स्थिति में आते हैं। इनमें से एक भारत का जनसांख्यिकी अंश है। भारत की 62 प्रतिशत आबादी 15 और 60 वर्ष के बीच में है। इसके अतिरिक्त, आबादी का 30 प्रतिशत 15 वर्ष से नीचे का है। अतः भारत लंबे समय तक महत्वपूर्ण कार्यशील आयु वर्ग के लाभों को लेने के लिए तैयार है। भारत के विकास अवसरों को गति देने के लिए जो दूसरा कार्यबल है वो जैम (JAM) ट्रिनिटी" है उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री जन-धन योजना बैंक खाता कार्यक्रम, विशिष्ट पहचान पत्र कार्यक्रम और मोबाइल फोन अवसंरचना जिनमें से प्रत्येक को व्यवहारिक तौर पर पूरे देश को शामिल करने के लिए क्रियान्वित किया गया। इन दो कारकों के परिणामस्वरूप डिजिटल लेन-देनों में वृद्धि उल्लेखनीय रही।

उपर्युक्त सभी संभावनाएँ यह दर्शाती हैं कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के स्तर के अनुपात में विकास करें। नए कार्यक्रम औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाये जा रहे व्यक्तियों एवं व्यापार के आवेश परिणामस्वरूप हैं। यद्यपि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अत्याधुनिक डिजिटल अवसंरचना जो कि सभी फर्मों की आर्थिक गतिविधियों पर बहुतायत में उच्च गुणवत्ता संरचनात्मक आंकड़ों को सृजित और एकत्रित करता है। ऐसे आंकड़े 21वीं सदी की आर्थिक वृद्धि के लिए सोने की खान हैं। विशेष रूप से फर्मों और व्यक्तियों जो परंपरागत रूप से वित्तीय प्रक्रिया से अलग किए गए हैं उनके लिए अनिवार्य असीमित और गैर-सूचित संभावनाएं प्रदान करते हैं।

पीएसबी के पास अनेक महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं जिनसे नई मांगों को पूर्ण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उनके पास स्थानीय बाजार अनुभव, दशकों का ऐतिहासिक परिचालन पर आधारित अनुभव और उनकी भौगोलिक पहुँच बहुत बड़ी है। यद्यपि, पीएसबी को भारत में आने वाले महत्वपूर्ण विनिवेशों की आवश्यकता है। बाजार पर आधारित विश्लेषण आंकड़े कॉर्पोरेट बदलाव को सही तरीके से अनुमानित करने में सक्षम हैं। इस प्रकार की पहुंच उपभोक्ता ऋण और व्यवसायिक एवं औद्योगिक ऋण को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

वे आंकड़े जो कि ऋण विश्लेषण के लिए आवश्यक हैं, संरक्षित और असंरक्षित रूपों दोनों में ही उपलब्ध हैं। संरक्षित रूप में उपलब्ध आंकड़े ऋण सूचना, ऋण स्कोर एवं ऋण के अनुमोदन पर आधारित हैं और पुनर्भुगतान ऋण रजिस्ट्री या ऋण ब्यूरो में होता है। हालांकि असंरक्षित, सूक्ष्म आंकड़े विषय, भू-चिन्हित आंकड़े, सोशल नेटवर्किंग आंकड़े, मोबाइल एप, साथ ही साथ वर्तमान और भावी ग्राहकों के अन्य छोटे या गहरे डिजिटल फुटप्रिन्ट मौजूद हैं। इन आंकड़ों का लाभ उठाने के लिए नये आंकड़ों, विश्लेषण और मॉडलिंग तरीके की आवश्यकता है। इसी तरह, बैंकों को ऋण की वसूली अवसंरचना में निवेश करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

आज भारत का बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अनुपात मे बहुत छोटा है। बड़ी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में सहयोग के लिए एक दक्ष बैंकिंग क्षेत्र आवश्यक है। ऐतिहासिक रूप से पिछले 50 वर्षों में विश्व की 5 विशालतम् अर्थव्यवस्थाओं को सदैव अपनी बैंक व्यवस्था का सक्रिय सहयोग मिला है। भारत की संवृद्धि में आवश्यक सहयोग देने में समर्थ होने के लिए कम से कम 8 बैंकों को विश्व के विशालतम् 100 बैंकों के वर्ग में अपना स्थान बनाना होगा। पीएसबी का देश के बैंकिंग क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंश होने के नाते देश के अर्थतन्त्र को बढ़ावा देने का और विकास के संपोषण का दायित्व भी इन्हीं पर आता है। किन्तु सभी बैंक निष्पादन कसौटियों पर और बैंक अपने समकक्षों की तुलना में निकृष्ट ही पाए गए हैं। नरसिम्हन समिति (1991-1997), राजन समिति (2007) और पी.जे. नायक समिति (2014) ने पीएसबी की दक्षता सुधारने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं ये इन्हें देश की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर यात्रा में सहायता करने के लिए अधिक सक्षम बना पाएंगे। इन सभी समीक्षाओं ने सभी बैंकिंग कार्यों में फिनटेक तथा कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व का सुझाव पीएसबी में सभी स्तरों पर दक्षता बढ़ाने के लिए दिया है। सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर एक समयबद्ध कार्य-योजना बनाई जानी चाहिए। बैंकिंग व्यवस्था में स्वच्छता लाने के साथ भारत दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (IBC) जैसी विधिक रचना का समावेश होना चाहिए तथा बैंक व्यवस्था को विस्तृत होकर देश की अर्थव्यवस्था में सहायक होना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न मुद्दे।

■

6. एनबीएफसी क्षेत्र में वित्तीय भंगुरता

चर्चा का कारण

हाल ही में वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग ने आर्थिक समीक्षा '2019-20' तैयार की, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। आर्थिक समीक्षा (2019-20) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (NBFC) क्षेत्र में वित्तीय भंगुरता (Financial Fragility) पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी है।

आर्थिक समीक्षा में न सिर्फ एनबीएफसी क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है बल्कि इस क्षेत्र में वित्तीय भंगुरता की निगरानी एवं विनियमन के लिए एक गतिशील स्वास्थ्य सूचकांक (हेल्थ इंडेक्स) के सिद्धान्त पर बल दिया गया है।

परिचय

- इंफ्रॉस्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड लीजिंग सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) की सहायक कपनियों एवं दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) द्वारा भुगतान चूक के बाद लिक्विड डेब्ट म्यूचुअल फंड्स (एलडीएमएफ) में निवेशकों ने सामूहिक रूप से अपने निवेश भुनाए। वस्तुतः इस चूक के कारण एनबीएफसी-फाइनेंसरों के समग्र समूह में भय फैल गया जिसके कारण एनबीएफसी सेक्टर में निधियन (तरलता) संकट उत्पन्न हो गया। आर्थिक समीक्षा में एनबीएफसी के समक्ष उत्पन्न उन कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया है जो कि लिक्विड डेब्ट म्यूचुअल फंड (एलडीएमएफ) से अल्पावधि बड़े वित्तपोषण पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन हुई थी। हालांकि, इस प्रकार की

निर्भरता बेहतर समय में ठीक है, परन्तु दबाव के दौरान अल्पावधि वित्त पोषण में रोल ओवर में असमर्थता से आवर्तन एनबीएफसी के लिए काफी अधिक जोखिमपूर्ण है। परिसंपत्ति पक्ष की ओर का आघात न केवल एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट (एएलएम) की समस्या को बढ़ाता है अपितु एलडीएमएफ में निवेशकों को आशंकित करता है जिसके कारण भुनाने का एक दबाव उत्पन्न होता है जिसकी परिणति 'बैंक रन' के रूप में होती है।

- आर्थिक समीक्षा में एक गतिशील स्वास्थ्य सूचकांक (हेल्थ स्कोर) तैयार किया गया है जो इन जोखिमों को दर्शाता है और जिसका प्रयोग एनबीएफसी में तरलता के जोखिम का पूर्वानुमान लगाने को लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली के रूप में किया जा सकता है। नीति निर्माता इस साधन का प्रयोग एनबीएफसी सेक्टर में वित्तीय भंगुरता की निगरानी, विनियमन एवं उसको टालने के लिए कर सकते हैं।

भुगतान में चूक

भारत में आभासी (शैडो) बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण दायित्वों में की गई चूक के कारण उत्पन्न हुई। इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेशियल सर्विसेज की दो सहायक कंपनियों ने जून से सितम्बर, 2018 की अवधि में भुगतान में चूक की, जबकि दीवान हाउसिग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) ने जून से अगस्त, 2019 की अवधि में भुगतान में चूक की।

भुगतान की इन चूकों के कारण म्यूचुअल फंडों ने दबाव में चल रही एनबीएफसी की अपने कुल निवेश को कम करने के लिए एनबीएफसी सेक्टर में अपने निवेश की बिक्री करनी प्रारंभ कर दी। ऋण वाले म्यूचुअल फंडों के भयग्रस्त निवेशकों ने इन म्यूचुअल फंडों से बड़ी तेजी से अपना निवेश निकालना प्रारंभ कर दिया।

ऋण म्यूचुअल फंडों द्वारा दबावयुक्त एनबीएफसी में अपने निवेश को आहरित करने के कारण और अप्रत्याशित उच्च विमोचन को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में काफी कम कीमतों पर संपत्तियों की बिक्री करने के दोहरे प्रभाव के कारण शुद्ध परिसंपत्ति के मूल्य में यह कमी आई।

इन चूकों का प्रभाव ऋण बाजार तक ही सीमित नहीं रहा। डीएचएफएल के इक्विटी मूल्यों में बड़ी तेजी से कमी आई क्योंकि इक्विटी बाजार के प्रतिभागियों ने फर्मों में प्रत्याशित पुनर्भुगतान संबंधी कठिनाइयों का वास्तविक चूक से कुछ माह पहले ही अंदाजा लगा लिया था।

इसलिए ऋण और इक्विटी, दोनों निवेशकों को भुगतान में इस चूक के कारण संपत्ति में काफी घाटा सहन करना पड़ा। ऋण म्यूचुअल फंडों में निरंतर विमोचन होने से वे एनबीएफसी सेक्टर में वित्त पोषण से झिझक रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, एनबीएफसी को वित्त जुटाने में कठिनाई हो रही थी जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र साख में बढ़ोतरी पर बुरा प्रभाव पड़ा और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में कमी आ गई।

स्वास्थ्य सूचकांक (हेल्थ इंडेक्स)

एनबीएफसी सेक्टर में वित्तीय भंगुरता का प्राक्कलन करने के लिए एक सूचकांक तैयार किया गया। इसकी सहायता से हम एनबीएफसी फर्मों के समक्ष आ रही बाह्य वित्त पोषण की बाधाओं (या पुनः वित्तपोषण जोखिम) का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। हम इस सूचकांक को स्वास्थ्य सूचकांक कहते हैं। इसकी रेंज -100 से +100 की तथा उच्चतर स्कोर फर्म/सेक्टर की उच्चतर वित्तीय स्थिरता को निर्दिष्ट करता है। स्वास्थ्य सूचकांक में एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट (एएलएम) की समस्याओं, अल्पावधि थोक निवेश (वाणिज्यिक पत्र) पर अत्यधिक निर्भरता और एनबीएफसी के तुलन-पत्र जैसे पुनः वित्त पोषण के जोखिमों के मुख्य चालकों से संबंधित जानकारी पर आधारित है। स्वास्थ्य सूचकांक एनबीएफसी सेक्टर में समस्याओं के लिए एक बेहतर निदान प्रदान करता है।

यह देखा गया कि यदि हैल्थ स्कोर में साल-दर-साल परिवर्तन माध्यमिक की अपेक्षा उच्चतर (निम्नतर) होता है तो एनबीएफसी स्टॉक के लिए संचयी असामान्य रिटर्न उच्च (निम्न) था। संचयी असामान्य रिटर्न स्टॉक बाजारों को प्रभावित करने वाले अन्य भ्रमित कारकों के प्रभाव से बाहर निकलता है और इस प्रकार किसी विशेष स्टॉक या स्टॉक के सेट से संबंधित घटनाओं के शुद्ध प्रभाव को पकड़ने में सक्षम होता है। यह दर्शाता है कि हेल्थ स्कोर में सुधार पर इक्विटी बाजार ने अनुकूल प्रतिक्रिया दी।

हेल्थ स्कोर का उपयोग नीति निर्माताओं के द्वारा तरलता संकट को दूर करने के लिए दबावग्रस्त एनबीएफसी की अल्प पूंजी को इष्टतम तरीकों से आवंटित करने के लिए भी किया जा सकता है।

आवर्ती जोखिम (रोल ओवर रिस्क) का संकल्पनात्मक ढांचा

वित्तीय संस्थान दीर्घकालिक निवेशों के वित्तपोषण के लिए अल्पावधि वित्तपोषण पर निर्भर रहते हैं। अल्पावधि वित्तपोषण पर इस प्रकार की निर्भरता परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) समस्या उत्पन्न करती है क्योंकि पार्ट संपत्ति पक्ष के आघातों से वित्तीय संस्थानों के समक्ष अपने व्यवसायों का वित्तपोषण न कर पाने का जोखिम पैदा हो जाता है।

आभासी बैंकिंग सिस्टम

आभासी बैंकिंग में वे गतिविधियां, बाजार, संविदाएं और ऐसी संस्थाएँ शामिल होती हैं जो आंशिक रूप से (या पूर्ण रूप से) पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र के बाहर से प्रचालन करती हैं या तो हल्के रूप से विनियमित होती हैं या बिल्कुल विनियमित नहीं होती हैं।

भारत में आभासी बैंकिंग सिस्टम महत्वपूर्ण भागों पर केंद्रित है नामत: नॉन-बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ (एचएफसी), रिटेल नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियाँ (रिटेल एनबीएफसी) और लिक्विड डेब्ट म्यूच्युअल फंड (एलडीएमएफ) हैं।

एनबीएफसी क्षेत्र में तरलता संकट के संदर्भ में आर्थिक समीक्षा में निम्नलिखित अंतर्दृष्टि के आधार पर संकल्पात्मक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है-

1. बारंबार मूल्य परिवर्तन के कारण एनबीएफसी को उच्च वित्तपोषण लागत और सबसे खराब स्थिति में क्रेडिट का सामना करना पड़ता है और इस प्रकार के पुनः वित्तपोषण जोखिम को रोल ओवर जोखिम कहते हैं।
2. जब परिसंपत्ति पक्ष आघात के कारण एनबीएफसी प्रत्याशित भावी नकद प्रवाह में गिरावट आती है तो यह एनबीएफसी में एएलएम समस्या और इसकी वजह से एनबीएफसी के बारे में जोखिम बोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।
3. इस प्रकार के आघात एनबीएफसी की समस्याओं को उस स्थिति में बढ़ा देते हैं जब इसकी देयता संरचना वाणिज्यिक पेपर, जिसके लिए बार-बार पुनः वित्तपोषण आवश्यक होता है, जैसे अल्प आवधिक थोक बिक्री वित्तपोषण पर अतिनिर्भर होती है।

4. एलडीएमएफ क्षेत्र एनबीएफसी क्षेत्र में अल्प अवधि थोक निधियों का प्राथमिकता स्रोत है।
5. इस प्रकार की परस्पर संबद्धता एनबीएफसी क्षेत्र से एलडीएमएफ क्षेत्र को तंत्रगत जोखिम के प्रसारण के लिए एक चैनल होती है। तकनीकी रूप से तंत्रगत जोखिम एनबीएफसी क्षेत्र से एलडीएमएफ क्षेत्र में और फिर विपरीत दिशा में प्रसारित हो जाता है अर्थात् परस्पर संबद्धता के कारण एनबीएफसी क्षेत्र और एलडीएमएफ क्षेत्र के मध्य तंत्रगत जोखिम प्रसारण होता है।
6. सामान्य तौर पर, यदि चूक की मात्रा बहुत अधिक हो (जैसा कि आईएल एण्ड एफएस और डीएचएफएल के मामले में था) तो यह व्यावसायिक पत्र में निवेशकों के मध्य डर फैला सकती है जिसके कारण एलडीएमएफ क्षेत्र में सम्मिलित विमोचन क्षेत्र के अन्दर तंत्रगत जोखिम हो सकता है। इस प्रकार प्रारंभिक तौर पर कुछ एनबीएफसी में निहित रोल ओवर जोखिम संपूर्ण एनबीएफसी क्षेत्र (एनबीएफसी क्षेत्र में तंत्रगत जोखिम) में प्रसारित हो सकती है और इसे प्रभावित सकती है।
7. एलडीएमएफ में विमोचन की समस्या और इसके द्वारा एनबीएफसी में रोल ओवर रिस्क (जोखिम) समस्याओं के तीन महत्वपूर्ण संचालक हैं: प्रथम जोखिम एनबीएफसी में एएलएम समस्या की मात्रा से उत्पन्न होता है। दूसरा जोखिम एलडीएमएफ क्षेत्र से एनबीएफसी के परस्पर अन्तर्सम्बन्धित होने से उत्पन्न होता है। तीसरे जोखिम में एनबीएफसी के निहित लचीलेपन से बनता है।
8. ये तीनों जोखिम मिला कर रोल ओवर जोखिम उत्पन्न करते हैं।
9. बिल्कुल मूलभूत स्तर पर एनबीएफसी क्षेत्र में चल निधि के संकट का मूल कारण वित्त पोषण बाजार पर एनबीएफसी की अतिनिर्भरता माना जा सकता है। यह घटक दो चैनलों के माध्यम से कार्य करता है, पहला प्रत्यक्ष चैनल और दूसरा अप्रत्यक्ष चैनल। यदि एनबीएफसी की बैलेंस शीट सामर्थ्य संदिग्ध होती है तो रोल ओवर जोखिम और अधिक बढ़ जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अल्पकालिक थोक फंडिंग पर आतिनिर्भरता का रोल ओवर जोखिम पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

एलडीएमएफ क्षेत्र में विमोचन दबाव तब और अधिक उग्र हो जाते हैं जब एनबीएफसी परिसम्पति-पक्ष से जुड़े आघात का सामना करत हैं और एएलएम की समस्या का अनुभव करते हैं। यह समस्या परस्पर संबद्धता के कारण और तुलन-पत्र लचीलेपन की कमी के कारण और बढ़ जाती है। विमोचन संबंधी दबावों का सामना करते हुए एलडीएमएफ क्षेत्र एनबीएफसी क्षेत्र से ऋणों को रोल ओवर करने में अनिच्छुक होता है (रोल ओवर जोखिम), जिसके कारण एनबीएफसी क्षेत्र में तरलता की कमी हो जाती है।

नीतिगत निहितार्थी के विकास के लिए हम वित्तीय मात्रा की सहायता से आवर्ती (रोल ओवर) जोखिमों के संचालकों प्राक्कलन किया जाता हैं तथा रोलओवर जोखिम में उनके सापेक्ष योगदान के आधार पर उन्हें उपयुक्त रूप से भारित किया जाता हैं। इस प्रक्रिया से किसी एनबीएफसी के स्वास्थ्य का मापन ज्ञात करने में सहायता मिलती है। इस माप को हम स्वास्थ्य प्राप्तांक (हेल्थस्कोर) कहते हैं जो किसी एनबीएफसी के समक्ष संभावित आवर्ती जोखिम संबंधी मुद्दों का एक संकेतक होता है।

एचएफसी तथा खुदरा-एनबीएफसी के बीच अंतर

- एनबीएफसी क्षेत्र का विश्लेषण दो उप क्षेत्रों हेतु किया जाता है-(i) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) और (ii) खुदरा-एनबीएफसी।
- एचएफसी और खुदरा एनबीएफसी कंपनियों के आवर्ती (रोल ओवर) जोखिमों के कारण अलग-अलग हैं।
- एचएफसी कंपनियां, खुदरा एनबीएफसी कंपनियों के मुकाबले अधिक लंबी अवधि की आस्तियां (यथा- आवास ऋण, विकासकर्ता ऋण आदि) धारण करती हैं जबकि खुदरा एनबीएफसी कपंनियां मध्यम अवधि वाली आस्तियां (यथा ऑटो, उपभोक्ता वस्तु, स्वर्ण ऋण आदि) रखती हैं।
- एचएफसी कंपनियां अपनी आस्तियों और देयताओं की औसत परिपक्वता के खुदरा एनबीएफसी की तुलना में एक बड़े अंतर का सामान करती हैं। खुदरा एनबीएफसी कंपनियां मुख्यत: एमएसएमई को कार्यशील ऋण, ऑटोमोबाइल वित्तपोषण ऋणों या स्वर्ण ऋणों के रूप में लघुतर अवधि के ऋण प्रदान करती हैं।
- खुदरा एनबीएफसी कंपनियां एचएफसी कंपनियों की तुलना में अल्पकालिक थोक वित्तपोषण बाजार पर अधिक निर्भर होती हैं। एचएफसी को परस्पर संबद्धता संबंधी जोखिम कम है जबकि खुदरा एनबीएफसी को ये जोखिम अधिक होते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) विषमता से जोखिम

अधिकांश वित्तीय संस्थाओं में यह जोखिम आस्तियों और देयताओं की अवधि में विषमता के कारण उत्पन्न होती है। आस्तियों की तुलना में देयताओं की समयावधि लघुतर होती है तथा विशेष रूप से आवासीय क्षेत्र को प्रदान किए गए ऋणों की अवधि दीर्घतर होने की प्रवृत्ति होती है। इस विषमता का निहितार्थ यह है कि एनबीएफसी को अपनी अल्पावधिक आबद्धताओं को पूरा करने के लिए नकदी या नकद समतुल्य आस्तियों की एक न्यूनतम राशि (मात्रा) रखनी चाहिए।

यदि दीर्घावधि आस्तियों से नकदी का प्रवाह इसकी तात्कालिक ऋण आबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो तो एक एनबीएफसी नया सीपी जारी करके अपनी आबद्धताओं का पुनर्भुगतान फिर भी कर सकती है।

दबाव की अवधियों के दौरान सामान्यत: एनबीएफसी के दीर्घ अवधि आस्तियों से होने वाले आवधिक नकदी प्रवाहों में काफी गिरावट हो सकती है। यह आवर्ती (रोल ओवर) जोखिम को बढ़ाती है। एनबीएफसी कंपनियां जोकि पर्याप्त नकदी बफर रखती है और आस्ति देयता सन्तुलन संबंधी किसी समस्या का सामना नहीं करती, संकट की अवधि में टिके रहने में समर्थ हो जाती हैं क्योंकि वे थोक वित्त पोषण बाजार में अपनी आबद्धताओं को पूरा कर सकती हैं। इसका निहितार्थ यह है कि इनका रोल ओवर जोखिम बहुत कम होता है।

पर्याप्त रूप एचएफसी हेतु, जो कि दीर्घतर अवधि (5 से 20 वर्ष) वाली आस्तियों में निवेश करती हैं, के लिए रोल ओवर जोखिम का सबसे प्रमुख कारक एएलएम का जोखिम होता है। एएलएम जोखिम तब उत्पन्न होता है

जब ऋण आस्तियों से भावी संविदात्मक नकदी अंतर्प्रवाह ऋण आबद्धताओं से भावी संविदात्मक नकदी बर्लिप्रवाहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो। आस्तियों और देयताओं की अवधि के आधार पर नकदी प्रवाहों को अनेक खंडों में विभाजित किया जाता है और प्रत्याशित अंतर्प्रवहों और बर्लिप्रवाहों के बीच के अंतरों का मापन किया जाता है।

परस्पर संबद्धता से जोखिम

परस्पर संबद्धता किसी एनबीएफसी और एलडीएमएफ क्षेत्र के बीच प्रणालीगत जोखिम के संचरण की एक माप है जो दो कारकों द्वारा उत्पन्न होती है। प्रथम, यदि किसी विशिष्ट 'संकटग्रस्त' एनबीएफसी के सीपी में, एलडीएमएफ क्षेत्र औसतन संकेंद्रित स्थितियां रखता है तो इससे उनके अपने उन निवेशकों से अपेक्षाकृत बड़ा शोधन जोखिम हो सकता है जिनकी उस एनबीएफसी की अस्ति-गुणवत्ता के अवह्रास के कारण चूक की संभावना बढ़ने का है।

दूसरे, एलडीएमएफ अपने निवेशकों की ओर से रन-जोखिम या शोधन (विमोचन) जोखिम में होते है यदि उनकी नकद पूंजी को अत्यधिक खराब स्थितियों के मुताबिक रखा जाए। इस प्रकार, एलडीएमएफ क्षेत्र में नकद पूंजी के निम्न स्तर सामान्यत: शोधन दबावों को झेलने के लिए उस एलडीएमएफ क्षेत्र की योग्यता का ह्रास करते हैं। इन दो कारकों के सम्मिलित प्रभाव को परस्पर संबद्धता को जोखिम कहा जाता है।

अल्पकालिक थोक वित्तपोषण पर निर्भरता

वह मौलिक कारक जो आवर्ती (रोल ओवर) जोखिम को प्रभावित करते हैं, उसे अल्पकालिक थोक वित्त पोषण बाजार पर एनबीएफसी क्षेत्र की अत्यधिक निर्भरता के रूप में जाना जा सकता है। सबसे पहले, बृहतर अल्पकालिक वित्त पोषण से जोखिम पुनर्मूल्यन की संभावना अधिक हो जाती है।

दूसरा, जब अल्पकालिक वित्तपोषण में वृद्धि होती है तब आवर्ती जोखिम, एएलएम जोखिम और परस्पर संबंधित जोखिम के दोनों प्रमुख ड्राइवर में वृद्धि हो जाती है।

स्वास्थ्य स्कोर/हेल्थ स्कोर (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी)

- आवर्ती जोखिम में सापेक्षिक योगदान के आधार पर, हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए आवर्ती जोखिम के महत्वपूर्ण संचालकों को एक समेकित मापवाई (हेल्थ स्कोर) में संयोजित करते हैं। आस्ति देयता प्रबंधन जोखिम और वित्तीय तथा प्रचालन लचीलापन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के हेल्थ स्कोर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक हैं।
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के लिए हैल्थ स्कोर मे गिरावट का दौर रियल एस्टेट क्षेत्र की वर्ष 203-4 मे मंदी के शीघ्र बाद शुरू हुआ।
- हैल्थ स्कोर में वर्ष 205 से आगे काफी गिरावट हुई। तथापि, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के प्रबंधन के अंतर्गत आस्ति (एयूएम) में इस अवधि के दौरान काफी बढ़ोत्तरी होती रही है। इन रूझानों को एक साथ लेने पर हमें संकेत मिलता है कि एक जोखिम धीरे-धीरे बढ़ रही है जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के लिए कोई जोखिम उत्पन्न होने का संकेत नहीं है।

हेल्थ स्कोर (रिटेल-गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां

- परस्पर संयोजित जोंखिम रिटेल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी सीपी पर नकद ऋण म्यूचुअल फड क्षेत्र के प्रभाव और नकद ऋण म्यूचुअल फंड (एलडीएमएफ) क्षेत्र में चल निधि बफर स्तरों दोनों से उत्पन्न होता है। आर्थिक समीक्षा में यह भी दर्शाया गया है कि प्रबंधन के अंतर्गत आस्ति (ए एल एम) जोखिम रिटेल-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के लिए कम था और इसलिए, यह इन फर्मों के लिए आवर्ती जोखिम का एक महत्वपूर्ण संचालक नहीं है।

स्वास्थ्य प्राप्तांक का अनुमानित मूल्य

हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसी)

एचएफसी के स्वास्थ्य प्राप्तांक में साल-दर-साल परिवर्तन भविष्य में इन फर्मों के असामान्य स्टॉक रिटर्न पर किसी तरह का अनुमानित प्रभाव हैं। यह परीक्षण प्रारंभिक चेतावनी संकेत के रूप में स्वास्थ्य प्राप्तांक को मान्य करने में उपयोगी है।

रिटेल-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

प्रत्येक रिटेल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हेल्थ स्कोर वर्ष परिवर्तन में संबंधित इन फर्मों के भावी असामान्य स्टॉक से संबंधित कोई भविष्य सूचक प्रभाव है।

नीतिगत विवक्षाएं

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में फर्म उस समय आवर्ती जोखिम के प्रति अतिसंवेदनशील होती है जब वे रियल सेक्टर में अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए लघु अवधि से संबंधित थोक बिक्री निधि बाजार पर अत्यधिक निर्भर होती है। आभासी बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय शिथिलता को रोकने के लिए निम्नलिखित नीतिगत पहल की जा सकती हैं-

(i) हेल्थ स्कोर में अधोगामी रूझान का प्रयोग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अधिक मॉनीटरन को प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हेल्थ स्कोर के घटकों में रूझानों के विश्लेषण से ऐसे उचित दोषनिवारक उपायों में बाधा उत्पन्न हो सकती है जिनका प्रयोग प्रतिकूल रूझान को पलटने के लिए किया जाना चाहिए।

(ii) नियामक योग्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए इष्टतम पूंजी निवेश का निर्देश देने के लिए आधार के रूप में हेल्थ स्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। ताकि पूंजी अभाव का कुशल आबंटन सुनिश्चित हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

■

7. थालीनॉमिक्सः भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र

चर्चा का कारण

हाल ही में संसद में पेश की गयी आर्थिक समीक्षा (2019-20) थालीनॉमिक्स (भोजन की थाली का अर्थशास्त्र) पर विस्तृत चर्चा की गयी है। अर्थशास्त्र को जनसाधारण के जीवन से जोड़ने का भोजन की थाली (एक ऐसी वस्तु जिससे उसका सामना प्रतिदिन होता है) से अच्छा तरीका और क्या हो सकता है।

परिचय

- अर्थशास्त्र हम में से प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है कितु इस तथ्य पर साधारण पुरुष या महिला किसी का भी ध्यान अकसर नहीं जाता है।
- "थालीनॉमिक्सः भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र", भारत में एक सामान्य व्यक्ति द्वारा एक थाली हेतु किये जाने वाले भुगतान के मापन का एक प्रयास है। दूसरे शब्दों में थालीनॉमिक्स में यह परिकलित किया जाता है कि भारत में पौष्टिक थाली के लिए आम आदमी को कितना खर्च करना पड़ता है। थाली अधिक वहन योग्य हुई है या कम? मुद्रास्फीति ने थाली के मूल्य को बढ़ाया अथवा घटाया है? क्या निरामिषभोजी (शाकाहारी) थाली अथवा आमिषभोजी (मांसाहारी) थाली दोनों पर मुद्रास्फीति का समान प्रभाव पड़ा है? क्या भारत के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में थाली के मूल्य में मुद्रास्फीति भी अलग-अलग रही है? थाली के मूल्य में परिवर्तन अन्न, सब्जियों, दालों, भोजन पकाने में उपयोग किए जाने वाले ईंधन में से किस घटक के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण हुआ है।
- चूंकि जीवन के लिए भोजन आवश्यक होता है इसलिए थाली की तेजी से बढ़ती कीमत का प्रभाव सीधे आम आदमी (जनसाधारण) पर पड़ता है तथा इसे सुस्पष्ट रूप से देखा भी जा सकता है। वास्तव में खाद्य वस्तुएँ तथा पेय पदार्थ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 45.9 प्रतिशत भाग होते हैं। इसलिए सबसे प्रभावी विधि जिसके द्वारा जन साधारण को मूल्यों की प्रवृत्ति के विषय में समझाया जा सकता है, वह यह है कि घर में तैयार की जाने वाली सम्पूर्ण भोजन की थाली में कितना खर्च आता है।
- भारत की विविधता के कारण, यहाँ पकने वाले भोजन में भी विविधता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं को पकाया जाता है। इनमें विविध सब्जियों, अन्न, फल और मसालों का स्वादिष्ट मिश्रण होता हैं जिनकी उपज देश के विभिन्न स्थानों पर होती है। भारत के परंपरागत पौष्टिक आहार में अन्न और सब्जियों के साथ-साथ मछली, मांस और अंडों का स्वस्थ मिश्रण रहा है। हमने 25 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए थाली के मूल्य का परिकलन किया है जिसमें अन्न (चावल या गेहूं), सब्जी (सब्जियाँ और अन्य घटक), दाल (दाल के साथ-साथ अन्य घटक) और इसके साथ-साथ उस ईंधन की लागत सम्मिलित की गई है जिसका उपयोग घरों में भोजन पकाने के लिए किया जाता है (बॉक्स)। आर्थिक समीक्षा दो प्रकार की थाली का विश्लेषण करती है-एक निरामिष भोजी (शाकाहारी) थाली और एक आमिषभोजी (मांसाहारी) थाली।

थालियों की कीमतों का निर्धारण

- निरामिष और आमिष भोजी थालियों का निर्माण अप्रैल, 2006 से अक्तूबर, 2009 तक की अवधि में श्रमिक ब्यूरो, भारत सरकार से 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 78 केंद्रों हेतु प्राप्त औसत मासिक मूल्य डाटा के आँकड़ों (जोकि औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को तैयार करने के लिए उपयोग किये जाते हैं) की सहायता से किया गया हे। विभिन्न वस्तुओं (पण्य पदार्थ) का औसत मासिक मूल्य किसी प्रदत्त केंद्र में चयनित बाजारों के चयनित दुकानों में व्याप्त उस मद की विनिर्दिष्ट किस्म के खुले बाजार में मूल्यों का औसत है। राशन की मदों के लिए केंद्र हेतु मूल्य 'भारित औसत मूल्य' है। यहाँ 'भार' औसत श्रमिक वर्ग परिवार की आधार वर्ष (2001) की आवश्यकताओं के संबंध में 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' के माध्यम से उपलब्ध होने वाली मात्रा और खुले बाजार में विभिन्न केंद्रों में प्राप्त मात्रा का अनुपात है।
- आर्थिक समीक्षा (2019-20) में दो प्रकार की थालियों का विश्लेषण किया गया-निरामिष (शाकाहारी) थाली तथा आमिषभोजी (मांसाहारी) थाली। थाली तैयार करने के लिए घटकों की मात्रा (एनआईएन, 20) की रिपोर्ट में भारतीयों के लिए दिए गए आहार-विषयक दिशानिर्देशों के अनुसार थी। प्रत्येक थाली के लिए आर्थिक समीक्षा में अन्न, सब्जी, दाल और आमिष पदार्थो की मात्रा का निर्धारण इस प्रकार किया है, जिससे कि दिन में कम से कम दो बार किए गए भोजन से मनुष्य शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों की दैनिक आवश्यकताओं पूर्ति होती रहे।
- निरामिषभोजी थाली में अन्न की मात्रा (300 ग्राम), सब्जियों की मात्रा (50 ग्राम) और दाल की मात्रा (60 ग्राम) है। दो प्रकार के अन्न लिए गए हैं- चावल और गेहूं। आलू, प्याज, टमाटर को मुख्य सब्जियों और बैंगन, बंदगोभी, फूलगोभी व भिंडी को अतिरिक्त सब्जियों के रूप में लिया गया है। दालों में अरहर की दाल, चने की दाल, मसूर दाल, मूंग दाल और उड़द की दाल का चयन किया गया है। अन्य वस्तुओं में खाद्य पदार्थ बनाने हेतु आवश्यक मसाले शामिल हैं। भोजन पकाने में सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और नारियल के तेल का चयन किया गया है। यह चयन राज्य-वार भोजन में उपयोग किए जाने वाले तेल के प्रकार के अनुसार किया जाता है। आमिषभोजी व्यंजनों के लिए मुर्गी के अंडों, मछली (ताजी) और बकरे के मांस का चयन किया गया है क्योंकि इसको भोजन के रूप में सभी प्रांतों में खाया जाता है। आमिषभोजी थाली में दाल के स्थान पर गोश्त (60 ग्राम) या कोई आमिष घटक होता है, शेष घटकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अन्य अवयव	
थाली के घटक	**अन्य अवयव**
सब्जी	हल्दी (0.2 ग्राम), सूखी मिर्च (0.5 ग्राम), नमक (1 ग्राम), धनिया (0.5 ग्राम), खाना पकाने का तेल (10 ग्राम)
दाल	हल्दी 0.2 ग्राम), नमक (0.2 ग्राम), सूखी मिर्च (0.2ग्राम), जीरा/सरसों के दाने (ग्राम), तेल (10 ग्राम)

मांसाहारी	हल्दी (0. ग्राम), सूखी मिर्च (0.2 ग्राम), नमक (0.5 ग्राम), धनिया (0.2 ग्राम)मिश्रित मसाले (0. ग्राम), अदरक (0.5 ग्राम), लहसुन (0.5 ग्राम) टमाटर (12ग्राम), खाना पकाने का तेल (10 ग्राम)

थाली की कीमतें

वर्ष 205-6 को भोजन की कीमतों की गतिकी में तब्दीली के वर्ष के रूप में लिया जा सकता है। विश्लेषण अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा अच्छी और अधिक पारदर्शी कौमत-खोज हेतु कृषि बाजार में कुशलता और प्रभाविकता को बढ़ाने के लिए कई सुधारात्मक उपाय किये गए हैं, ये अखिल भारत स्तर पर थाली की कीमतों में आई मंदी में परिलक्षित होते हैं।

कृषि उत्पादकता और कृषि बाजार की कुशलता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ मुख्य कदम

1. **प्रधानमंत्री अनदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा):** 2018 में शुरू की गई पीएम-आशा योजना में तीन उप-योजनाएँ सम्मिलित हैं मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), कीमत की कमी हेतु भुगतान योजना (पीडीएस) और निजी अधिप्रापण एवं भंडार योजना (पीडीपीएस)।
2. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई):** पीएमकेएसवाई को वर्ष 2015-16 में लागू किया गया था। इसमें सुनिश्चित सिंचाई के अधीन कृषि योग्य भूमि के विस्तार, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी के उपायोग संबंधित दक्षता को सुधारने, संकेद्रित सिंचाई तथा अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों जल स्रोतों का पुनर्भरण बढ़ाने तथा संधारणीय जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने के अंगीकरण को बढ़ाने जैसे उपायों से जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान है।
3. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई):** पीएमएफबीवाई को कृषि फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान और उसके द्वारा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था। पीएमएफबीवाई से कुल 69.9 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को व्यापक कवरेज प्रदान करना है।
4. **मृदा स्वास्थ्य कार्ड:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को देश में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए राज्य सरकार को सहायता देने हेतु वर्ष 2014-15 में शुरू कया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्त्वों पर सूचना देने के साथ उनकी मृदा स्थिति के लिए उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्त्वों की उपयुक्त मात्रा पर अनुशंसाएँ भी प्रदान करता है।
5. **ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम):** ई-नाम पारदर्शी कीमत खोज हेतु कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन व्यापार प्लेटफार्म है। अब तक 16 राज्यों एवं 2 संघ-शासित प्रदेशों में 585 थोक विनियमित बाजारों को ई-नाम से जोड़ा जा चुका है।
6. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मिशन (एनएफएसएम):** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, गेहूं, दलहल एवं मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि हेतु वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित है। इसे वर्ष 2014-15 में पुनः डिजाइन किया गया था।
7. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए):** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को वर्ष 2013 में अधिनियमित तथा वर्ष 2014 में क्रियान्वित किया गया था। यह उच्च सब्सिडी दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु 67 प्रतिशत जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) को कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 कि.ग्रा. की दर से तथा एएवाई परिवारों को 35 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह दर से पोषण अनाज, गेहूं और चावल क्रमशः 1 रुपए, 2 रुपए तथा 3 रुपए की उच्च सब्सिडी युक्त कीमत पर आबंटित किए जाते हैं। इस अधिनियम के तहत 2011 की जनगणना के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को आधार बनाया गया है। यह अधिनियम सभी 36 राज्यों/संघ शासित राज्यों में कार्यान्वित किया गया है। तथा इससे लगभग 81.35 करोड व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है।

थाली की वहनीयता

- हालांकि थालियों की कीमतों से यह पता चलता है कि एक व्यक्ति को थाली की कितनी लागत आएगी। यह जानने के लिए कि थाली की कीमत किसी आदमी की आय पर कैसा प्रभाव डाल रही है? इसके लिए, यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि उसी अवधि में थालियों के मूल्यों की तुलना में व्यक्तियों की आय में भी कैसा परिवर्तन आया है।
- इस उद्देश्य के लिए हम यह देख सकते हैं कि श्रमिक को अपनी दैनिक मजदूरी का कितना हिस्सा अपने परिवार के सदस्यों के लिए दो थालियों को खरीदने के लिए आवश्यक होगा, यदि ये मैट्रिक समय के साथ गिरता है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि स्थिति बेहतर है।
- दूसरी ओर यदि यह मैट्रिक घटता है तो स्थिति विपरीत होगी। आर्थिक समीक्षा में इस मैट्रिक के उस वर्ष में 2 थालियों के मूल्यों को उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त दैनिक मजदूरी के आंकड़ों (2017-18 तक उपलब्ध और 2019-20 तक ज्ञात प्रवृत्ति के आधार पर अनुमानित) से भाग देकर बनाया है। हमने मजदूरियों के लिए एएसआई के आँकड़ों का प्रयोग किया है क्योंकि खाद्य मदों के मूल्यों को सीपीआई-डब्ल्यू के निर्माण के लिए एकत्र किए गए आँकड़ों से लिया गया है।
- विश्लेषण में शामिल की गई समयावधि के लिए एसआई व्यवस्थित विनिर्माण क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों को वार्षिक मजदूरी का आकलन देता है। आर्थिक समीक्षा में श्रमिकों की कूल संख्या से श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को भाग देकर श्रमिकों की वार्षिक मजदूरी ज्ञात की गयी हे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक श्रमिक की वार्षिक मजदूरी को 365 दिनों से भाग देकर एक मजदूर की दैनिक मजदूरी निकाली गयी है। आँकड़े दर्शाते हें कि पिछले वर्षो में थाली के मामले में जो व्यक्ति अपने पांच सदस्य के परिवार के लिए दो थाली पर अपनी मजदूरी का 70% को व्यय करता था,
- अब वह अपनी दैनिक मजदूरी के 50% से ही थालियों की उसी संख्या को वहन कर सकता है। इसी प्रकार मांसाहारी थाली की वहन क्षमता में भी वृद्धि हुई है तथा पांच सदस्यों हेतु दो थाली खरीदने हेतु आवश्यक मजदूरी का अंश 2006-07 तथा 2019-20 के मध्य 93 प्रतिशत से घटकर 79 प्रतिशत पर आ गया है।
- वर्ष 2019-20 में (अप्रैल-अक्टूबर 2019) सबसे अधिक किफायती थाली झारखण्ड में थी; झारखण्ड में दो शाकाहारी थालियों के लिए पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए श्रमिक मजदूरी का लगभग 25% की जरूरत थी। मांसाहारी थाली भी झारखण्ड में

सबसे अधिक वहनीय थी। 2006-07 और 2019-20 (अप्रैल-अक्टूबर) के बीच तुलना करने पर पता चलता है कि शाकाहारी थाली सभी विचाराधीन राज्यों में और अधिक किफायती बन गई है। मांसाहारी थाली के मामले में इस अवधि के दौरान बिहार और महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों में वहन क्षमता बढ़ी है। इन दो राज्यों में मामूली गिरावट देखी गई हैं।

थाली के घटकों के मूल्यों का रुझान

थालियों के मूल्यों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रुझानों को देखते हुए यह देखना हमें और गहन जानकारी देगा कि थालियों की कीमतों में देखी गई प्रवृत्तियों में किन घटकों का योगदान है। हमने यह देखा कि अखिल भारतीय स्तर पर लगभग सभी घटकों के मूल्य 2015-16 से अनुमानित मूल्यों की तुलना में कम रहे हैं। दाल के मूल्य 2016-17 तक बढ़े रहे, जिसके पश्चात एक बड़ी गिरावट देखी गई।

इसी प्रकार का स्वरूप पूरे देश में देखा गया। हालांकि अन्य क्षेत्रों में सब्जियों के मूल्य स्पष्ट रूप से अनुमानित मूल्य से नीचे रहे, दक्षिण क्षेत्र में सब्जियों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव अधिक रहे हैं तथा सब्जियों के मूल्य अनुमानित मूल्यों से अधिक रहे हैं।

थाली स्फीति

थाली स्फीति (थाली के मूल्यों में वर्ष-दर वर्ष वृद्धि), जोकि हमारे विश्लेषण की प्रारंभिक अवधि के दौरान उच्च स्तर पर रही, में काफी गिरावट देखी गई है। जैसाकि स्पष्ट तौर पर दर्शाता है, कि 2019-20 में शाकाहारी एवं मांसाहारी थालियों में स्फीति की दर में वृद्धि एक अस्थायी घटना है जोकि पूर्वास्थिति में वापस आ जाएगी जैसा कि पूर्व वर्षों में हुआ है। शाकाहारी थाली के मामले में, अखिल भारतीय स्तर पर स्फीति 2015-16 में प्राप्त किए गए काफी उच्च स्तर से अनुगामी वर्षों में गिरकर शून्य स्तर से भी नीचे पहुंच गई। मांसाहारी थाली के मामले में, 2013-14 के बाद स्फीति में तेजी से गिरावट आई है। आँकड़ों से पता चलता है कि समय के साथ-साथ सभी घटकों में स्फीति में गिरावट आई है। जहां अनाज में स्फीति दर इस अवधि के दौरान स्थिर दर से घट रही है, वहीं सब्जी के अलावा अन्य सभी घटकों में स्फीति में गिरावट में तेजी आई है। पिछले वर्ष के दौरान, दाल, सब्जी एवं मांसाहारी घटकों के लिए स्फीति की दर में वृद्धि हुई है। सभी क्षेत्रों और राज्यों में संपूर्ण थाली की स्फीति में हमें एक ही रुझान नजर आता हे जो कि गिरावट का है।

थाली की कीमतों में परिवर्तनशीलता

इतने वर्षों में यह देखा गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर कीमतों में माह-दर माह परिवर्तनशीलता का कोई स्पष्ट रूझान नहीं है। इसी प्रकार क्षेत्रवार और राज्यवार परिवर्तनशीलता में भी कोई विशिष्ट रुझान नहीं है।

निष्कर्ष

भोजन केवल साध्य नहीं बल्कि मानव पूंजी के विकास में भी एक आवश्यक घटक है इसलिए यह राष्ट्रीय संपदा निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है। "जीरो हंगर" संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्यों (यथा- लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 12 और लक्ष्य 13) से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है।

आर्थिक समीक्षा में 2006-07 से 2019-20 (अप्रैल-अक्टूबर, 2009) के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतों के क्रमिक विकास को थाली के माध्यम से देखा गया है। 2015-16 से शाकाहारी थाली की कीमतों में अखिल भारतीय स्तर के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर गिरावट देखी गई, यद्यपि इस वर्ष थाली की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसा सब्जियों और दालों की कीमतों में पहले के सालों के मुकाबले आई गिरावट के कारण हुआ है। सभी अन्य घटकों एवं थाली की कीमतों में गिरावट के कारण हमें समीक्षाधीन अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिलती है।

थाली की वहन करने की क्षमता में कामगारों के वेतन के मुकाबले सुधार से आम व्यक्ति के कल्याण में बेहतरी का संकेत मिलता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

स्नातक विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. विश्वास भरे अदृश्य हाथों की भूमिका : अर्थ संपदा सृजन में

प्र. हाल ही में देश आर्थिक समीक्षा में अर्थ संपदा सृजन संपदा की चर्चा की गई है। अर्थ संपदा सृजन के विभिन्न घटकों का उल्लेख करते हुए यह बताये कि यह अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में किस प्रकार सहायक है?

उत्तरः

चर्चा का कारण

- बाजार को सक्षम बनाने, व्यवसाय के लिए अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहन देने तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में संसद में आर्थिक समीक्षा 2019-20 प्रस्तुत किया गया।

परिचय

- आर्थिक समीक्षा 2019-20 में यह दर्शाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के बाद जीडीपी व प्रति व्यक्ति जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में हुए लाभों की व्याख्या की गई है।

अर्थ सृजन का महत्व

- भारत ऐतिहासिक रूप से प्रमुख अर्थसृजक देश रहा है तथा वैश्विक जीडीपी का प्रमुख अंशदाता रहा है। कौटिल्य "आर्थिक क्रियाकलापों के सभी अवरोधों के निराकरण" की मांग करते हुए आर्थिक आजादी का समर्थन करते हैं। तमिल संत थिरूक्कुरल की रचना 'थिरूवल्लुर' में उद्धृत किया गया है कि "धन एक अमोध दीपक है जो प्रत्येक भूमि को गति प्रदान करता है।"
- उद्यमियों द्वारा अर्जित धन आम नागरिकों की सहायता करता है। कर राजस्व के फलस्वरूप सरकार सार्वजनिक वस्तुएँ निर्मित करने एवं एवं नागरिकों को बेहतर सेवाओं पर खर्च करती है।

धन सृजन को बढ़ाने के उपाय-

आर्थिक समीक्षा में धन सृजन को बढ़ाने के अनेक उपायों को चिह्नित किया गया है। ये उपाय हैं-

- जमीनी स्तर पर उद्यमिता-जैसे की भारत के जिलों में नई फर्म बनाने में उद्यमिता दिखी है।
- सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से बाजार की अनदेखी करने वाली नीतियों की समाप्ति, जहाँ ऐसी नीतियाँ आवश्यक नहीं है।

निष्कर्ष

- आर्थिक समीक्षा के इस अध्याय में अर्थ संपदा सृजन से संबधित पारम्परिक तथा वर्तमान परिदृश्य को देखा गया। भारत के आगामी वर्षों के लक्ष्यों- 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था, 2020-21 में भारत के GDP में -6.00 से 6.5% तक की वृद्धि की चर्चा की गयी। भारत सरकार के अब तक के प्रयास तथा आगामी सुधार जैसे- सरकारी नीतियों में बैंकिंग सेक्टर में कृषि प्रबन्धन का विवरण दिया गया है। ■

2. व्यापार समर्थक बनाम पक्षवाद

प्र. आर्थिक समीक्षा (2019-20) में व्यापार समर्थन बनाम पक्षवाद की चर्चा की गई है। व्यापार समर्थन बनाम पक्षवाद भारतीय अर्थव्यवस्था तथा व्यापारिक कंपनियों को किस प्रकार प्रभावित करता है? उल्लेख करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वे में देश के राजकोषीय घाटे से लेकर जीडीपी के अनुमान का खाका दिया गया है। आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि सरकार की योजनाओं का फायदा जनसंख्या के बड़े हिस्से तक पहुँचा है।

परिचय

- भारत की 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा बाजार समर्थक नीतियों को गंभीरता से बढ़ावा देने पर निर्भर करती है जो एक ओर धन सृजन के लिए प्रतिस्पर्धी बाजारों की शक्ति को छूट देना चाहती है और दूसरी ओर उन "व्यापार समर्थक" नीतियों से दूर रहती है जिससे निजी हितों, विशेषकर शक्तिशाली घरानों को बढ़ावा मिल सकता है।

प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना आबंटन

- भारत में यू एस ए, रूस, चीन और आस्ट्रेलिया के बाद विश्व में कोयले का पांचवां सबसे बड़ा रिजर्व (भण्डार) है। कोयला भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वदेशी ऊर्जा स्रोत है और इससे भारत की आधे से अधिक ऊर्जा आवश्यकताएँ पूरी होती है। इसलिए, ऐसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के आबंटन से हमें बाजार अनुकूल और व्यापार अनुकूल नीतियों की तुलना करने के लिए एक बेहतर अध्ययन प्राप्त होता है।

निष्कर्ष

- अतः आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाय जिससे व्यवसायों में प्रतिस्पर्धा भी बना रहे तथा उपभोक्ताओं को लाभ भी हो सके। इससे व्यापार समर्थक इकाइयों का विकास होगा तथा पक्षवाद की संभावना भी कम हो जाएगी। इसके साथ ही यदि उदारीकरण का लाभ उठाना है तथा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो एक सही नीति के तहत आगे बढ़ना होगा। यहीं नहीं छोटी व बड़ी कंपनियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया जा सके। ■

3.नेटवर्क उत्पादों में निर्यात-विशेषज्ञता द्वारा रोजगार सृजन एवं विकास

प्र. नेटवर्क उत्पादों से आप क्या समझते है? क्या नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात की विशेषज्ञता हासिल करके रोजगार सृजन और उच्च विकास दर को प्राप्त किया जा सकता है?

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में वित्त मंत्री ने संसद में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक समीक्षा पेश की। इस समीक्षा में नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात-विशेषज्ञता द्वारा रोजगार-सृजन और विकास का खाका खींचा गया है।

परिचय

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु वर्तमान परिवेश भारत को चीन जैसे श्रम-प्रधान निर्यात पथ का अनुसरण करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है जो उदीयमान युवाओं को लिए असीमित रोजगार अवसर सृजित करने की क्षमता रखता हैं। 'असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' को 'मेक इन इंडिया' के साथ एकीकृत करके, भारत वर्ष 2025 तक 4 करोड़ और वर्ष 2030 तक 8 करोड़ उत्तम वैतनिक रोजगार सृजित कर सकता है।

रोजगार के सृजन में विशिष्टता

- श्रम-गहन गतिविधियों में हमारे तुलनात्मक लाभ और बढ़ती श्रम शक्ति के लिए रोजगार सृजन की अनिवार्यता को देखते हुए उद्योगों के दो समूह हैं, जो निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन की सबसे बड़ी संभावना रखते हैं।
- सर्वप्रथम, भारत के पारंपरिक अकुशल श्रमसाध्य उद्योगों जैसे कि कपड़ा, वस्त्र, फुटवियर और खिलौना में पर्याप्त अप्रयुक्त निर्यात संभावनाएं मौजूद हैं।

आगे की राह

- नेटवर्क उत्पाद को विशेष तरजीह देने की नीति से रोजगार सृजन एंव जीडीपी दोनों में महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है।
- ऐसे देशों के अनुभवों, जिन्होंने त्वरित एवं संधारणीय प्रगति की है, से पता चलता है कि भारत नेटवर्क उत्पादों के निर्यात बाजार में अपनी साझीदारी को मजबूत करने के लिए लक्षित नीतियों को अपना कर भारी लाभांश अर्जित कर सकता है।
- नीतिगत उपायों में इनपुट्स के प्रशुल्क को कम करने, मुख्य बाजार सुधार कारकों के कार्यान्वयन, देश में प्रमुख फर्मों के प्रवेश के अनुकूल माहौल बनाने तथा सेवा से जुड़ी लागतों को कम करने पर बल दिया जाना चाहिए। ■

4. भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने का लक्ष्य

प्र. व्यवसाय सुगमता के क्षेत्र में भारत ने लगातार सुधार किया है, फिर भी कई प्राचलों पर यह पिछड़ा हुआ है। भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

उत्तरः

संदर्भ

- उद्यमिता, नवाचार और धन वृद्धि के प्रयास में व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) एक महत्वपूर्ण घटक है।

परिचय

- वर्ष 2024-25 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर-अर्थव्यवस्था की दिशा में छलांग लगाने के लिए एक व्यवसाय के अनुकूल विनियामक परिवेश तैयार करने और उसे सरल बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

व्यवसाय सुगमता में वैश्विक तुलना

- भारत के कार्य-निष्पादन की तुलना इसके समकक्ष देशों (यथा-चीन, ब्राजील एवं इंडोनेशिया) के साथ-साथ ईज ऑफ डूईंग बिजनेस (ईओडीबी) में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में, न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था से करते हैं तो यह पता चलता है कि भारत किस प्रकार से वर्ष 2009 से 2019 के दशक के दौरान ईओडीबी के केवल उन्हीं मापदंडों पर कितना खरा उतरा जिनमें वह पिछड़ता है, जैसे व्यवसाय प्रारंभ करना, संपत्ति पंजीकरण करना, करों का भुगतान करना तथा अनुबंध लागू करना आदि।

आगे की राह

- आर्थिक समीक्षा में विश्व बैंक की ईओडीबी रैंकिंग में भारत की उसके समकक्ष देशों और साथ ही सबसे उत्तम श्रेणी के देशों से निष्पादन की तुलना की गयी है। यह विश्लेषण चार प्राचलों पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत व्यापार आरंभ करने संपदा रजिस्ट्रीकरण में, करों का भुगतान करने में, और संविदाओं को लागू करने में पिछड़ा है। इसके निष्कर्ष हर श्रेणी में स्पष्ट सुधार की व्यापक संभावना दर्शाते हैं। ■

5. बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्णजयंती : एक समीक्षा

प्र. 'एक विशाल अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में सहायता देने के लिए एक दक्ष बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता होती है' इस कथन के आलोक में भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका बना आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- इस वर्ष (2019-20) की आर्थिक समीक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। ध्यातव्य है कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और सन् 2019 में बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती (50 वर्ष) मनायी गयी।

परिचय

- एक विशाल अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में सहायता देने के लिए एक दक्ष बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता होती है। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने, वर्ष 2024-25 तक इसे 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने तथा इसके आर्थिक पोषण की जिम्मेदारी इन्हीं पर निर्भर है।

बैंकिंग संरचना: राष्ट्रीयकरण से अब तक

- भारत में बैंकिंग हजारों वर्षो से चली आ रही है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) अनिवार्य रूप से औपनिवेशिक काल से चले आ रहे विरासत वाले बैंक हैं, जिनका बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया।

राष्ट्रीयकरण के लाभ

- बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या में जो 1969 में लगभग 1,443 थी,से बढ़कर 1980 में 15,105 शाखाओं के साथ दस गुणा की वृद्धि हुई।
- शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में 5,248 से 13,300 शाखाएं यानि दो गुने की वृद्धि दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट बीस गुणा वृद्धि के साथ 115 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,000 करोड़ रुपए हो गयी।

निष्कर्ष

- आज भारत का बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अनुपात मे बहुत छोटा है। बड़ी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में सहयोग के लिए एक दक्ष बैंकिंग क्षेत्र आवश्यक है।
- भारत की संवृद्धि में आवश्यक सहयोग देने में समर्थ होने के लिए कम से कम 8 बैंकों को विश्व के विशालतम् 100 बैंकों के वर्ग में अपना स्थान बनाना होगा। ■

6. एनबीएफसी क्षेत्र में वित्तीय भंगुरता

प्र. भारत में एनबीएफसी क्षेत्र किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है? इस क्षेत्र में वित्तीय समझौता नियमन के लिए स्वास्थ्य सूचकांक किस प्रकार सहायक हो सकता है?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- आर्थिक समीक्षा (2019-20) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (NBFC) क्षेत्र में वित्तीय भंगुरता (Financial Fragility) पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी है।

स्वास्थ्य सूचकांक (हेल्थ इंडेक्स)

- एनबीएफसी सेक्टर में वित्तीय भंगुरता का प्राक्कलन करने के लिए एक सूचकांक तैयार किया गया। इसकी सहायता से हम एनबीएफसी फर्मों के समक्ष आ रही बाह्य वित्त पोषण की बाधाओं (या पुन: वित्तपोषण जोखिम) का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। हम इस सूचकांक को स्वास्थ्य सूचकांक कहते हैं। इसकी रेंज -100 से +100 की तथा उच्चतर स्कोर फर्म/सेक्टर की उच्चतर वित्तीय स्थिरता को निर्दिष्ट करता है।

हेल्थ स्कोर

- हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के लिए हैल्थ स्कोर मे गिरावट का दौर रियल एस्टेट क्षेत्र की वर्ष 203-4 मे मंदी के शीघ्र बाद शुरू हुआ।
- हैल्थ स्कोर में वर्ष 205 से आगे काफी गिरावट हुई। तथापि, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के प्रबंधन के अंतर्गत आस्ति (एयूएम) में इस अवधि के दौरान काफी बढ़ोत्तरी होती रही है।

निष्कर्ष

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में फर्म उस समय आवर्ती जोखिम के प्रति अतिसंवेदनशील होती है जब वे रियल सेक्टर में अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए लघु अवधि से संबंधित थोक बिक्री निधि बाजार पर अत्यधिक निर्भर होती है।

■

7. थालीनॉमिक्स: भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र

प्र. थालीनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं? भारत में थाली की वहनीयता किस प्रकार की है? विस्तार पूर्वक चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में संसद में पेश की गयी आर्थिक समीक्षा (2019-20) थालीनॉमिक्स (भोजन की थाली का अर्थशास्त्र) पर विस्तृत चर्चा की गयी है।

परिचय

- अर्थशास्त्र हम में से प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है कितु इस तथ्य पर साधारण पुरुष या महिला किसी का भी ध्यान अकसर नहीं जाता है।
- चूंकि जीवन के लिए भोजन आवश्यक होता है इसलिए थाली की तेजी से बढ़ती कीमत का प्रभाव सीधे आम आदमी (जनसाधारण) पर पड़ता है तथा इसे सुस्पष्ट रूप से देखा भी जा सकता है।

थाली की वहनीयता

- हालांकि थालियों की कीमतों से यह पता चलता है कि एक व्यक्ति को थाली की कितनी लागत आएगी। यह जानने के लिए कि थाली की कीमत किसी आदमी की आय पर कैसा प्रभाव डाल रही है? इसके लिए, यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि उसी अवधि में थालियों के मूल्यों की तुलना में व्यक्तियों की आय में भी कैसा परिवर्तन आया है।
- इस उद्देश्य के लिए हम यह देख सकते हैं कि श्रमिक को अपनी दैनिक मजदूरी का कितना हिस्सा अपने परिवार के सदस्यों के लिए दो थालियों को खरीदने के लिए आवश्यक होगा, यदि ये मैट्रिक समय के साथ गिरता है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि स्थिति बेहतर है।

निष्कर्ष

- भोजन केवल साध्य नहीं बल्कि मानव पूंजी के विकास में भी एक आवश्यक घटक है इसलिए यह राष्ट्रीय संपदा निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है। "जीरो हंगर" संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्यों (यथा- लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 12 और लक्ष्य 13) से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। ■

स्मार्ट ब्रेन बूस्टर्स

आर्थिक समीक्षा 2019-20

चर्चा में क्यों?

1.1 हाल ही में भारत सरकार ने आर्थिक समीक्षा 2019-20 प्रकाशित किया है। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा का केन्द्रीय विषय है- 'व्यापार-समर्थक नीतियाँ, सक्षम बाजार की स्थापना और अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ाकर अर्थ सम्पदा का सृजन'।

आर्थिक समीक्षा क्या है?

2.1 आर्थिक समीक्षा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें देश की पिछले वर्ष की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ भविष्य की आर्थिक नीतियों एवं चुनौतियों का विश्लेषण शामिल होता है।

2.2 हालाँकि भारत सरकार आर्थिक समीक्षा को प्रकाशित करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है, न ही सरकार आर्थिक समीक्षा में दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है।

2.3 आर्थिक समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic affairs) द्वारा किया जाता है।

2.3.1 आर्थिक समीक्षा के तैयार होने के बाद इसे वित्त मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। आम तौर पर केन्द्रीय बजट की घोषणा के एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है।

मुख्य बिन्दु

3.1 आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा दस नये विचार प्रस्तुत किए गए हैं जोकि निम्नलिखित हैं-

3.1.1 धन का सृजन सभी के लिए लाभकारी है, बाजार धन सृजन को सक्षम बनाता है। 'विश्वास' सार्वजनिक संपत्ति की तरह होता है, जिसका जितना प्रयोग किया जाए उतना मजबूत होता है। बुनियादी उद्यमी अपने-अपने क्षेत्रों में धन का सृजन करते हैं।

3.1.2 व्यापार समर्थक नीतियों के द्वारा सभी को समान अवसर प्रदान करना, लाल-फीताशाही को समाप्त करना, भारत में निर्माण के जरिये रोजगार बढ़ाना, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में सुधार करना, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करना और थालीनोमिक्स।

3.2 2006-07 और 2019-20 के अवधि के दौरान माँसाहारी थालियों की उपलब्धता में 18% की वृद्धि हुई है जबकि शाकाहारी थालियों में 29% की वृद्धि हुई है।

3.3 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में क्रेडिट उपलब्धता, बीमा कवरेज और सिंचाई सुविधाओं जैसी कुछ बुनियादी चुनौतियों का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता है।

3.4 भारत सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है जोकि मानव पूँजी और समावेशी विकास में निवेश करने से ही प्राप्त होगा।

3.5 सरकार की योजना अपने बजट घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद के 3.8% से कम करके 3.3% करने की है।

3.6 अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान केन्द्र सरकार के जीएसटी संग्रह में 4.1% की वृद्धि हुई है।

3.7 2011-12 और 2017-18 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2.62 करोड़ नये रोजगार का सृजन किया गया है।

3.8 2024-25 तक भारत को 5 ट्रीलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को बुनियादी ढाँचे पर लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है।

3.9 5 ट्रीलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की भारत की आकांक्षा निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करती है-

3.9.1 पहला, व्यापार समर्थक नीतियों को बढ़ावा देना जो धन उत्पन्न करने के लिए प्रतिस्पर्धी बाजारों की शक्ति को उजागर करती है।

3.9.2 दूसरा, "प्रो-क्रोनी" नीति (जोकि निजी हितों का पक्ष लेता है) से दूरी बनाना।

3.10 भारत के श्रम बाजार में लैंगिक-असमानता व्यापक रूप से बढ़ी है। जिसका प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी में गिरावट है। लगभग 60% महिला उत्पादक आयुवर्ग (15-59 वर्ष) का समूह पूर्ण-कालिक घरेलू कार्यों में लगा हुआ है।

3.11 भारत के पास श्रमशक्ति की अपार संभावना है, जिसका प्रयोग कर वह चीन के समान एक विशाल निर्यातक देश बन सकता है।

3.12 यह आर्थिक सर्वेक्षण देश में विकास और रोजगार सृजन के लिए चार रणनीतियों का मसौदा तैयार किया गया है-

3.12.1 ये हैं श्रम-गहन क्षेत्रों विशेषकर नेटवर्क उत्पादों में बड़े पैमाने पर विशेषज्ञता हासिल करना, विशाल पैमाने पर नेटवर्क उत्पादों में संचालन को सक्षम करने पर ध्यान केन्द्रित करना, मुख्य रूप से अमीर देशों की बाजारों में निर्यात करना और व्यापार नीति को उत्साहवर्धक बनाना।

बाजार क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप

चर्चा का कारण

1.1 आर्थिक समीक्षा 2019-20 में सुझाव दिया गया है कि बाजार की क्रियाओं में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को कम करके प्रतिस्पर्धी बाजार को सक्षम बनाया जा सकता है जिससे निवेश एवं आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहन मिलेगा।

आर्थिक स्वतंत्रता

2.1 आर्थिक स्वतंत्रता उद्यमशीलता के लिए संसाधनों के कुशल आवंटन और उत्पादक गतिविधियों की ऊर्जा को सक्षम बनाकर सम्पदा सृजन को प्रोत्साहन करती है।

2.2 यद्यपि भारत ने फर्मों और अपने नागरिकों की लिए आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी इसे जर्जर अर्थव्यवस्था में गिना जाता है।

2.2.1 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 'अधिकांशत: अस्वतंत्र' देशों की श्रेणी में रखा गया है। 2019 में 186 देशों में भारत 129वें स्थान पर था।

सरकारी हस्तक्षेप

3.1 यद्यपि सरकारी हस्तक्षेप नेक इरादों से किया जाता है जिसमें प्राय: सम्पदा का सृजन करते समय बाजारों की क्षमता को कम करके आंका जाता है, फलस्वरूप इसका परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता है।

3.2 सरकार, बाजार को प्रत्यक्ष (वस्तु एवं सेवाओं की मांग एवं पूर्ति के द्वारा) या अप्रत्यक्ष रूप से (टैक्स विनयमन, सब्सिडी या अन्य साधनों द्वारा) प्रभावित करती है।

3.3 किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप प्रथमत: मांग और आपूर्ति को प्रभावित करता है जिससे बाजार का कीमत नियंत्रण प्रभावित होता है।

सरकारी हस्तक्षेप के उदाहरण

4.1 प्रथम, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वस्तुओं की कुल भंडारण सीमा पर लगातार और अप्रत्याशित प्रतिबंध से न तो कीमतों में कमी आती है और न ही मूल्य अस्थिरता को कम करने में मदद मिलती है।

4.1.1 हालांकि इस तरत के हस्तक्षेप से लाभ तथा उत्पीड़न दोनों में वृद्धि होती है।

4.2 द्वितीय, औषधि की मूल्य नियंत्रण (डीपीसीओ) 2013 के माध्यम से औषधियों की कीमतों के विनियमन से विनियमित दवाओं के मूल्य में वृद्धि हुई है।

4.2.1 अक्सर यह देखा गया कि सस्ती औषधियों के अतिरिक्त महंगी औषधियाँ, खुदरा दुकानों के साथ-साथ अस्पतालों में भी बेंची जाती है। इससे DPCO के लक्ष्य- 'औषधियों का मूल्य नियंत्रण', के विपरीत परिणाम मिल रहे हैं।

4.3 तृतीय, खाद्यान्न बाजार में सरकार की नीतियों ने सरकार को खाद्यान्न के सबसे बड़े भण्डारक व जमाखोर के रूप में उभारा है। इससे बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4.3.1 इन नीतियों के कारण खाद्य सब्सिडी, का बोझ बढ़ गया है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम की अधिप्राप्ति की लागत (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन-न्यूनतम समर्थन मूल्य और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच अंतर) और भारतीय खाद्य निगम के वितरण और माल ढुलाई की लागत शामिल है।

आगे की राह

5.1 अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में गैरजरूरी और अकुशल सरकारी हस्तक्षेप बना हुआ है, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गयी है और उनको समाप्त किए जाने की जरूरत है।

5.2 विशेषत: औद्योगिक उदारीकरण, राज्य के स्वामित्व वाले कई उपक्रमों का निजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर नियंत्रण में कटौती की आवश्यकता है।

5.3 बाजार को प्रतिस्पर्धी, निवेश और आर्थिक विकास में तेजी के लिए सरकार को औद्योगिक इकाइयों की जांच करनी चाहिए।

5.4 बाजार की विफलता के समय सरकार हस्तक्षेप कर निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है।

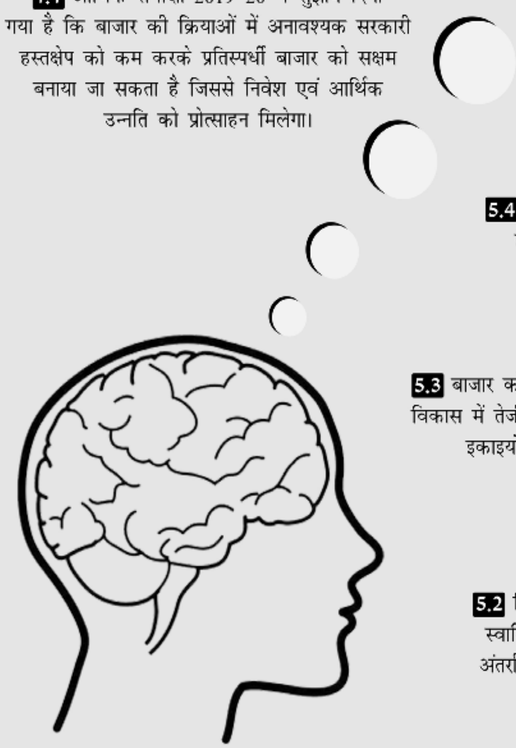

जमीनी स्तर पर उद्यमिता और धन सृजन

चर्चा में क्यों?

1 आर्थिक समीक्षा (2019-20) में भारत सरकार के 'स्टार्ट-अप इंडिया' अभियान को भारत उत्पादकता वृद्धि एवं धन सृजन के संवर्धन के लिए उद्यमिता की उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में पहचान दी गई है।

भारत में उद्यमिता की स्थिति

2.1 विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार नई फर्मों की स्थापना के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।

2.2.1 औपचारिक क्षेत्र में नई फर्मों के सृजन में 2006-14 के दौरान की संचयी वृद्धि दर 3.8% रही जबकि 2014-18 के बीच में यह वृद्धि 12.2% रही।

2.2.2 परिणामत: 2014 में 70,000 नई फर्में सृजित हुई, जबकि 2018 में 80% की वृद्धि के साथ 1,24,000 नई फर्में सृजित हुई।

2.2 वर्ष 2014 के बाद से नई फर्मों की स्थापना में तीव्र वृद्धि देखने को मिली है।

2.3 सेवा क्षेत्र में नई फर्मों की स्थापना, विनिर्माण, अवसंरचना और कृषि की तुलना में कहीं ज्यादा है।

2.4 जिले में साक्षरता और शिक्षा स्थानीय उद्यमिता को असाधारण रूप से बढ़ावा देती है।

2.4.1 भारत के पूर्वी हिस्से की साक्षरता दर लगभग 59.6% है और इस क्षेत्र में नई फर्मों का सृजन भी सबसे कम है।

2.4.2 जिलों में स्थानीय शिक्षा और भौतिक अवसंरचना नई फर्मों के सृजन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

उद्यमिता और जीडीपी

3.1 आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष नई फर्मों के पंजीकरण में 10% की वृद्धि से जिले की जीडीपी में 1.8% की वृद्धि होती है।

3.1.1 ये परिणाम इस बात पर बल देते हैं कि उद्यमिता का महत्व भारत की आर्थिक वृद्धि और परिवर्तन के इंजन के रूप में है।

3.1.2 साथ ही यह भी परिलक्षित होता है कि आगामी दशक में औपचारिक क्षेत्र में उत्पादकता और समृद्धि निर्देशित उद्यम क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होंगे।

उद्यमिता क्रियाकलाप में स्थानिक विविधता

4.1 कृषि क्षेत्र से संबंधित उद्यमी कार्यकलाप के उच्चतम राज्य मणिपुर, मेघालय, मध्यप्रदेश, असम, त्रिपुरा तथा उड़ीसा हैं।

4.2 विनिर्माण, सेवाओं तथा अवसंरचना की उद्यमी क्षमताओं की भांति कृषि उद्यमी क्षमताओं में भौगोलिक रूप से स्थानीयता नहीं हैं, बल्कि यह देश भर में समान रूप से वितरित है।

4.3 गुजरात, मेघालय, पुदुचेरी, पंजाब तथा राजस्थान विनिर्माण से संबंधित उद्यमी क्रियाकलापों में उच्चतम स्थान पर हैं।

4.4 सेवा क्षेत्र की उद्यमी गतिविधियाँ दिल्ली, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, केरल, अण्डमान निकोबार तथा हरियाणा के क्षेत्रों में सबसे अधिक हैं।

4.5 अवसंरचना के मामले में सर्वाधिक उद्यमी गतिविधियाँ झारखण्ड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू एवं कश्मीर तथा बिहार जैसे राज्यों में देखने को मिलती हैं।

आगे की राह

5.1 सर्वप्रथम विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संस्थापना के जरिए साक्षरता के स्तर में वृद्धि करने संबंधी उपायों से लोग उद्यमिता के लिए प्रेरित होगें फलस्वरूप स्थानीय सम्पदा में वृद्धि होगी।

5.2 गांवों तक बेहतर सड़क सम्पर्क के माध्यम से स्थानीय बाजारों तक पहुँच बढ़ाकर उद्यमिता संबंधी कार्यकलापों में सुधार किया जा सकता है।

5.3 कारोबारी सुगमता एवं लचीले श्रम विनियमन वाली नीतियों को अपनाकर उद्यमिता कार्यकलापों विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

5.3.1 विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार सृजन की क्षमता है; इसलिए राज्यों को कारोबारी सुगमता और लचीले श्रम विनियमों को सामर्थ्यशील बनाकर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

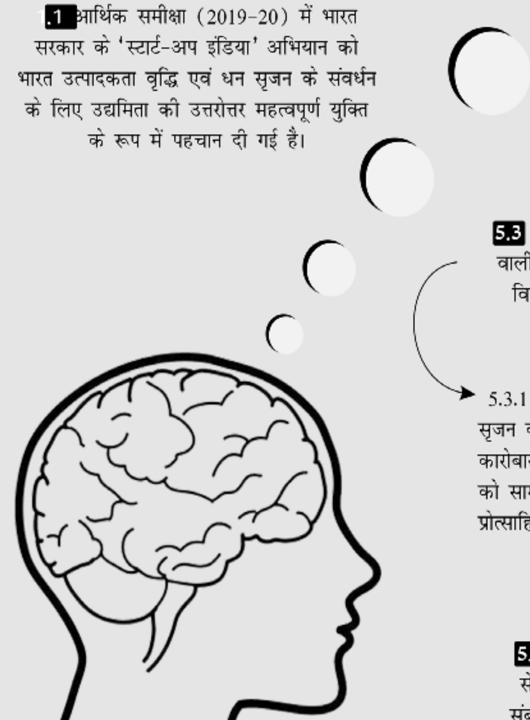

भारत की जीडीपी की प्राक्कलन विधि का विश्लेषण

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में संसद में पेश की गयी आर्थिक समीक्षा (2019-20) में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की प्राक्कलन विधि पर विस्तृत चर्चा की गयी है।

1.2 आर्थिक समीक्षा में विभिन्न तथ्यों एवं रीतियों के द्वारा सिद्ध किया गया है कि भारत में जीडीपी की प्राक्कलन विधि वैश्विक मानकों के अनुरूप है और जीडीपी वृद्धि के आँकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दर्शाया गया है।

परिचय

2.1 आर्थिक समीक्षा (2019-20), भारत की जीडीपी के आकलन की वास्तविकता के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करती है।

2.2 देश की जीडीपी का स्तर एवं विकास विभिन्न जटिल पहलुओं की जानकारी देता है जो कि अर्थव्यवस्था के आकार एवं स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। अत: यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जीडीपी को जहाँ तक संभव है वास्तविकता से मापा जाए।

2.3 अभी हाल ही में विद्वानों, नीति निर्धारकों और नागरिकों में इस बात पर बहुत बहस एवं विचार विमर्श हुआ कि क्या आज की जीडीपी का सटीक अनुमान लगाया गया है।

2.4 मौजूदा बौद्धिक साहित्य और इकनोमीट्रिक उपायों के और अधिक मजबूती से उठाया गया है जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि भारत की जीडीपी, जिसकी आकलन प्रक्रिया 2011 में संशोधित नहीं की गई थी, उससे उच्चतर है।

2.5 निर्धारित प्रभावों के साथ एक से दूसरे देश के सामान्य अंतर विधि का प्रयोग करते हुए इस भारतीय जीडीपी के दोषपूर्ण आकलन के पक्ष में किसी मजबूत साक्ष्य की कमी को दर्शाया है।

2.6 वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक सुदृढ़ निवेश वातावरण तैयार किया जाना अति आवश्यक है।

2.7 किसी भी अशुद्धता का आकलन करते समय "शुद्ध प्राक्कलन" के लिए एक बेंचमार्क की आवश्यकता होती है जो पारिभाषिक रूप से "प्रति-तथ्यात्मक" को निरूपित करता है, यानि, ऐसा तथ्य जो वस्तुत: उजागर नहीं हुआ और इसलिए उसे प्राक्कलित करना होगा।

प्राक्कल पद्धति

3.1 भारत के 504 जिलों में औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत नई फर्मों के सृजन से संबंधित विश्लेषण किया गया है। इस सदर्भ में किए गए दो प्रेक्षण महत्वपूर्ण हैं।

3.2 प्रथम, साक्ष्य दर्शाता है कि किसी नवीन फर्म-सृजन में 10 प्रतिशत वृद्धि से जिला स्तर की जीडीपी में 1.8 प्रतिशत वृद्धि होती है।

3.3 द्वितीय, नवीन फर्म-सृजन के विषय में साक्ष्य दर्शाते हैं कि सेवा क्षेत्र में नवीन फर्मों का सृजन विनिर्माण, अवसरंचना या कृषि क्षेत्र के मुकाबले बहुत अधिक हैं।

प्रभाव

4.1 चूँकि अर्थव्यवस्था में निवेश करने वाले देश की जीडीपी वृद्धि को ध्यान में रखते हैं अत: यदि इसके परिणाम के विषय में किसी प्रकार की अनिश्चितता हो तो ऐसे निवेश की मात्रा भी प्रभावित हो सकती है।

निष्कर्ष

5.1 जब विभिन्न देशों की समस्त अप्रत्यक्ष परस्पर भिन्नताओं को तथा विभिन्न देशों के बीच जीडीपी वृद्धि में विभेदी रूझानों (प्रवृत्तियों) को सम्मिलित करते हुए इन प्रतिमानों के आधार पर प्राक्कलनों की त्रुटि को सुधारा जाता है तो इन देशों (भारत सहित) में से अधिकांश की जीडीपी वृद्धि न तो अति-प्राक्कलित है और न ही अल्प-प्राक्कलित।

5.2 निष्कर्षत: भारत की जीडीपी को लेकर अति-प्राक्कलन संबंधी चिंताएँ निराधार हैं।

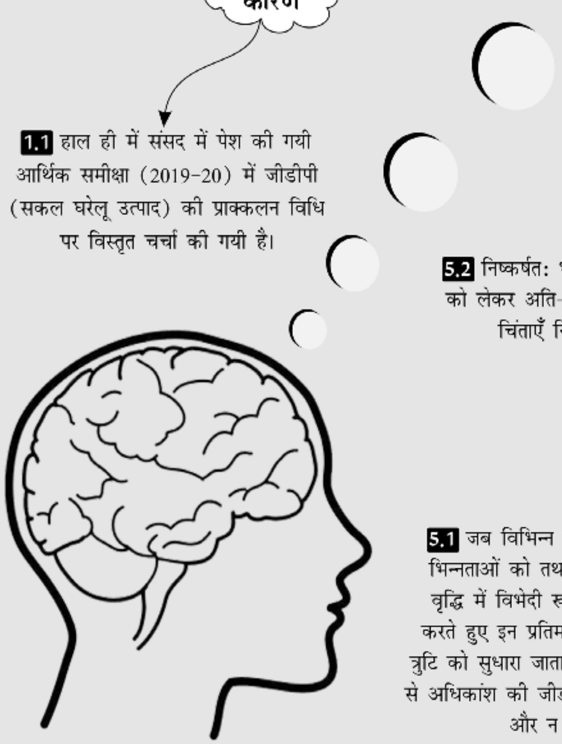

मेक इन इंडिया में असेंबल इन इंडिया का एकीकरण

चर्चा का कारण

1.1 आर्थिक समीक्षा में 'असेंबल इन इंडिया' का 'मेक इन इंडिया' के साथ एकीकरण करने का सुझाव दिया गया है। जिससे भारत अपने निर्यात बाजार को 2025 तक 3.5% तथा 2030 तक 6% बढ़ा सकता है।

परिचय

2.1 आर्थिक समीक्षा में निर्यात के क्षेत्र में चीन की तुलना में भारत के निम्न प्रदर्शन की समीक्षा की गयी है।

2.2 आर्थिक समीक्षा में यह भी बताया गया है कि चीन अपनी विशेषज्ञता के कारण वैश्विक निर्यात बाजार पर भारत की तुलना में कहीं अधिक कब्जा किए हुए है।

2.3 हालांकि सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि भारत उत्पादों एवं बाजारों के विविधीकरण के मामले में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

भारत की स्थिति

3.1 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत अपने निर्यात भागीदारों के साथ विनिर्मित उत्पादों के क्षेत्र में 13.4% का हिस्सा एवं कुल व्यापार में 10.9% का हिस्सा रखता है।

3.2 जबकि आयात के मामले में विनिर्मित उत्पादों में 12.7% तथा कुल व्यापार में 8.6% का हिस्सा है।

3.3 फलस्वरूप व्यापार संतुलन की दृष्टि से भारत विनिर्मित उत्पादों के क्षेत्र में 0.7% एवं कुल व्यापार में 2.3% के लाभ की स्थिति में है।

3.4 भारत अपनी विशेषज्ञता के कारण अपेक्षाकृत कम और मध्यम आय वाले देशों के बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से लाभ की स्थिति में है जबकि अमीर देशों के बाजारों में भारत की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है।

आर्थिक समीक्षा के निष्कर्ष

4.1 सर्वेक्षण में चीन का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि चीन ने विभिन्न उपकरणों का आयात कर उन्हें असेम्बल करके अपने निर्यात को बढ़ाया है साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार भी उत्पन्न किये हैं।

4.2 सर्वेक्षण में भारत को भी चीन से इस उदाहरण को अपनाने का सुझाव दिया गया है।

4.3 वर्तमान में वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में भारत के पास अनेकों अवसर हैं। भारत चीन के ही समान श्रम गहन एवं निर्यात उन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर इस अवसर का लाभ उठा सकता है।

4.4 भारत को 'असेम्बल इन इंडिया' के साथ ही नेटवर्क उत्पादों (जैसे कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल उपकरणों) में भी महारत हासिल करनी होगी।

4.4.1 उपर्युक्त कदमों से भारत में 2025 तक 40 मिलियन नौकरियां एवं 2030 तक 80 मिलियन नौकरियां सृजित की जा सकती हैं।

आगे की राह

5.1 भारत एवं चीन के मध्य व्यापार असंतुलन के साथ-साथ विशेषज्ञता असंतुलन भी मौजूद है।

5.2 यदि भारत को एक प्रमुख निर्यातक देश बनाना है तो इसे दो प्रमुख सुझावों को अपनाना चाहिए-

5.2.1 भारत को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा एवं उत्पादों में मात्रात्मक विस्तार करना होगा।

5.2.2 इसे श्रम-गहन उत्पाद के क्षेत्र में पुनर्संरचना पर ध्यान देना होगा।

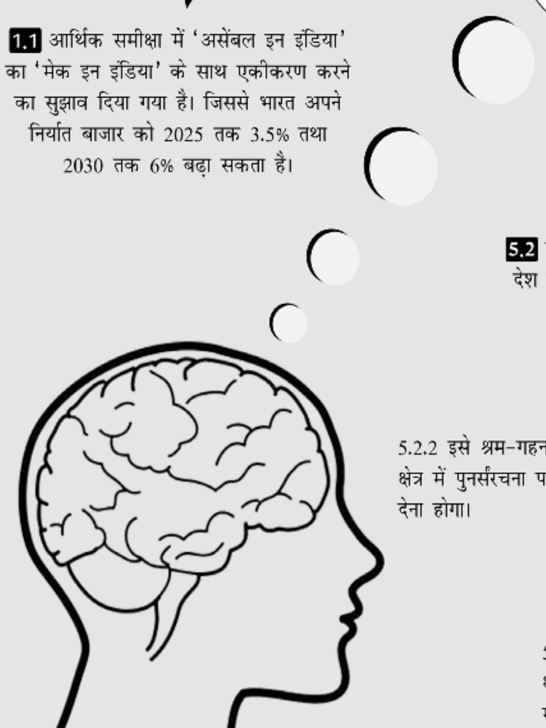

मुक्त व्यापार समझौता

चर्चा का कारण

1.1 आर्थिक समीक्षा 2019-20 ने वैश्विक व्यापार सौदों में भाग लेने के लिए भारत की जोरदार वकालत की है।

पृष्ठभूमि

2.1 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आर.सी.ई.पी.) समझौते में भारत की भागीदारी संबंधी पहलों को लेकर मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की सामान्य दक्षता के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं।

2.2 ज्ञातव्य है कि गतवर्ष भारत ने RCEP के तहत प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से अपने-आप को अलग कर लिया था।

2.3 भारत ने विकसित देशों जैसे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ भी कई मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहल किए हैं लेकिन इस क्षेत्र में भारत की प्रगति काफी धीमी है।

2.4 वास्तव में, भारत जिसने अब-तक 14 एफटीए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ने वर्ष 2011 के बाद से कोई नया मुक्त व्यापार समझौता नहीं किया है।

मुक्त व्यापार समझौता क्या है

3.1 मुक्त व्यापार समझौता व्यापार को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। इसके तहत दो देशों या दो से अधिक देशों या एक देश तथा एक व्यापार ब्लॉक देश के मध्य आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियम कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को आसान बनाया जाता है।

3.2 एफटीए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), निवेश, सरकारी खरीद तथा प्रतिस्पर्धा नीतियों जैसे क्षेत्रों को भी अच्छादित (Cover) करता है।

3.3 क्षेत्रीय स्तर पर, प्रत्येक सीमा शुल्क संघ, आम व्यापार बाजार, आर्थिक संघ, सीमाशुल्क और मौद्रिक संघ आदि मुक्त व्यापार क्षेत्रों पर बातचीत करते हैं।

क्या एफटीए लाभकारी हैं?

4.1 भारत ने पिछले जिन एफटीए पर हस्ताक्षर किए थे उनमें से अधिकांश (एफटीए) भारत के लिए लाभदायक नहीं रहे हैं।

4.2 तर्क यह भी है कि समझौते को आगे बढ़ाने से सहभागी देशों, (जिनके साथ भारत ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं) के साथ भारत की व्यापारिक घाटे की दशा और खराब हुई है।

4.3 मूल व्यापार सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि किसी देश को मुक्त व्यापार से लाभ तभी होता है जब देश के संसाधनों का अधिक प्रभावी तरीके से आवंटन किया जाता है।

4.4 इस सर्वे से ज्ञात होता है कि भारत के विनिर्मित उत्पादों में भारत ने विचारार्थ 14 में से 8 व्यापारिक समझौतों में स्पष्ट रूप से लाभ अर्जित किए हैं, ये हैं- मर्कोसुर, आसियान, नेपाल, सिंगापुर, चिली, भूटान, अफगानिस्तान और जापान।

4.5 चार समझौतों (SAFTA, BIMSTEC, थाईलैण्ड और श्रीलंका) का विनिर्मित उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है जबकि कोरिया एवं जापान के साथ संपन्न समझौतों से ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है।

4.6 विनिर्मित निर्यात की तुलना में, बहुत कम व्यापारिक समझौतों ने भारत के विनिर्माण आयात पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

4.7 भारत के आयात पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले समझौतों में विनिर्मित उत्पादों के लिए समग्र व्यापारिक आयात पर भागीदार देश जैसे- जापान, कोरिया, चिली सिंगापुर एवं श्रीलंका आदि शामिल हैं।

4.8 यहां तक कि कुछेक समझौतों से अधिकांश मामलों में आयात में वृद्धि प्रतिशत से अधिक है।

4.9 कोरिया जापान एवं श्रीलंका के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते इसका अपवाद हैं जहाँ आयात की प्रतिशत वृद्धि निर्यात से अधिक है।

4.10 जिन साझेदारों के साथ भारत ने करार किए हैं उनका भारत के निर्यातों पर समग्र प्रभाव विनिर्मित उत्पादों के संबंध में 13.4 प्रतिशत तथा कुल व्यापार के संबंध 10.9 प्रतिशत पड़ा है।

4.11 आयातों पर समग्र प्रभाव विनिर्मित उत्पादों के संबंध में 12.7 प्रतिशत और कुल व्यापारिक माल के संबंध में 8.6 प्रतिशत के निम्नतर स्तर पर पाया जाता है।

4.12 इसलिए व्यापार संतुलन के परिप्रेक्ष्य से भारत ने, विनिर्मित उत्पादों के संबंध में व्यापार अधिशेष में प्रतिवर्ष 0.7 प्रतिशत तथा कुल व्यापारिक माल के संबंध में व्यापार अधिशेष में प्रतिवर्ष 2.3 प्रतिशत का "लाभ" स्पष्ट तौर पर प्राप्त किया है।

निजीकरण और धन सृजन

चर्चा का कारण

1.1 आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में तेज विनिवेश का सुझाव दिया गया है क्योंकि यह कदम लाभ और दक्षता सुनिश्चित करता है।

परिचय

2.1 निजीकरण की क्षमता की जाँच परख करने और यह देखने के लिए कि निजीकरण के लाभ भारतीय संदर्भ में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं?

2.1.1 निजीकरण के पहले और बाद में चयनित सीपीएसई पर रणनीतिक विनिवेश/निजीकरण के प्रभाव का मुल्यांकन करने के लिए 11 सीपीएसई का अध्ययन किया गया है जिनका 1999-2000 से 2003-04 तक रणनीतिक विनिवेश हुआ था।

2.2 इसमें यह भी बताया गया है कि राज्य द्वारा संचालित ऐसी ईकाइयाँ (जिनका विनिवेशीकरण किया गया है) का प्रदर्शन पूर्ण सरकारी नियंत्रण वाली ईकाइयों से बेहतर है।

2.2.1 ये सीपीएसई, निजीकरण के पश्चात शुद्ध लाभ, परिसंपत्तियों पर वापसी (Teturn on assets), चुकता पूंजी (इक्विटी) पर वापसी (Return on Equity), स्कल राजस्व, शुद्ध लाभ, बिक्री में वृद्धि और प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ, आदि के क्षेत्र में सरकार द्वारा नियंत्रित इकाईयों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती हैं।

"भारत की विनिवेश नीति का क्रमिक विकास"

3.1 1991 में शुरू किये गये उदारीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के निजीकरण/विनिवेश की मांग बढ़ी।

3.2 प्रारंभिक चरण में यह विनिवेश नीलामी के माध्यम से, सामूहिक रूप से छोटे-छोटे शेयरों की बिक्री करके किया गया था। इसके बाद आने वाले वर्षों में प्रत्येक कम्पनी की अलग-अलग बिक्री की गयी।

3.3 भारत ने 1999-2000 में एक नीतिगत उपाय के तौर पर बिक्री की प्रक्रिया शुरू की जिसके अंतर्गत कुछ अभिज्ञात केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में सरकार के 50% या इससे अधिक की हिस्सेदारी का काफी हिस्से बेचा गया और साथ ही प्रबंधनपरक नियंत्रण का अंतरण भी किया गया।

3.4 विनिवेश एवं सार्वजनि परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) ने मई, 2016 में एक व्यापक दिशा निर्देश जारी किया हैं, जिन्हें "सीपीएसई की पूंजी पुर्नसंख्या" के नाम से जाना जाता है।

3.4.1 इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समाधान किये गये थे जैसे कि लाभांश का भुगतान, शेयरों की वापस खरीद, बोनस शेयर को जारी करना और शेयरों को अलग-अलग भागों में तोड़ना।

3.5 नीति आयोग ने रणनीतिक विनिवेश हेतु पीएसयू की पहचान को अनिवार्य कर दिया है।

3.6 इस उद्देश्य हेतु, नीति आयोग ने पीएसयू को "उच्च प्राथमिकता" और "निम्न प्राथमिकता" में वर्गीकृत किया है जोकि- (क) राष्ट्रीय सुरक्षा (ख) कम से कम सराकारी हस्तक्षेप और (ग) बाजार अपूर्णता और लोक प्रयोजन के आधार पर किया गया है।

3.7 20 नवंबर, 2019 को सरकार ने घोषणा की कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल), भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एससीआई) और भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) के खरीदारों को पूर्ण प्रबंधन नियंत्रण सौंप दिया जाएगा।

आगे की राह

4.1 सीपीएसई का रणनीति विनिवेश फर्म के प्रदर्शन और समग्र उत्पादकता में सुधार करता है, और धन सृजन के लिए संभावना के द्वारा खोलता है।

4.2 इसका अर्थव्यवस्था के लिए क्षेत्रों पर गुणात्मक प्रभाव पड़ता है।

4.3 रणनीतिक विनिवेश के संदर्भ में "आसानी से हासिल किए जाने वाले लक्ष्य" का उपयोग संभावित उच्च लाभ लाने में, दक्षता को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और चयनित सीपीएसई के प्रबंधन में व्यावसायवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।

4.4 रणनीतिक विनिवेश का ध्यान गैर-रणनीतिक व्यापार से हटाकर और पहचाने गए सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम में दक्षता और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देकर आर्थिक क्षमता का इष्टतम उपयोग में लगाने की आवश्यकता है।

4.5 राजकोषीय गुंजाइश के सृजन को सुविधाजनक बनाने और सार्वजनिक संसाधनों के कुशल आवंटन में सुधार लाने के लिए इन पर ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।

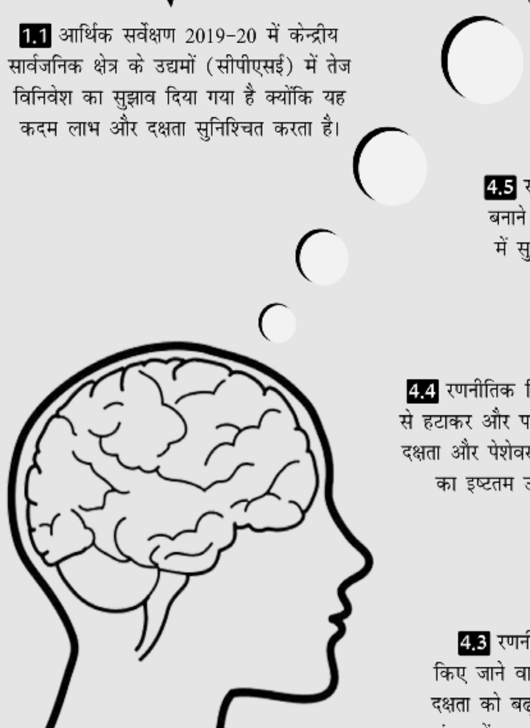

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. आर्थिक समीक्षा 2019-20

प्र. आर्थिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में प्रकाशित आर्थिक समीक्षा 2019-20 का केन्द्रीय विषय है- 'व्यापार-समर्थक नीतियाँ, सक्षम बाजार की स्थापना और अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ाकर अर्थ सम्पदा का सृजन'।
2. अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान केन्द्र सरकार के जीएसटी संग्रह में 4.1% की वृद्धि हुई है।
3. भारत के श्रम-बाजार में लैंगिक-असमानता व्यापक रूप से बढ़ी है जिसका प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी में गिरावट है।
4. सरकार की योजना अपने बजट घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद के 3.8% से कम करके 3.3% तक करने की है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) 1, 2, 3 और 4 (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में भारत सरकार ने आर्थिक समीक्षा 2019-20 प्रकाशित किया है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें देश की पिछले वर्ष की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ भविष्य की आर्थिक नीतियों एवं चुनौतियों का विश्लेषण शामिल होता है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

■

2. बाजार क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप

प्र. दिए गए कथनों में गलत कथन का चयन करें-

(a) आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 'अधिकांशतः अस्वतंत्र' (Mostly unfree) की श्रेणी में रखा गया है।
(b) आर्थिक समीक्षा 2019-20 में कहा गया है कि बाजार की क्रियाओं में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को कम करके प्रतिस्पर्द्धा बाजार में सक्षम बनाया जा सकता है।
(c) आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में वर्ष 2019 में 186 देशों में भारत 139वें स्थान पर था।
(d) अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर खाद्य सब्सिडी का बोझ बढ़ गया है।

उत्तर: (c)

व्याख्या: आर्थिक समीक्षा 2019-20 में कहा गया है कि बाजार की क्रियाओं में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को कम करके प्रतिस्पर्द्धा बाजार को सक्षम बनाया जा सकता है जिससे निवेश एवं आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहन मिलेगा। आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में वर्ष 2019 में 186 देशों में भारत 120वें (न कि 139 वें) स्थान पर था। इस तरह कथन (c) गलत है। अतः उत्तर (c) होगा।

■

3. जमीनी स्तर पर उद्यमिता और धन सृजन

प्र. उद्यमिता और धन सृजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कृषि क्षेत्र से संबंधित उद्यमी कार्यकलाप के उच्चतम राज्य मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा तथा ओडिशा हैं।
2. गुजरात, मेघालय, पुदुचेरी, पंजाब तथा राजस्थान विनिर्माण से संबंधित उद्यमी क्रियाकलापों में उच्चतम स्थान पर हैं।
3. सेवा क्षेत्र की उद्यमी गतिविधियां दिल्ली, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, केरल, अण्डमान एवं निकोबार तथा हरियाणा के क्षेत्रों में सबसे अधिक हैं।
4. अवसंरचना के मामले में सर्वाधिक उद्यमी गतिविधियाँ झारखण्ड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू एवं कश्मीर तथा बिहार जैसे राज्यों में देखने को मिलती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) 1, 2, 3 और 4 (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में जारी आर्थिक समीक्षा 2019-20 में भारत सरकार के 'स्टार्ट अप इंडिया' अभियान को भारत की उत्पादकता वृद्धि एवं धन सृजन के संवर्धन के लिए उद्यमिता की उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में पहचान दी गई है। भारत में उद्यमिता की स्थिति के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

■

4. भारत की जीडीपी की प्राक्कलन विधि का विश्लेषण

प्र. भारत की जीडीपी की प्राक्कलन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जीडीपी प्राक्कलन विधि के अंतर्गत भारत के 804 जिलों में

औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत नई फर्मों के सृजन से संबंधित विश्लेषण किया गया है।

2. सुक्ष्म साक्ष्य से ज्ञात होता है कि किसी नवीन फर्म-सृजन में 10 प्रतिशत वृद्धि से जिला स्तर की जीडीपी में 1.8 प्रतिशत वृद्धि होती है।
3. नवीन फर्म-सृजन के विषय में आँकड़े दर्शाते हैं कि सेवा क्षेत्र में नवीन फर्मों का सृजन विनिर्माण, अवसंरचना या कृषि क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (b)

व्याख्या: हाल ही में संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा में जीडीपी की प्राक्कलन विधि पर विस्तृत चर्चा की गई है। इस विविध के अंतर्गत भारत के 504 (न कि 804) जिलों में औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत नई फर्मों के सृजन से संबंधित विश्लेषण किया गया है। इस तरह कथन 1 गलत है। इस विषय में आँकड़े दर्शाते हैं कि सेवा क्षेत्र में नवीन फर्मो का सृजन विनिर्माण अवसंरचना या कृषि के मुकाबले बहुत अधिक है। इस तरह कथन 3 गलत है। अतः उत्तर (b) होगा। ■

5. मेक इन इंडिया में असेंबल इन इंडिया का एकीकरण

प्र. दिए गये कथनों में गलत कथन का चयन करें-

(a) आर्थिक समीक्षा 2019-20 में 'असेंबल इन इंडिया' का 'मेक इन इंडिया' के साथ एकीकरण की बात की गई जिससे कि भारत अपने निर्यात बाजार को 2025 तक 3.5% बढ़ा सके।

(b) समीक्षा के अनुसार भारत अपने निर्यात भागीदारों के साथ विनिर्मित उत्पादों के क्षेत्र में 21% का हिस्सा रखता है।

(c) आर्थिक समीक्षा के अनुसार, आयात के मामले में भारत विनिर्मित उत्पादों में 12.7% तथा कुल व्यापार में 8.6% का हिस्सा रखता है।

(d) इस एकीकरण से भारत में 2025 तक 40 मिलियन रोजगार सृजित की जा सकती है।

उत्तरः (b)

व्याख्या: आर्थिक समीक्षा में 'असेंबल इन इंडिया' का 'मेक इन इंडिया' के साथ एकीकरण करने की बात की गई है। इससे भारत अपने निर्यात बाजार को 2025 तक 3.5% तथा 2030 तक 6% बढ़ा सकता है। समीक्षा के अनुसार, भारत अपने निर्यात भागीदारों के साथ विनिर्मित उत्पादों के क्षेत्र में 13.4% (न कि 21%) का हिस्सा रखता है। इस तरह कथन (b) गलत है। अतः उत्तर (b) होगा। ■

6. मुक्त व्यापार समझौता

प्र. मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में अब तक कुल 14 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
2. एफटीए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) निवेश, सरकारी खरीद तथा प्रतिस्पर्द्धी नीतियों जैसे क्षेत्रों को भी आच्छादित करता है।
3. समीक्षा से ज्ञात होता है कि भारत 14 में से 8 व्यापारिक समझौतों में स्पष्ट रूप से लाभ अर्जित किया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्या: आर्थिक समीक्षा 2019-20 में वैश्विक व्यापार सौदों में भाग लेने के लिए भारत की जोरदार वकालत की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत अब तक 14 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसमें से 8 व्यापारिक समझौते में लाभ की स्थिति में है। ये 8 एफटीए मर्कोसुर, आसियान, नेपाल, सिंगापुर, चिली, भूटान, अफगानिस्तान तथा जापान के साथ हैं। इस तरह तीनों कथन सही है। अतः उत्तर (d) होगा। ■

7. निजीकरण और धन सृजन

प्र. निजीकरण और धन सृजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्ष 1999 में शुरू किये गये उदारीकरण/निजीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के निजीकरण/विनिवेश की मांग बढ़ी है।
2. विनिवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने मई 2016 में एक व्यापक दिशा-निर्देश जारी किया, जिन्हें 'सीपीएसई की पूंजी पुनर्संख्या' के नाम से जाना जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्या: वर्ष 1991 (न कि 1999) में शुरू किये गये उदारीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के निजीकरण/विनिवेश की मांग बढ़ी है। इस तरह कथन (1) गलत है। विदित हो कि विनिवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने मई 2016 में एक व्यापक दिशा-निर्देश जारी किया, जिन्हें 'सीपीएसई की पूंजी पुनर्संख्या' के नाम से जाना जाता है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो (India International Seafood Show) के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है?

-कोच्चि (केरल)

2. हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुष्ठरोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किया है?

-व्यक्तिगत श्रेणी में- डॉ. एन.एस. धर्मशक्तु

-संस्थागत श्रेणी में- कुष्ठरोग मिशन ट्रस्ट

3. हाल ही में किस राज्य सरकार ने बालश्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवाँ (Mukti Caravan) अभियान शुरू किया है?

-राजस्थान

4. हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है?

-के. पारसरन

5. हाल ही में संपन्न अण्डर-19 वर्ल्डकप किस देश ने पहली बार जीता?

-बांग्लादेश

6. हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमण्डल का 54वाँ सदस्य बना है?

-मालदीव

7. हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे किशोर सम्मान से पुरस्कृत किया गया है?

-वहीदा रहमान

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. आर्थिक समीक्षा 2019-20 के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की आगामी समृद्धि की संभावना पर चर्चा कीजिए।

2. जिस तरह से सार्वजनिक डाटा को राज्य एवं निजी दोनों संस्थाओं द्वारा संग्रहण एवं उपयोग किया जा रहा है, उसे देखते हुए एक व्यापक डाटा संरक्षण अधिनियम समय की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

3. भारत में लगातार आर्द्रभूमि का क्षय हो रहा है। आर्द्रभूमि क्षय के कारण खाद्य श्रृंखला तथा पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित हो रहा है? चर्चा करें।

4. आम बजट 2020 में क्वांटम टेक्नॉलोजी पर चर्चा की गई। क्वांटम टेक्नॉलजी क्या है? इसके अनुप्रयोग तथा भविष्य में यह भारत के लिए किस प्रकार कारगर होगा? समझाइए।

5. सरकार ने हाल के दिनों में संसाधन जुटाने के लिए विनिवेश नीति को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। सरकार के इस कदम की समीक्षा कीजिए।

6. संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की प्रतिद्धन्दता भारत के लिए किस प्रकार कुटनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकती है? उल्लेख करें।

7. चोल साम्राज्य की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक

- 5 फरवरी, 2020 को यू.एस. चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेष नीति केंद्र (GIPC) ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में 53 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है।
- इस सूचकांक में भारत 4 स्थानों की गिरावट के साथ 40वें पायदान पर पहुँच गया है। पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर था।
- इस वर्ष भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 16.22 का स्कोर हासिल किया है। भारत के स्कोर में पिछले वर्ष के मुकाबले 7% वृद्धि हुई है। परन्तु अन्य देशों के मुकाबले तुलनात्मक प्रदर्शन के आधार पर भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है।
- इस सूचकांक में 42.66 के स्कोर के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और आयरलैंड का स्थान है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लाइसेंसिंग, तकनीक हस्तांतरण, बायो-फार्मास्यूटिकल बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए सीमित फ्रेमवर्क, पंजीकरण की मुश्किल आवश्यकताओं की लम्बी प्रक्रिया इत्यादि में सुधार करने की आवश्यकता है।
- इस सूचकांक में 45 सूचकों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन इत्यादि के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया गया है।
- यह सूचकांक जीआईपीसी ने 45 संकेतकों पर तैयार किया है। इनमें पेटेंट, कॉपीराइट और व्यापार गोपनीयता का संरक्षण आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि इस सूचकांक में शामिल देशो में आधा से ज्यादा देशों ने अपनी स्थिति में सुधार किया है।

बौद्धिक संपदा

किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि, उस व्यक्ति अथवा संस्था की 'बौद्धिक संपदा' कहलाती है। बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्ति या संस्था को अपनी रचना/आविष्कार पर एक निश्चित अवधि हेतु विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। इन विशेषाधिकारों का विधि द्वारा संरक्षण पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क आदि के रूप में किया जाता है।

2. क्लासिकल स्वाइन फीवर

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) ने 'क्लासिकल स्वाइन फीवर' को नियंत्रित करने हेतु एक नया टीका विकसित किया है। सरकारी समाचार एजेंसी में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नया टीका सस्ता और अधिक प्रभावी होगा।
- भारत 1964 से यूके आधारित स्वाइन फीवर वैक्सीन का उपयोग कर रहा है। नए टीके को छह आईवीआरआई वैज्ञानिकों की टीम द्वारा विकसित किया गया है।
- क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन (सीएसएफवी) सुअरों में सबसे आम बीमारी है जो भारत में स्वाइन की उच्च मृत्यु दर का कारण बनती है। इससे भारत में प्रति वर्ष लगभग 400 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। इससे साल 2019 में सुअरों की आबादी में कमी आई है।
- विशेषज्ञों के अनुसार देश में टीकों की दो करोड़ खुराक की वार्षिक आवश्यकता है लेकिन उपलब्धता मात्र 12 लाख खुराक की ही है।

स्वदेशी वैक्सीन के लाभ

- विदित हो कि अभी तक स्वाइन विवर के लिए टीके का निर्माण खरगोश के उत्तकों से किया जाता था जिसके लिए उन्हें व्यापक पैमाने पर मारा जाता था लेकिन अब इसका निर्माण सेल कल्चर विधि से किया जाएगा जिससे अब टीकों के निर्माण के लिए खरगोशों को नहीं मारना पड़ेगा।
- यह नया टीका दो साल की प्रतिरक्षण क्षमता प्रदान करेगा, जबकि मौजूदा टीके केवल 3 से 6 महीने की प्रतिरक्षण क्षमता प्रदान करते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, स्वाइन फीवर का मौजूदा घरेलू टीके 15-20 रुपये प्रति खुराक तथा कोरिया से आयातित टीका 30 रुपये प्रति खुराक का है। इसकी तुलना में नया टीका केवल दो रुपये में पड़ता है।

3. नासा-इएसए ने सूर्य के ध्रुवों की मैपिंग के लिए लांच किया ऑर्बिटर

- अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेंसी (NASA) और यूरोपीय अंतिरक्ष एजेंसी (ESA) ने सूर्य के ध्रुवों की मैपिंग के लिए ऑर्बिटर लांच किया है।
- इस ऑर्बिटर को 9 फरवरी, 2020 को लांच किया गया। यह ऑर्बिटर पृथ्वी तथा शुक्र ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करके सूर्य से 26 मिलियन मील की दूरी पर स्वयं को स्थापित करेगा।
- यह ऑर्बिटर पहली बार सूर्य के ध्रुवों का मानचित्रण करेगा। इस सोलर ऑर्बिटर का निर्माण यूरोप और अमेरिका के लगभग 1000 वैज्ञानिकों ने किया है। इस ऑर्बिटर का भार लगभग 1800 किलोग्राम है।
- यह 2021 के अंत तक पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। नासा ने इससे पहले सूर्य के अध्ययन के लिए पार्कर सोलर प्रोब मिशन को भी लांच किया था।

पार्कर सोलर प्रोब

- इस मिशन को यूनाइटेड लांच अलायन्स डेल्टा-IV हैवी राकेट की सहायता से लांच किया गया। इस स्पेसक्राफ्ट का भार 635 किलोग्राम है।
- इस मिशन का कार्यकाल 7 वर्ष का होगा, इस दौरान पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की 24 परिक्रमाएँ करेगा। सूर्य के तापमान से स्पेसक्राफ्ट को बचाने के लिए इसमें एक शील्ड लगायी गयी है, यह शील्ड 1,650 डिग्री तक का तामपान सहन कर सकती है।
- इसके अतिरिक्त इस स्पेसक्राफ्ट के उपकरणों को भी अधिक तापमान से बचाने के लिए विशेष सामग्री से बनाया गया है। यह स्पेसक्राफ्ट दिसम्बर से वैज्ञानिक सूचनाएँ भेजना शुरू करेगा।
- यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य के सबसे तक लगभग 6.2 मिलियन किलोमीटर नजदीक जायेगा। यह अधिकतम 7,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करेगा।
- इस प्रकार यह मानव निर्मित सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला ऑब्जेक्ट होगा।
- इस मिशन का नाम यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया है, वे एक सौर भौतिकशास्त्री थे। उन्होंने वर्ष 1958 में सोलर विंड के अस्तित्व के बारे में बताया था।

उद्देश्य

- सूर्य के कोरोना से उर्जा के बहाव और सोलर विंड का अध्ययन करना, सोलर विंड के स्त्रोत पर चुम्बकीय क्षेत्र की संरचना का अध्ययन करना, उर्जा कणों के परिवहन के मैकेनिज्म का पता लगाना आदि।

4. स्वदेशी मिसाइल 'खगान्तक' का प्रदर्शन

- भारत की एक निजी फर्म JSR डायनामिक्स ने DefExpo में 'खगान्तक' नामक स्वदेशी मिसाइल को प्रदर्शित किया है, यह मिसाइल हवा से जमीन पर हमला कर सकती है।
- इस मिसाइल की मारक रेंज 180 किलोमीटर है। इस मिसाइल का उपयोग एक गाइडेड वेपन के रूप में किया जा सकता है, इसमें अपने लक्ष्य को पहचानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है।
- इस प्रकार की मिसाइलों से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा तथा विदेशी रक्षा उपकरण निर्माताओं पर भारत की निर्भरता कम होगी।
- लखनऊ में आयोजित चार दिवसीय DefExpo में भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका मिला।
- DefExpo India - 2020 की थीम "भारत - रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब" है। इस प्रदर्शनी का फोकस रक्षा क्षेत्र का डिजिटल परिवर्तन है। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया।

- इस DefExpo के द्वारा विदेशी उपकरण निर्माताओं को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर कार्य करने का मौका मिलेगा, इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।

5. अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन

- इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- यह शिखर सम्मेलन भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, भारत ने DefExpo 2020 में 50 अफ्रीकी देशों के साथ 'लखनऊ डिक्लेरेशन' पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत अफ्रीकन यूनियन क्षेत्र में रक्षा सेक्टर में निवेश करने की योजना बना रहा है।
- इस शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीका में बढ़ते आतंकवाद पर विचार-विमर्श किया। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को प्रदान की गयी थी। 2020 के इस शिखर सम्मेलन में अंगीकृत किये गये 8 प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:
  - शांति ऑपरेशन में फंडिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता।
  - इथियोपिया के चुनाव में सहायता प्रदान करना।
  - गिनी के नेताओं को सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संशोधन का उपयोग करने से रोकना।
  - बुर्किना फासो में उग्रवाद को कम करना।
  - सोमाली सरकार के साथ क्षेत्रीय समझौता।
  - दक्षिण सूडान शांति प्रक्रिया में पूर्व अफ्रीकी देशों का समर्थन हासिल करना।

- सूडान परिवर्तन के लिए नागरिक नेताओं तथा सुरक्षा बलों के बीच समझौता करने में सहायता करना।

अफ्रीकन यूनियन (अफ्रीकी संघ)

- अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है, इसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकता को मजबूत करना है। अफ्रीकी संघ की स्थापना 26 मई, 2001 को इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में की गयी थी, इसे 9 जुलाई, 2002 को दक्षिण अफ्रीका में लांच किया गया था।
- इसकी स्थापना आर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के स्थान पर की गयी थी। इसकी अधिकारिक भाषाएँ हैं : अरबी, फ्रान्सीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, सोमाली, स्पेनिश, स्वाहिली तथा अफ्रीकी।

उद्देश्य

- सदस्य देशों के बीच एकता को मजबूत करना। सदस्य देशों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा करना। महाद्वीप में राजनीति, सामाजिक तथा आर्थिक को बढ़ावा देना। अफ्रीकी महाद्वीप तथा लोगों के हितों की सुरक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। महाद्वीप में शांति, सुरक्षा तथा स्थायित्व को बढ़ावा देना। लोकतंत्र तथा सुशासन को बढ़ावा देना।

6. भारतीय सेना ने विकसित किया विश्व का सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर

- हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी गन शॉट लोकेटर बनाया है। भारतीय सेना और निजी फर्म की तरफ से बनाए गए पार्थ गन शॉट लोकेटर का प्रदर्शन डिफेंस एक्सपो 2020 में किया गया है। पार्थ गन शॉट लोकेटर 400 मीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगा सकेगा। इसके अलावा छुपे हुए आतंकवादियों को खोजकर उन्हें मारने में मदद करेगा।

मुख्य बिंदु

- इस डिवाइस के निर्माण में तीन लाख रुपये खर्च किये गये हैं, जबकि इस प्रकार की आयात की गयी डिवाइस की कीमत लगभग 65 लाख रुपये होती है। यह डिवाइस 400 मीटर की दूरी से बन्दूक की गोली को चिह्नित कर सकती है।

गनशॉट लोकेटर

- गनशॉट लोकेटर के द्वारा बन्दूक से गोली चलाने की स्थिति का पता चल जाता है, इस डिवाइस का उपयोग कर सुरक्षा एजेंसियों तथा सेना द्वारा गोलीबारी की दिशा का पता लगाया जा सकता है। इस तरह की डिवाइस भारतीय सेना के लिए बेहद उपयोगी है। कश्मीर घाटी में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन में इस प्रकार की डिवाइस कारगर सिद्ध होगी।

7. सीएफएल व फिलामेंट बल्ब पर केरल ने प्रतिबंध लगाया

- हाल ही में केरल ने सीएफएल (CFL - compact fluorescent lamps) और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

क्यों लगा है प्रतिबंध

- केरल सरकार के अनुसार सीएफएल और फिलामेंट बल्ब से कचरा ज्यादा उत्पन्न होता है। फिलामेंट बल्ब में पारा होता है, जिसके कारण इनके टूटने के बाद पर्यावरण के प्रदूषित होने का खतरा भी ज्यादा रहता है। जबकि एलईडी बल्ब इन दोनों से कहीं ज्यादा ऊर्जा बचाने वाले व सुरक्षित होते हैं।
- 'फिलामेंट मुक्त केरल' राज्य सरकार की परियोजना है जिसे साल 2018 में राज्य के ऊर्जा केरल मिशन के तहत शुरू किया गया था। इसके तहत अब सभी सरकारी कार्यालयों के बल्ब और स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी (LED - Light Emitting Diode) से बदला जाएगा। इसके अलावा लोगों के उपयोग के लिए राज्य में 2.5 करोड़ एलईडी बल्ब का उत्पादन भी किया गया है।'

देश का पहला फिलामेंट मुक्त गांव

- केरल के कासरगोड जिले में पीलीकोड पंचायत पिछले साल ही फिलामेंट बल्ब से मुक्त हो चुका है। बीते एक साल से यहाँ एक भी फिलामेंट बल्ब का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह देश का पहला गांव है जिसे फिलामेंट मुक्त घोषित किया गया है।

सरकार बेचेगी एलईडी

- केरल राज्य विद्युत बोर्ड और राज्य के ऊर्जा प्रबंधन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से 'फिलामेंट मुक्त केरल' परियोजना लागू की जाएगी। सरकार उपभोक्ताओं को केरल राज्य विद्युत बोर्ड की वेबसाइट पर एलईडी बल्ब खरीदने की सुविधा दे रही है। नौ वॉट के एलईडी बल्ब सरकार द्वारा काफी कम कीमत पर बेचे जा रहे हैं।

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. ऑपरेशन वनीला

- दक्षिणी हिंद महासागर में तैनात, भारतीय नौसेना जहाज, ऐरावत को 26 जनवरी 2020 को मेडागास्कर में डायने चक्रवात की तबाही से प्रभावित हुए नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए भेजा गया हैं।
- ऐरावत के इस मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन को भारतीय नौसेना द्वारा 'ऑपरेशन वनीला' नाम दिया गया है, जोकि मेडागास्कर में इस मानवीय संकट को सहायता उपलब्ध कराने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया है।
- 'ऑपरेशन वनीला' के हिस्से के रूप में और भारत सरकार की ओर से, मेडागास्कर में भारत के राजदूत, श्री अभय कुमार और कमांडर सुनील शंकर, (ऐरावत के कमांडिंग ऑफिसर) ने 01 फरवरी 2020 को मेडागास्कर के प्रधान मंत्री, क्रिश्चियन लोइस की उपस्थिति में स्थानीय सरकारी अधिकारियों को तत्काल आवश्यक राहत सामग्री आपदा राहत स्टोर, टेंट, कंबल, कपड़े भोजन और दवाइयाँ सौंपी।
- जहाज की मेडिकल टीम स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर 01 से 02 फरवरी 2020 को अंतसीराना में चिकित्सा शिविर का भी आयोजन करेगी।
- चक्रवात डायने के बाद समय पर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गई इस सहायता और भारतीय नौसेना द्वारा प्रदर्शित की गई दक्षता की स्थानीय प्राधिकारियों ने सराहना की है। इससे मेडागास्कर के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा।

2. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

- केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन स्थापित करने के प्रस्ताव की घोषणा की है।
- 2020-21 से 2023-24 तक, चार साल की अवधि में, कार्यान्वयन करने के लिए इस मिशन की अनुमानित लागत 1,480 करोड़ रूपये है, जिससे कि भारत को तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके।
- भारत प्रत्येक वर्ष 16 बिलियन अमरीकी डॉलर का तकनीकी वस्त्रों का आयात किया जाता है।
- तकनीकी वस्त्र, वह सामग्री एवं उत्पाद हैं जिन्हें मुख्य रूप से उनके तकनीकी गुणों और कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है।
- तकनीकी वस्त्रों का उपयोग करने से कृषि, बागवानी और जलकृषि क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि, सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और सुरक्षा बलों की बेहतर सुरक्षा, राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डों का मजबूत परिवहन बुनियादी ढाँचा और आम नागरिकों की स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार का लाभ प्राप्त होता है।
- भारत में तकनीकी वस्त्र मिशन इस उद्योग के साथ-साथ विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए भी विकास का अपार अवसर प्रदान करता है।
- तकनीकी वस्त्रों पर 2015 में प्रस्तुत किए गए अंतिम आधारभूत सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2017-18 में भारतीय बाजार का आकार 1,16,217 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया। हालांकि, इसमें 2020-21 के लिए कोई प्रत्यालेख नहीं किया गया है, लेकिन विकास की मौजूदा प्रवृत्ति और सरकार द्वारा अपनाये जा रहे विभिन्न पहलों को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी वस्त्रों के घरेलू बाजार का आकार वर्ष 2020-21 तक 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है।

3. डाटा सेंटर पार्क नीति

- हाल ही में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स (आईओटी), 3-डी प्रिंटिंग, ड्रोन, डीएनए डाटा स्टोरेज, क्वांटम कम्प्युटिंग जैसी प्रौद्योगिकियाँ विश्व की अर्थव्यवस्था की पटकथा लिख रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पारम्परिक व्यवसायों के स्थानों पर एग्रीगेटर मंचों के साथ साझी अर्थव्यवस्था जैसे नये प्रतिमान पहले ही अपना लिये हैं। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और वित्तीय समावेशन में सक्षम होने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का दोहन किया है और वह भी उस पैमाने पर जिसकी पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी।
- डाटा इज द न्यू ऑयल के महत्व को उल्लेखित करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनालिटिक्स, फिनटेक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) ने हमारी जीवनशैली में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन ला दिया है। उन्होंने डाटा क्षमता का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव दिया:-
- निजी क्षेत्र को देश भर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए जल्द ही एक नई नीति लाई जाएगी। इससे कंपनियाँ अपनी मूल्य शृंखला के प्रत्येक चरण में आंकड़ों को कुशलता के साथ समाविष्ट करने में सक्षम होंगी।
- भारतनेट के माध्यम से फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) के साथ इस वर्ष 1,00,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। इससे आंगनबाड़ियों, स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों, सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों, डाकघरों और पुलिस स्टेशनों को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने के स्वप्न को साकार किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 6000 करोड़ का प्रावधान किया है।

स्टार्टअप्स के लिए प्रस्ताव

- ज्ञान प्रेरित उद्यमों के आधार के विस्तार के क्रम में वित्त मंत्री ने बौद्धिक संपदा सृजन और संरक्षण के महत्व पर जोर दिया।
- उन्होंने कहा कि एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो आईपीआर के निर्बाध अनुप्रयोग और अभिग्रहण को सुसाध्य बनाएगा। उत्कृष्ट संस्थान में एक ऐसा केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जो बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में जटिलता और नवोन्मेष पर कार्य करेगा।
- नवीन और उभरते हुए क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नॉलेज ट्रांसलेशन कलस्टर स्थापित किए जाएंगे।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए प्रस्ताव

- वित्त मंत्री ने कहा कि क्वांटम प्रौद्योगिकी कम्प्युटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा के साथ-साथ व्यापक स्तर के अनुप्रयोगों में नये मार्ग खोल रही हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अनेक वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के उभरने की उम्मीद है। उन्होंने क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 8,000 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रदान करने का प्रस्ताव दिया।

4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

- केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों और जिलों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) पुरस्कार प्रदान किये।
- एक करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को इस योजना की शुरूआत से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की श्रेणी में पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश, दूसरा आन्ध्र प्रदेश और तीसरा हरियाणा को प्रदान किया गया। इसी श्रेणी में एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नगर हवेली को पहला स्थान, हिमाचल प्रदेश को दूसरा और चंडीगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
- एक करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए जिला स्तर पर पुरस्कारों में पहला स्थान मध्य प्रदेश के इन्दौर, दूसरा स्थान आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल और तीसरा स्थान असम के दक्षिण सलमारा मनकाचार को हासिल हुआ।
- एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के जिलों में पहला स्थान मिजोरम में सेरछिप और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश में ऊना को और तीसरा स्थान पुदुचेरी को प्राप्त हुआ।
- पुरस्कारों की दूसरी श्रेणी 2-8 दिसम्बर 2019 तक आयोजित मातृ वंदना सप्ताह के दौरान राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के कार्य प्रदर्शन पर आधारित थी। इस सप्ताह का विषय 'स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की ओर सुरक्षित जननी, विकसित धारिणी' था।
- इसमें एक करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए पहला स्थान आन्ध्र प्रदेश को, दूसरा महाराष्ट्र को और तीसरा मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ।
- एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नगर हवेली को पहला, सिक्किम को दूसरा और मणिपुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।

5. महाराष्ट्र के वधावन में एक नए बंदरगाह की मंजूरी

- बधावन बंदरगाह परियोजना की कुल लागत 65,544.54 करोड़ रुपये आंकी गई है। वधावन बंदरगाह 'भू-स्वामित्व मॉडल' में विकसित किया जाएगा। जवाहर लाल नेहरू पोर्ट के साथ एक शीर्ष भागीदार के रूप में एक स्पेशल पर्पज व्हिकल (एसपीवी) स्थापित किया जाएगा। जेएनपीटी की इस परियोजना को लागू करने में इक्विटी भागीदारी 50 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक होगी। एसपीवी अंतर्क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने के अलावा भूमि सुधार, ब्रेक वॉटर के निर्माण सहित बंदरगाह बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। सभी व्यापारिक गतिविधियाँ निजी ड्वेलेपर्स द्वारा पीपीपी मोड के तहत की जायेंगी।
- वधावन बंदरगाह के विकास के बाद भारत विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा।
- महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जेएनपीटी में है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना के अंतर्क्षेत्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एनसीआर, पंजाब और उत्तर प्रदेश के द्वितीयक अंतर्क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है।
- जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसका विश्व में 28वाँ स्थान है तथा इसका यातायात 5.1 मिलियन टीईयू (20-फुट इक्वेलेंट यूनिट्स) है।
- वर्ष 2023 तक 10 मिलियन टीईयू की क्षमता वृद्धि करने वाले चौथे टर्मिनल के पूरा होने के बाद भी जवाहर लाल नेहरू पोर्ट विश्व में 17वाँ सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा।
- इससे अर्थव्यवस्थाओं के स्तर में बढ़ोतरी और लॉजिस्टिक लागत कम होने के लाभ मिलेंगे। कंटेनर जहाजों के लगातार बढ़ रहे आकार के कारण भारत के पश्चिमी तट पर डीप ड्राफ्ट बंदरगाह का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
- मूल्य संवर्धन विनिर्माण क्षेत्र के कारण कार्गो के बढ़ते हुए कंटेनरीकरण से मूल्य संवर्धन आयात के रखरखाव तथा विनिर्माण गतिविधियों में मदद के लिए निर्यात हेतु बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
- जेएनपीटी अंतर्क्षेत्र में कंटेनर यातायात 2020-25 तक मौजूदा 4.5 एमटीईयू से बढ़ कर 10.1 एमटीईयू पहुंचने की उम्मीद है। इस अवधि तक जेएनपीटी की क्षमता का पूरा दोहन हो चुका होगा।
- लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की योजना और मेक इन इंडिया अभियान द्वारा भारत से अधिक से अधिक निर्यात और विनिर्माण संसाधन के बाद कंटेनर यातायात की मांग में और बढ़ोतरी होगी।

6. दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग रिपोर्ट

- दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने चार संस्करणों वाली रिपोर्ट का मुख्य भाग उच्चतम न्यायालय को सौप दिया। इसमें वेतन, पेंशन और भत्तों से संबंधित विषय शामिल हैं।
- आयोग का गठन अखिल भारतीय न्यीायाधीश एसोसिएशन के मामले के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किया गया था और विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी।
- उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.वी.रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.वसंत सदस्य और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश श्री विनय कुमार गुप्ता आयोग के सदस्य सचिव हैं।
- आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं वेतन: आयोग ने विभिन्न वैकल्पिक कार्य पद्धतियों पर विचार करके ये मैट्रिक्स अपनाने की सिफारिश की जिसे वर्तमान वेतन के 2.81 के गुणक को लागू करके निकाला गया है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि के प्रतिशत के अनुरूप है।
- आयोग द्वारा निर्धारित संशोधित वेतन ढांचे के अनुसार, जूनियर सिविल न्यायाधीश/प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिनका शुरूआती वेतन 27,700 रुपये है उन्हें अब 77,840 रुपये मिलेंगे। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के अगले उच्च पद का वेतन 1,11,000 रुपये और जिला न्यांयाधीश का वेतन 1,44,840 रुपये से शुरू होगा। जिला न्यायाधीश (एसटीएस) का अधिकतम वेतन 2,24,100 रुपये होगा।
- परिवार के पेंशनधारियों की सहायता के लिए जिला न्यायाधीश द्वारा केंद्रीय अधिकारियों को मनोनीत किया जाएगा।
- चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और अदायगी की प्रक्रिया को भी सरल बनाने की सिफारिशें की गई हैं। पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन लेने वालों को चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी।
- कुछ नये भत्ते जैसे बच्चों की शिक्षा से जुड़े भत्ते, होम ऑर्डरली भत्ते का प्रस्ताव रखा गया है। सभी राज्यों में एचआरए समान रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकारी मकानों का उचित रखाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की गई है।
- आयोग द्वारा की गई सिफारिशें देशभर के न्यायिक अधिकारियों पर लागू होंगी।

7. ईज ऑफ लिविंग सूचकांक और नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2019

- विभिन्न पहलों के माध्यम से शहरों में हुई प्रगति का आकलन करने और उन्हें अपने कार्य प्रदर्शन की योजना बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए साक्ष्यों के उपयोग में सशक्त बनाने के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने दो सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग (जीवन सुगमता) सूचकांक (ईओएलआई) और नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक (एमपीआई) 2019 लॉच किये हैं।
- इन दोनों सूचियों को 100 स्मार्ट शहरों और 10 लाख से अधिक आबादी वाले 14 अन्य शहरों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक साथ डिजाइन किया गया है।
- नगरपालिका के कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2019 के साथ, मंत्रालय ने पांच क्षेत्रों यानी सेवा, वित्त, योजना, प्रौद्योगिकी और शासन के आधार पर नगरपालिकाओं के कार्य प्रदर्शन का आकलन करने की मांग की है। इन्हें 20 अन्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनका 100 संकेतकों में आकलन किया जाएगा। इससे नगरपालिकाओं को बेहतर नियोजन और प्रबंधन में मदद मिलने के अलावा नगर प्रशासन में खामियों को दूर करने और नागरिकों की शहरों में रहने लायक स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी।
- ईज ऑफ लिविंग सूचकांक का उद्देश्य स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, प्रशासन की प्रभावशीलता, शहरों के रहने लायक स्थिति के रूप में इन सेवाओं के माध्यम से सृजित परिणाम और आखिरकार इन परिणामों के लिए नागरिक अवधारणा से शुरू करके भारतीय शहरों का समग्र दृष्टिकोण उपलब्ध कराना है।
- ईज ऑफ लिविंग सूचकांक के प्रमुख उद्देश्य चार स्तम्भों- क) साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के मार्ग दर्शन के लिए जानकारी का सृजन करना; ख) स्वयं सहायता समूह (एसडीजी) सहित व्यापक विकासात्मक परिणाम अर्जित करने के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करना; ग) विभिन्न शहरी नीतियों और योजनाओं से अर्जित परिणामों का आकलन और तुलना करना; और घ) शहरी प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बारे में नागरिकों की अवधारणा प्राप्त करना है।
- ईओएलआई 2019 तीन स्तंभों - जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता और स्थिरता के बारे में नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग आंकलन में मदद करेगा।
- पहली बार, ईज ऑफ लिविंग सूचकांक आकलन के हिस्से के रूप में, मंत्रालय की ओर से (जिसमें ईज ऑफ लिविंग सूचकांक के 30% अंक निर्धारित हैं) एक नागरिक अवधारणा सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह आकलन प्रकिया का महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह नागरिकों की अपने शहरों में जीवन की गुणवत्ता के संबंध में अवधारणा का सीधा पता लगाने में मदद करेगा।

❍❍❍

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

आर्थिक समीक्षा 2019-20

1. नई फर्मों के सृजन की वैश्विक एवं भारत में क्षेत्र-वार तुलना

- आर्थिक विकास एवं उत्तरवर्ती रोजगार वृद्धि के संदर्भ में उद्यमिता, नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण केन्द्र की भांति कार्य करती है। उद्यमी अर्थव्यवस्था में नवाचार को गति प्रदान करते हैं।
- विश्व बैंक के व्यापार सुगमता सूचकांक के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी उद्यमिता परिस्थितिकीय प्रणाली है।
- 2006-16 के दौरान नई फर्मों की औसत संचयी वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 2014-18 तक 12.2 प्रतिशत हो गयी। फलत: 2014 में जहाँ 70,000 नई फर्मों का सृजन हुआ था वहीं 2018 में यह संख्या 80% बढ़कर 1,24,000 हो गई।
- प्रति व्यक्ति के आधार पर भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था में उद्यमिता दरें निम्न हैं। वर्ष 2006 से 2016 के बीच प्रति 1000 कामगार प्रतिवर्ष पंजीकृत नई फर्मों की औसत माध्यिका संख्या 0.10 (0.11) थी।
- इसके विपरीत इंग्लैण्ड और अमेरिका की औसत माध्यिका उद्यम तीव्रता क्रमश: 12.22 (11.84) एवं 12.12 (11.81) थी। सामान्य रूप से, विकासित अर्थव्यवस्थाओं की उद्यम तीव्रता सार्थक दृष्टि से ऊँची है।
- समय के साथ-साथ नई फर्मों की क्षेत्र-वार वृद्धि अलग-अलग रही, जिसमें सेवा क्षेत्र ने क्रमश: विनिर्माण, अवसंरचना और कृषि की तुलना में कहीं ज्यादा वृद्धि की है।

विभिन्न देशों की उद्यम संबंधी (नई फर्म) की तुलना

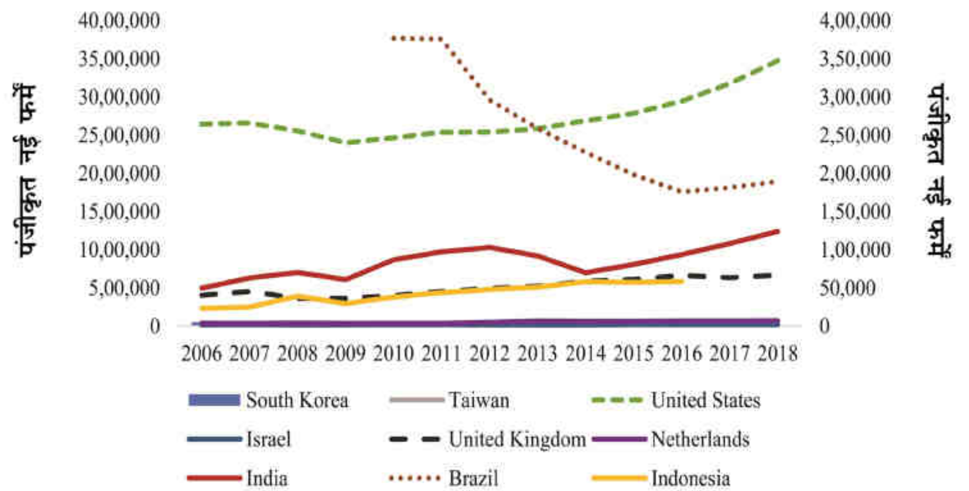

Source: World Bank's EODB Entrepreneurship Data, Business Formation Statistics of the U.S. Census Bureau and Survey Calculations Note: Secondary axis for India, Brazil and, Indonesia

भारत में समय के साथ क्षेत्रवाद नई फर्मों का सृजन

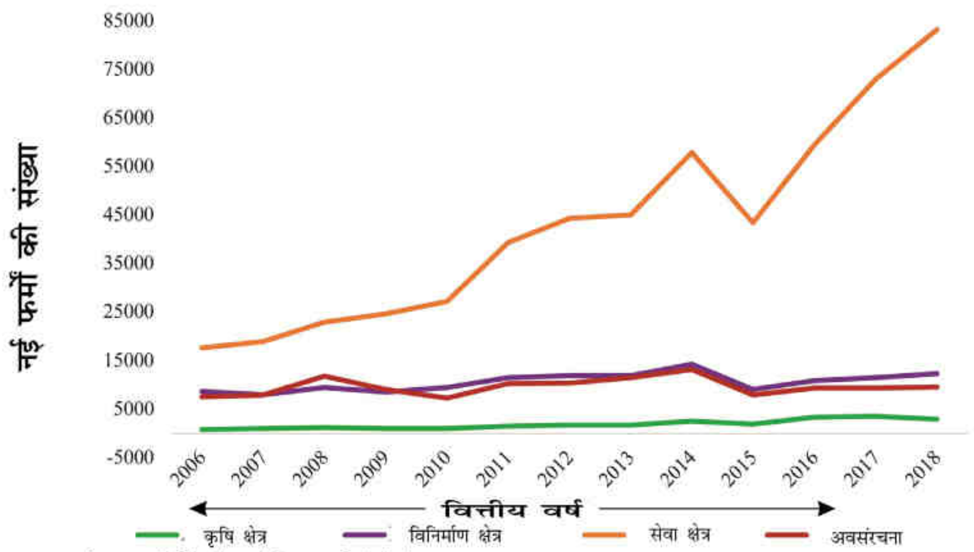

Source: MCA-21 and Survey Calculations

2. भारत में आर्थिक स्वतंत्रता

- भारत ने फर्मों और अपने नागरिकों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी इसे दुनिया की जकड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है।
- हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा लाए गये आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा लाये गये वैश्विक आर्थिक सूचकांक द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता को लोगों द्वारा आर्थिक सम्मान और संसाधनों को प्राप्त करने और उपयोग करने में अपनी पसंद की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने की आर्थिक आजादी के रूप में मापा जाता है।

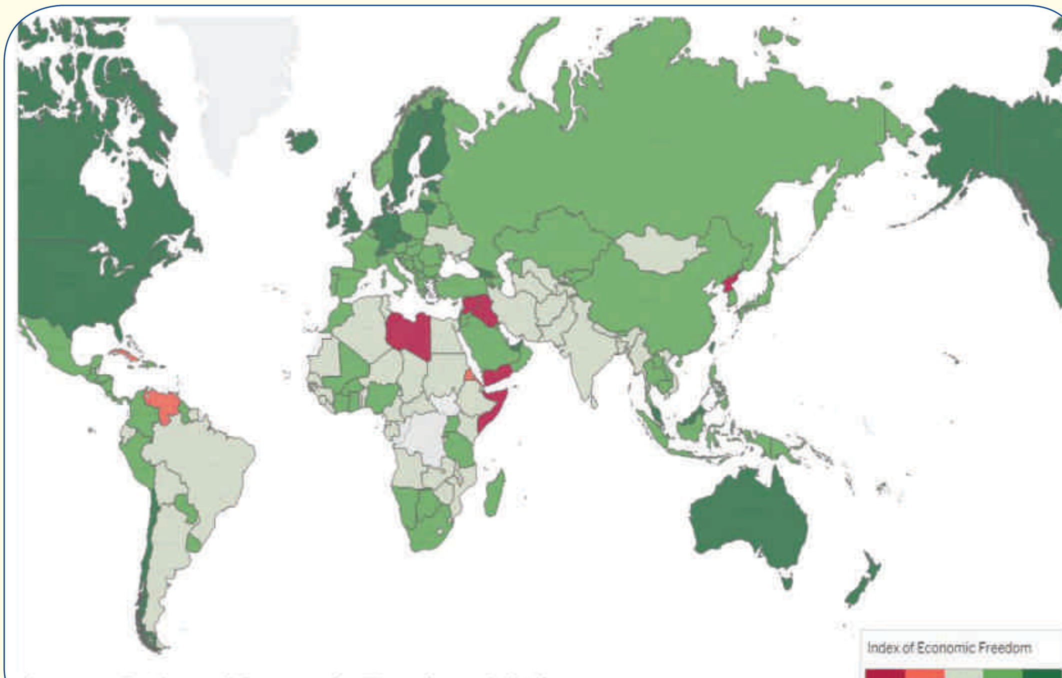

Source: Index of Economic Freedom, 2019

- भारत, आर्थिक स्वतंत्रता के वैश्विक सूचकांको में नीचे के आधे स्थानों में आता है। वर्ष 2019 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 186 देशों में 129 स्थान मिला।
- आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 55.2 अंकों के साथ भारत को "अधिकांशतः अस्वतंत्र (Mostly Unfree)" की श्रेणी में रखा गया है।

3. सेंसेक्स का क्षेत्रीय संकेन्द्रण

- बाजार संबंधी सुधारों के फलस्वरूप समय के साथ सेंसेक्स में क्षेत्रीय विविधता में निरंतर वृद्धि हुई है।
- वर्ष 1986 के प्रारंभ में सेंसेक्स में सामग्री एवं उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्रों की प्रमुखता थी जो सेंसेक्स पर उपलब्ध फर्मों के दो तिहाई भाग तक विस्तृत थी। उस समय वित्त, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों का स्थान इंडेक्स में नगण्य था।
- नये क्षेत्रों के प्रवेश के साथ वर्तमान सेंसेक्स, 1980-90 के सेंसेक्स की तुलना में बहुत कम संकेंद्रित है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यन्त निम्नतर क्षेत्रीय सघनता को प्रतिबिंबित करता है।

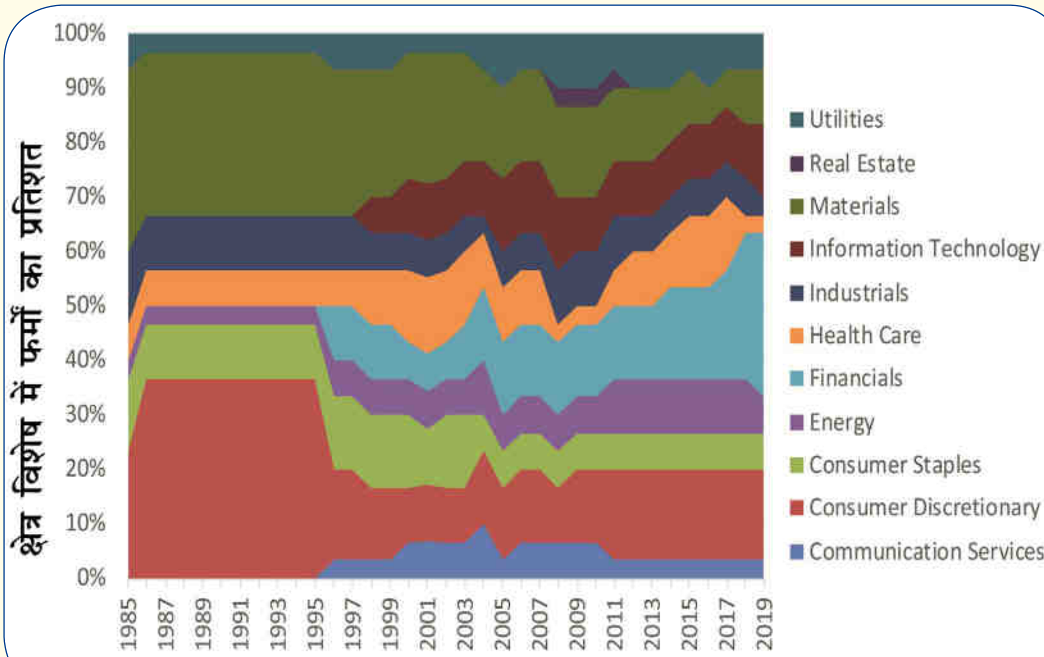

Source: Bloomberg, BSE

- सेंसेक्स में कुल कम्पनियों की तुलना में सेवा क्षेत्र की कम्पनियों का हिस्सा 1980 में जहाँ नगण्य था, बढ़कर सर्वाधिक हो गया है।

4. 100 शीर्ष वैश्विक बैंकों में भारतीय बैंक

- भारत की अर्थव्यवस्था के आधार की दृष्टि से इसके बैंक आनुपातिक रूप से छोटे हैं। 2019 में, भारत विश्व की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि शीर्ष 100 बैंकों में शामिल एकमात्र बैंक 'भारतीय स्टेट बैंक' 55वें स्थान पर है।
- विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में केवल एक बैंक है जिससे भारत को उन देशों के समूहों में रखा गया है जिनकी अर्थव्यवस्था का आकार भारत की अर्थव्यवस्था के न्यून अंश के समान हैं जैसे फिनलैण्ड (1/11वाँ), डेनमार्क (1/8वाँ), नार्वे (1/7वाँ) आस्ट्रिया (1/7वाँ) और बेल्जियम (1/6वाँ)।

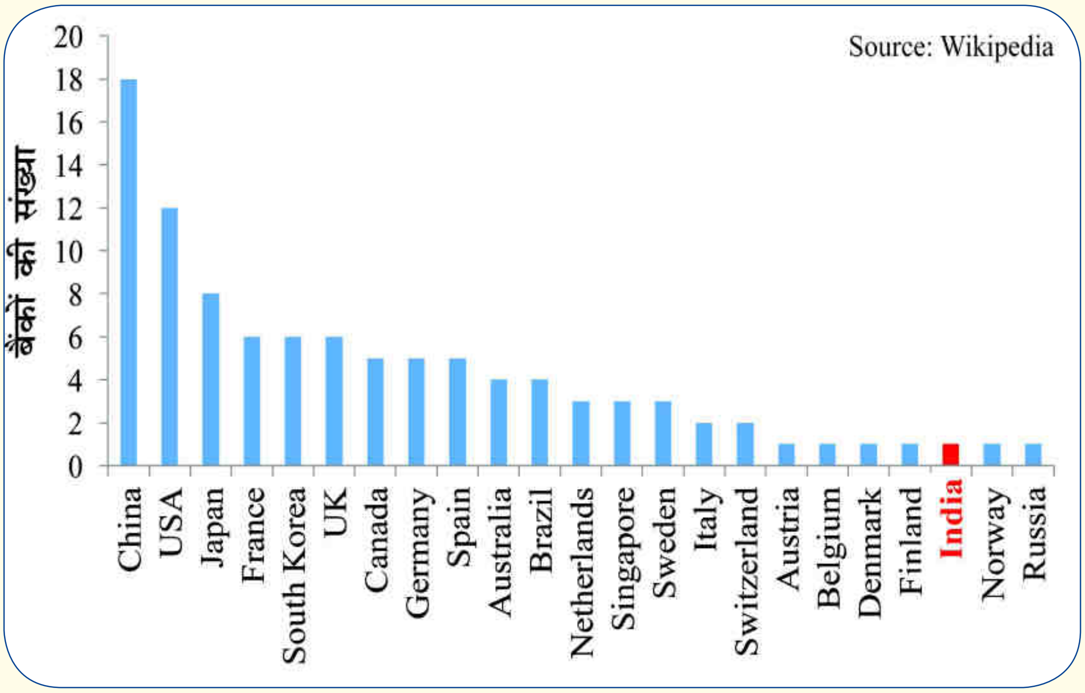

- स्वीडन और सिंगापुर जैसे देश वैश्विक स्तर पर भारत की तुलना में तीन गुना अधिक बैंक वाले देश हैं जबकि इनकी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के आकार के क्रमशः लगभग 1/6वें और 1/8वें भाग के बराबर हैं।
- सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पास आनुपातिक रूप से बड़े बैंक मौजूद है जिनमें से चीन के 18 बैंक वैश्विक 100 शीर्ष बैंकों में शामिल हैं।

5. सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) में ग्राहकों की घातांकी वृद्धि

- वर्ष 2000 से व्यष्टि वित्त क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के व्यावसायिक मॉडलों से भिन्न मॉडलों के उपयोग के स्तर पर सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- वर्ष 2000 के बाद भी एमएफआई का उद्देश्य समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन ही बना रहा, तथापि सामाजिक लक्ष्य के साथ-साथ वित्तीय लाभ प्राप्त करने की दोहरी संकल्पना का भी अनुसरण प्रारंभ कर दिया।
- वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र की माइक्रोफाइनेंस घोषणा में गरीबी उन्मूलन के संबंध में एमएफआई की संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया है। कुछ एमएफआई ने स्वयं को बैंकों के रूप में परिवर्तित भी कर लिया है।

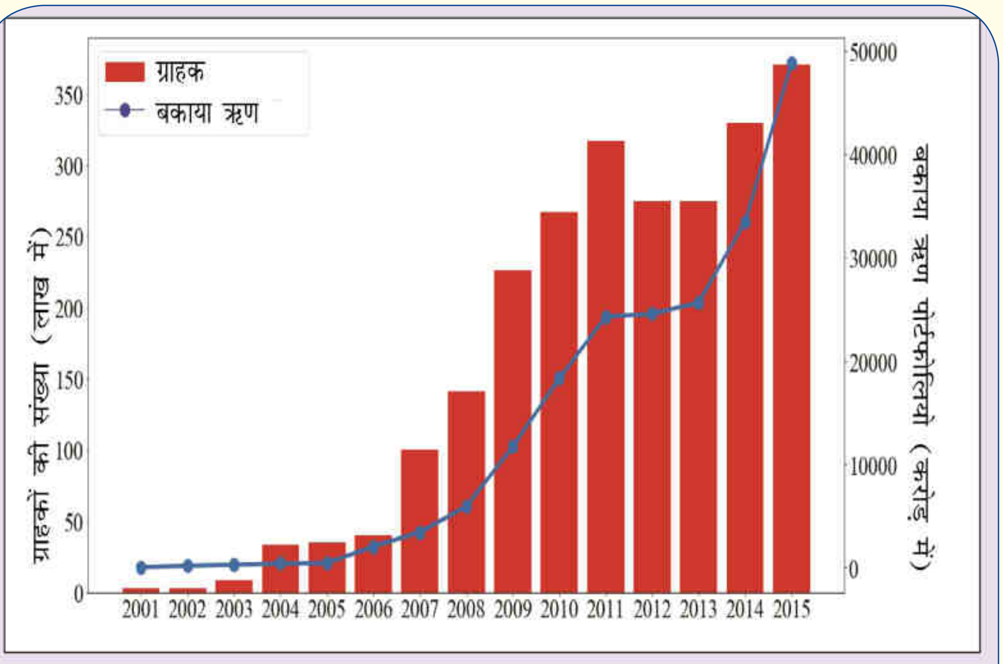

Source: The Bharat Microfinance Report 2012 and 2015

- वर्ष 2016 की स्थिति के अनुसार, 97 प्रतिशत ऋणधारक महिलाएँ, लगभग 30 प्रतिशत ऋणधारक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से और 22 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग से थे।

6. मार्च 2016 से जनवरी 2019 के बीच डिजिटल लेन-देन का कुल मूल्य

- भारत की समृद्धि संभात्यता के महत्वपूर्ण चालक हैं- अनुकूल जनसांख्यिकी (15-29 के बीच की 35 प्रतिशत आबादी), आधुनिक डिजिटल संरचना जिसमें "जैम (JAM) त्रिमूर्ति" वित्तीय समावेशन, आधार (विशिष्ट पहचान प्रणाली) एवं सुविकसित मोबाइल फोन नेटवर्क और अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली है, ताकि विखण्डित जटिल राज्य स्तरीय प्रणाली को प्रतिस्थापित किया जा सके।
- भारत की प्रगति का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि सुविकसित वित्तीय प्रणाली का प्रयोग कर इन विकास स्तंभों का कितना त्वरित उत्पादकपूर्ण ढंग से नियोजन किया जाता है।

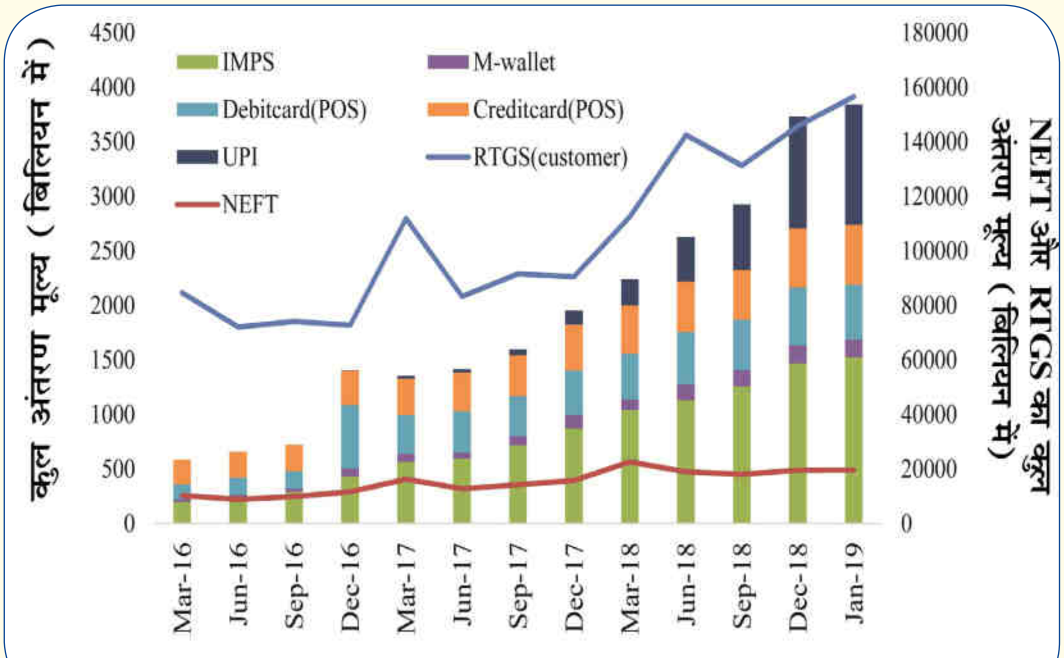

Source: Payment System Indicators, RBI

(i) अनुकूल जनसांख्यिकी और जैम (JAM) के परिणामस्वरूप डिजिटल लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

(ii) सापेक्ष लाभ अंतरणों जोकि गत पाँच वर्षों में तेजी से बढ़ा है, से बैंकिंग प्रणाली की साख और जमा दोनों में वृद्धि हुई है।

7. अखिल भारतीय स्तर पर थाली का मूल्य

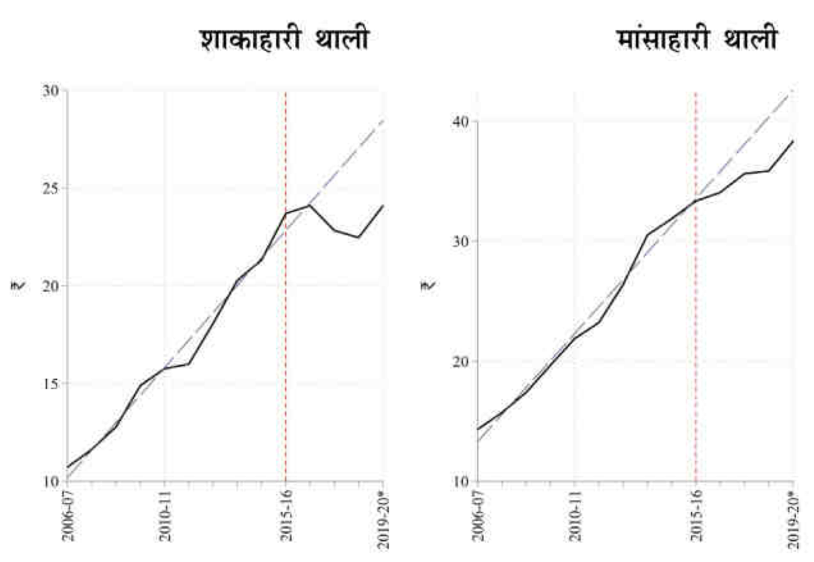

Source: Survey calculations
Note: The blue dashed line represents the linear trend till 2015-16 and thereafter projection. Red dotted vertical line represents 2015-16, *: April-October, 2019

- अखिल भारतीय स्तर पर शाकाहारी थाली के लिए वर्ष 2015-16 के पश्चात् लगभग 3 रुपये प्रति थाली का औसत लाभ था।
- यह पहली नजर में कम प्रतीत हो सकता है परन्तु परिवारों हेतु भोजन की लागत में बड़ा गिरावट है।
- इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि प्रतिनिधि शाकाहारी परिवार में पाँच लोग हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति दिन में दो बार भरपेट खाना खाता है। इस परिवार के लिए औसत वार्षिक लाभ 2015-16 की अनुवर्ती अवधि में 10887 रु. के लगभग होगा। यह औसत लाभ एक श्रमिक की वार्षिक मजदूरी का 6.5 प्रतिशत है।
- मांसाहारी थाली के लिए वर्ष 2016-17 के प्रति थाली पर 1.8 रु, 2017-18 में 2.4 रु., 2018-19 में 4.5 रु तथा 2019-20 में 4.2 रु. का लाभ हुआ। इस प्रकार पाँच सदस्यों के परिवारों में लगभग रु. 11787 का औसत लाभ होगा।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS)
TARGET 2020

PROGRAMME OBJECTIVE

CAIPTS is a comprehensive and integrated program which will provide CSE Aspirants a good competitive environment, who are appearing in CSE-2020. In addition to this, an integrated guidance mechanism has been included in CAIPTS to keep the aspirants aligned with the true spirit of Civil Service Exam.

APPROACH ANALYSIS

Along with studying basics and reference books it is necessary to examine our knowledge through MCQs based questions which will help to build right attitude towards solving questions and reduce the rate of errors committed by aspirants.

For this, Dhyeya IAS brings "Comprehensive All India Prelims Test Series (CAIPTS)" for the aspirants which will provide a real time environment for upcoming civil services examination.

"Examine Yourself Before Examination"

Total 17 Tests

- ☑ Full GS & CSAT Tests
- ☑ 12 GS Tests + 5 CSAT Tests
- ☑ 2 GS & 2 CSAT Papers (Based on UPSC Previous Years Papers)

FREE GS MODEL TEST FOR ALL
16TH FEBRUARY 2020

Fee (inclusive of all taxes)

OFFLINE	
For Dhyeya IAS Students	Rs. 5,000/-
For Other Students	Rs. 7,000/-

ONLINE	
For Dhyeya IAS Students	Rs. 2,000/-
For Other Students	Rs. 4,000/-

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

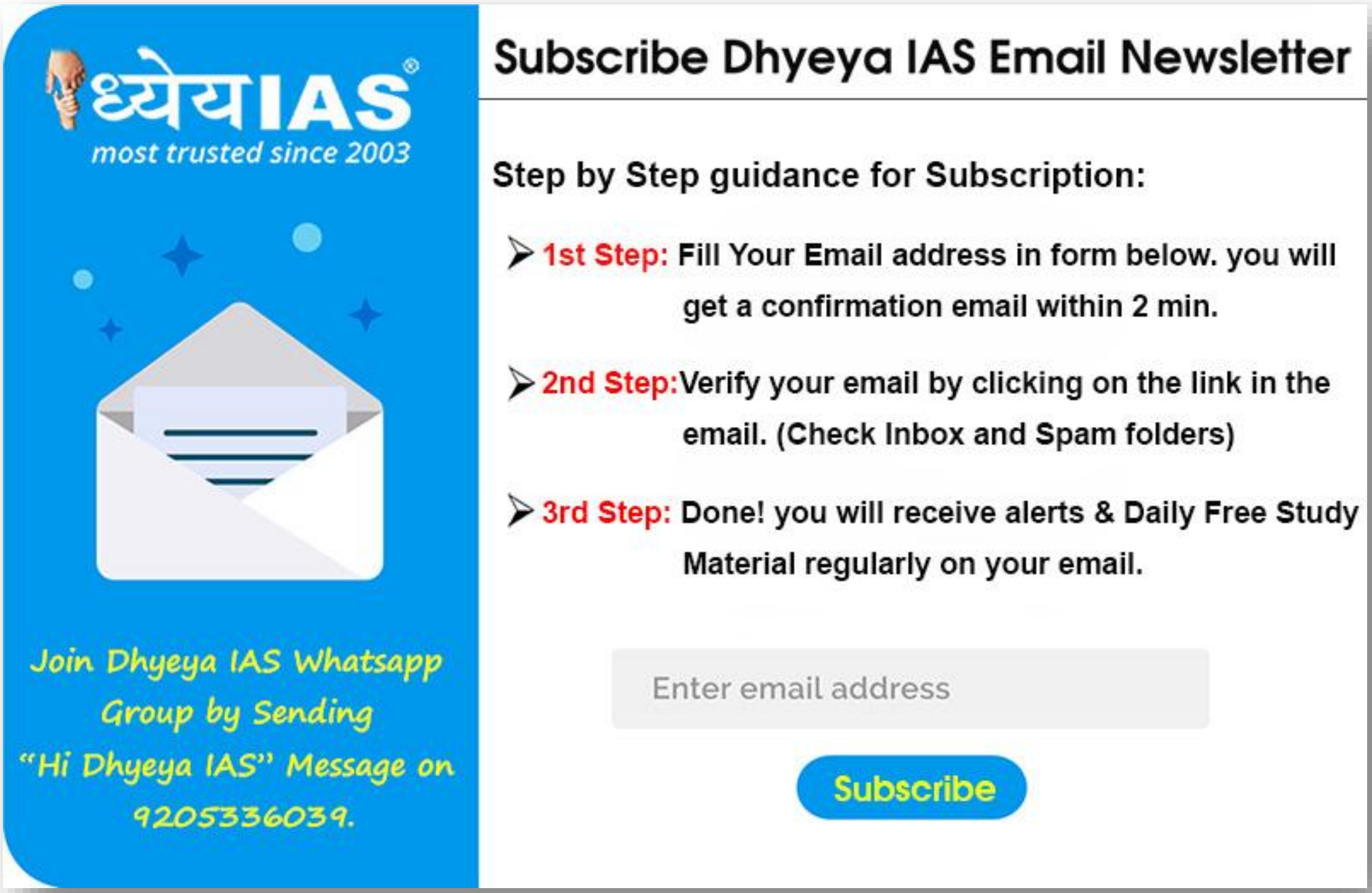

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400